



# जड़मूलसे क्रान्ति

लेखक

किशोरलाल घनश्यामलाल मशरूवाला

अनुवादक

रामचन्द्र बिल्लोरे



नवजीवन प्रकाशन मंदिर  
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाभी देसायी  
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदावाद

पहली बार • ५,०००

## निवेदन

यह पुस्तक मैंने नवीं अगस्त १९४७ से शुरू की। विचार तो मनमें भरे ही थे। उनमेंसे कुछ अलग अलग लेखोंमें प्रकट भी हो चुके थे। मगर इस तरह पुस्तकके रूपमें उन्हें लिख डालनेका कोअी सकल्प नहीं था। पाँचवीं या छठी अगस्तको श्री शकरराव देव वर्धा आये थे। उनकी अिच्छासे देगके अनेक राजकीय, सामाजिक वगैरा प्रश्नोंपर चर्चा करनेके लिये यहाँके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंकी अेक बैठक हुअी। इस चर्चामें मैंने भी अपने कुछ विचार पेअ किये। मगर पन्द्रह मिनटमें सारी बातें अच्छी तरहसे कह सकना मेरे लिये सभव न था, अिसलिये मैंने अुन्हें लिखनेका निश्चय किया और नवीं अगस्तसे यह काम शुरू हुआ। मेरा खयाल था कि अेकाघ फॉर्मसे ज़्यादा बड़ी पुस्तिका नहीं होगी और अेकाघ हफ्तेमें ही मैं अुसे समाप्त कर दूँगा। मगर यह तो मकड़ीके जालेकी तरह बढ़ती ही गअी और अेक खासी पुस्तक बन गअी। अिस तरह अिसका प्रथम लेखन २ॢ नवम्बर १९४७को पूरा हुआ। तबतक तालीमके सम्बन्धमें अिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था। बादमें पूरी पुस्तककी जाँच करते हुअे अिस विषयपर लिखनेकी बात सूझी और अिस तरह पुस्तकमें चौथा खड बढ़ा। यह खड बहुत कुछ फुटकर-सा है। अिसमें पूरी चर्चा नहीं की गअी है। ता० ३० जनवरी १९४ॢके हमेशा याद रहनेवाले दिनको दोपहरके वक़्त अिसका अन्तिम प्रकरण पूरा हुआ। तब मुझे क्या पता था कि अितहासके नामधारी ज्ञानसे होनेवाले अनिष्टके वारेमें मैंने जो बात अिसमें लिखी है, अुसका सवृत अुसी दिन मिल जायगा। अुसी तरह २ॢ-११-४७को अुपसहार लिखते वक़्त भी मुझे क्या पता था कि प० जवाहरलालनी पर सारा भार डालकर गांधीजीको अितनी जल्दी विदा होना पड़ेगा? कौन कह सकता है कि भविष्यके

गर्भमे क्या छिपा है? मगर अिस वज्रपात जैसी घटनाके बावजूद, 'अुपसहारा के अन्तमें मैंने जो आशा प्रकट की है, वह अभी भी क्रायम है। अितना सच है कि गांधीजीके रास्ते शायद दूसरोंको भी जाना ज़रूरी हो जाय। जिज्ञानका अेक वाक्य है :

“ अगर हम केवल सत्य और नग्न सत्य ही पाँच मिनट तक कहेंगे, तो हमारे सारे मित्र हमें छोड़ देंगे, अगर दस मिनट तक कहेंगे, तो हमें देश निकाला दे दिया जायगा, और अगर पन्द्रह मिनट तक कहेंगे, तो हमें फाँसी दे दी जायगी। ” ( मिम बारबारा यंगके ' विस मैन फ्रॉम लेवेनॉन ' मेंसे )

और तिसपर भी मानवजाति और मानवतापर मेरी श्रद्धा है। और वह किसी अेक ही देश या कालके लोगों तक सीमित नहीं है। मैं कभी बार कह चुका हूँ कि पूर्वकी सस्कृति और पश्चिमकी सस्कृति, हिन्दू सस्कृति, मुस्लिम सस्कृति वगैरा भेद मुझे महत्वपूर्ण नहीं मालूम होते। मानव-प्रजामें सिर्फ दो ही सस्कृतियाँ है : भद्र सस्कृति और सत सस्कृति। दोनोंके प्रतिनिधि सारी दुनियामें हैं। जिस हद तक सत 'सस्कृतिके अुपासक निष्ठा और निर्भयतासे बरतेंगे, अुसी हद तक मानवजातिके सुखकी मात्रा बढ़ेगी।

वर्धा,

९ फरवरी, १९४८

किशोरलाल मशरूवाला

## विषय-सूची

निवेदन

३

### भाग पहला धर्म और समाज

१.	दो विकल्प	३
२.	धार्मिक क्रान्तिका सवाल	६
३.	क्रान्तिकी कठिनाभियॉ	१०
४.	पाँच प्रतिपादनोंमेंसे पहला	१४
५.	दूसरा प्रतिपादन	१९
६.	तीसरा प्रतिपादन	२२
७.	चौथा प्रतिपादन	२६
८.	पाँचवाँ प्रतिपादन	३१
९.	प्रचलित धर्मोंका एक सामान्य लक्षण	३९
१०.	धर्मोंद्वारा खदे किये हुअे विघ्न	४१
११.	भाषाके प्रश्न-पूर्वार्ध	४९
१२.	लिपिके प्रश्न - पूर्वार्ध	५४
१३.	अकता और विविधता	५८

### भाग दूसरा

#### आर्थिक क्रान्तिके सवाल

१	चौथा परिमाण	६५
२	चरित्र निर्माण	६८
३.	दीर्घ व अल्पकालीन योजनाये	७२
४	धन वृष्टानेके साधन	७६

५.	चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग	८२
६.	वादोंकी अुलझन	८७
७.	फुलसतवाद	९४
८.	आर्यिक क्रान्तिके मुद्दे	१०६

### भाग तीसरा

#### राजकीय क्रान्ति

१.	कुर्आं और हीज	११४
२.	राजकीय हलचलें और प्रथाये	११५
३.	चुनाव	११९
४.	सार्वजनिक ओहदे और नौकरियों	१२३

### भाग चौथा

#### तालीम

१.	सिद्धान्तोंका निश्चय	१३३
२.	भाषाके प्रश्न—अुत्तरार्ध	१३९
३.	लिपिका प्रश्न—अुत्तरार्ध	१४६
४.	अितिहासका ज्ञान	१५०
	अुपसहार	१५५

प्यारे साथियोंको





# जड़मूलसे क्रान्ति

भाग पहला

धर्म और समाज



## दो विकल्प

लम्बे अरसेसे मैं मानता आया हूँ और कभी वार कह भी चुका हूँ कि हमे अपने अनेक विचारों और मान्यताओंको जड़मूलसे सुधारनेकी ज़रूरत है। हमारे क्रान्ति सम्बन्धी विचार ज्यादातर अूपरी सुधारों तक ही सीमित हैं, मूल तक नहीं जाते। अिनमेसे कुछ विचारोंको यहाँ मैं व्यवस्थित रूपमे पेश करनेकी कोशिश करूँगा।

सबसे पहले मैं अपने धार्मिक और सामाजिक रचना सम्बन्धी विचारोंको लेता हूँ, हमें नीचे दिये हुअे दो विकल्पोंमेसे किसी अेकको निश्चित रूपसे अपना लेना चाहिये।

१. या तो मि सजाना वगैरा टीकाकारोंके मतानुसार हमें मान लेना चाहिये कि जाति-भावना अेक अैसा सस्कार और अेक अैसी सस्था है, जो हिन्दू-समाजमेंसे कभी हट नहीं सकती। जातिहीन हिन्दू-समाजकी रचना होना असम्भव है। अिसलिअे अिस हकीकतको मानकर ही हमे देशकी राजकीय वगैरा व्यवस्थाओंपर विचार करना चाहिये। मनु आदि स्मृतिकारोंने अैसा ही किया था। अुनकी कोशिश अेकको अलगा अलग रखकर अुनमे अेक किस्मकी अेकता कायम करनेकी थी। हिन्दुस्तानपर मुसलमानोंका आक्रमण होनेसे पहले असा करनेमे कोअी कठिनाअी नहीं हुअी। अिसके दो कारण थे : अेक तो तब तब अितना विगाल और समृद्ध था कि सबको अलगा अलगा रखकर अुन्हे जीनेकी सुविधा दी जा सकती थी। आजकी तरह वह जस्ूरतसे यादा आगद और गोपित नहीं था, और दूसरे, मुसलमानोंके आनेसे पहले यन्के सभी देशी या विदेशी समाज अनेक देवी देवताओं और यज्ञोंकी अासना करनेवाले थे। अिसलिअे पचास देवताओंके साथ अिवकावनवें वको मान्यता देने और अेक या दूसरे मुख्य देवमे अुसका किसी तरह

समावेश कर लेनेमें ज्यादा कठिनायी नहीं होती थी । तब देश अितना विगल था कि सभी जातियाँ अपने अपने पाकिस्तान बनाकर रह सकती थीं ।

अनेक देवोंकी अुपासना और जातिभेद अेक दूसरेसे निकट सम्बन्ध रखते हैं । अनेक देवोंमें अेक ही देवको देखने और अनेक जातियोंमें अेक ही हिन्दू-धर्म या सिर्फ चार ही वर्ण देखनेकी कोशिश बुद्धिका समाधान मात्र है । व्यवहारमें अिसपर अमल होते नहीं देखा गया । बुद्धने अिस व्यवस्थाको जड़से ही बदलनेकी कोशिश की, मगर बौद्धधर्ममें महायान पथ कायम करके हिन्दुस्तानने बौद्धधर्मको ही कमजोर बना डाला ।

या फिर यह मानकर कि यह चीज़ हमारे रोमरोममें समायी हुयी है, हम अिसमेंसे ही अपना रास्ता निकालनेका निश्चय करें । यानी, सामाजिक व्यवहारोंमें, अेक दूसरीसे कम ज्यादा अलग रहनेवाली अेक नहीं, बल्कि अनेक छोटी छोटी जातियोंको हम लाजमी मानें और अिन सबकी अिच्छायें पूरी करनेके लिये कयी तरहके पाकिस्तान, अलग अलग मतदार-मडल और संख्यानुसारी प्रतिनिधि वगैरा बनायें ।

अैसा हो ही नहीं सकता, सो बात नहीं है । मगर हमें अिसके परिणामोंके लिये भी तैयार रहना चाहिये । हमें समझ लेना चाहिये कि अैसा करनेसे देश ज्यादा ताकतवर और सगठित नहीं हो सकेगा और अुसे छोटे छोटे राज्योंमें टुकड़े टुकड़े होकर जीना पड़ेगा । अलावा अिसके, कुछ समय बाद नामधारी अँची जातियोंकी वैसी ही हालत होना सम्भव है, जैसी आज यहूदियोंकी हो रही है । नीच मानी जानेवाली जातियाँ आगे पीछे अिस्लाम या अीसाअी धर्म स्वीकार कर लेनेमें ही अपना फायदा देखेंगी । अँची जातियाँ अगर राजकीय महत्वाकांक्षा छोड़कर अपने बुद्धि-बलसे सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी नौकरियों करने और व्यापार करनेमें ही सन्तोष मानेंगी, तो सुखसे जी सकेगी और अुनके अलग चीकों और देवपूजाओंमें अुन्हे कोअी हैरान करने नहीं जायेगा । जिस तरह अीरान, अरबस्तान आदि देशोंमें आज भी कयी हिन्दू रहते हैं, अुसी तरह वे रहेंगी । और अगर वे अैसा नहीं करेंगी, तो यहूदियोंकी तरह अपमानित होकर अुन्हें जहाँ-तहाँ भटकना होगा । जैसे जैसे नीची जातियाँ जाग्रत होती जायेंगी, वैसी वैसी अपने अँचेपनका अभिमान रखनेवाले लोगोंको पीछे हटना ही होगा ।

अच्छी जातियोंके लिये' अेक दूसरा रास्ता भी है । वह यह कि जबरदस्त कोशिश करके वे अपनी अेक फासिस्ट सस्था बनाये और दूसरी सभी जातियों, धर्मों वगैराको दबाकर अपनी त्रिवर्णशाही कायम करें । मैं मानता हूँ कि दिल्ली गहराओमे अैसी वृत्ति रखनेवाला वर्ग हमारे बीचमें मौजूद है । राजाओं, ब्राह्मण पण्डितों, व्यापारियों और बड़े किसानोंका अगर वग चले, तो मुमकिन है कि वे अैसा ही करें ।

जो लोग अिस विकल्पको पसन्द करके वैसा हिन्दुस्तान बनानेके लिये तैयार हं, उनका रास्ता अिस तरह साफ है । वे अिस मकसदको सामने रखकर दूसरी किसी बातका विचार किये बिना काम कर सकते हैं ।

२. मगर जिन्हें यह विकल्प और उसके परिणामोंपर पहुँचना मजूर न हो, उनके लिये यह ज़रूरी है कि वे पहले विकल्पको अितने ही निश्चयके साथ अपनाये और उसके अुपायोंमे दृढ़ताके साथ ल्हा जायें । वे अुपाय ये हैं : अपने खूनमेंसे जाति-भावनाके सत्कारको और समाजमेंसे जाति-सस्थाको नाशद करना, और अैसी क्रान्ति निर्माण करना कि सारी हिन्दी जनता अपनेको अेक अखण्ड और समान दरजेवाली मानव-जाति मानने ल्गे और अुसी तरह व्यवहार करने ल्गे ।

अैसी क्रान्ति लानेके लिये क्या करना लाजमी है, अिसपर हम अब विचार करेंगे ।

## धार्मिक क्रान्तिका सवाल

कभी बरसोंसे मैं कहता आया हूँ और मेरी यह मान्यता ज्यादा ज्यादा मजबूत होती जाती है कि आजका एक भी धर्म — हिन्दू, मुसलमान, आीसाजी, सिक्ख, बौद्ध, जैन वगैरा — मानवसमाजकी मौजूदा समस्याओंको हल करने लायक नहीं रहा । सभी बेजान बने हुअे हैं, और किसीका उसके मूल रूपमे जीर्णोद्धार करनेपर भी वह मौजूदा समस्याओंको हल नहीं कर सकता । अिस मामलेमे हिन्दू-धर्म सबसे ज्यादा बेजान और भ्रमोंको दूर करनेमे अयोग्य है ।

मेरा विश्वास है कि मनुष्यके या समाजके जीवन और कारवारोंमें जड़मूलसे क्रान्ति करनी हो, तो सबसे पहले उसकी धार्मिक मान्यताओंमें परिवर्तन करनेकी जरूरत है । अगर आप किसी व्यक्तिको ऐसी सामाजिक रूढियाँ तोड़नेके लिये कहे, जो ल्याभग धार्मिक रूढियों जैसी हों, तो वह अपने पुराने धर्मसे चिपके रहकर ऐसा नहीं कर सकेगा । मगर मुसलमान या आीसाजी बन जानेपर, या किसी नये गुरु या सम्प्रदायका शिष्य हो जानेपर, वह दूसरे ही क्षण पुराने विचारों और बन्धनोंको तोड़ डालनेमे समर्थ हो जाता है । पुराने सनातन धर्मपर हमारी जिस हद तक अश्रद्धा हुअी है, उसी हद तक हम भी अस्थिरतानिवारण, सहभोजन, अन्तर्जातीय या प्रान्तीय या धार्मिक विवाह वगैराके लिये तैयार हो सके हैं । और जहाँ हमारी मान्यताअे अुन पुरानी रूढियोंके रटमे ही पड़ी है, वहाँ हम जातीय या साम्प्रदायिक मेलजोल पैदा करने वगैराके बारेमे तथा दूसरे बहुतेसे सामाजिक और आर्थिक फेरफार करनेके बारेमें जवरदस्त कदम नहीं अुठा सकते । सिर्फ सर्वधर्म-समभाव या सर्ववर्ण-समभावकी भावना करके यह कहना कि मैं हिन्दू होते हुअे मुसलमान भी हूँ, आीसाजी भी हूँ, ब्राह्मण होते हुअे भगी हूँ, मुत्सद्दी होते हुअे किसान हूँ — सिर्फ अूपरी कोशिश मात्र है । यही आदमी अगर संचमुच ही मुसलमान या आीसाजी बन जाय,

या भगिनसे शादी करके भगीका धन्धा करने लगे, तब उसे 'जूता कहाँ काटता है' इस बातका जो अनुभव होगा, वह हमें नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिश अपने हिन्दुत्व, ब्राह्मणत्व वर्गोंको सुरक्षित रखकर दूसरोंके साथ मेल बैठानेकी होती है। उनके गैरहिन्दू और गैरब्राह्मण होनेकी भावना हमारे दिमागसे दूर नहीं हो सकती।

एक दिन नागपुर जेलमें मेरे एक साथी श्री बाबाजी मोघे पिछड़ी हुयी जातियोंकी सेवा और उनके अुद्धारके बारेमें मुझसे चर्चा कर रहे थे। चर्चके दौरानमे अुनके मुँहसे मराठीमें नीचे लिखे आशयका वाक्य निकल पड़ा: "कभी वार मुझे ऐसा लगता है कि अिन लोगोंके वहम और अन्धश्रद्धाओं दूर करनेके लिये अिन्हें मुसलमान हो जानेकी सलाह देनी चाहिये।" श्री बाबाजीके मुँहसे यह विचार निकलना बहुत सोचने जैसी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अुनको यह विश्वास हो गया है कि हिन्दू-धर्मके बजाय अिस्लाममें वहमों और अन्धश्रद्धाओंको हटानेकी शक्ति ज्यादा है। और यह बात बहुत हद तक सच भी है। लेकिन यह भी समस्याका सच्चा हल नहीं है। क्योंकि अिस्लाम भी भ्रमों — वहमों — अन्धश्रद्धाओं और संकुचिततासे परे नहीं है और न आजकी मानवी समस्याओंको हल करनेमें समर्थ है। साथ ही पूरे कुरानको जैसेका तैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद अिस्लाम स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं, तो किसी दूसरेको यह सलाह कैसे दे सकते हैं? और अिस्लाममे सरलता और सीधी दृष्टिके होते हुअे भी बहुतसी ऐसी बातें हैं, जिन्हें हमारी विवेकबुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। यही हाल आीसाओी वगैरा धर्मोंका है।

हम, हिन्दू लोग, जिन्दगीपर एक अजीब किस्मकी बौद्धिक कसरत करनेके आदी हो गये हैं। एक तरफसे हमारी फिलॉसफी ठेठ अद्वैत वेदांतकी है। इस रटमें बुद्धिको रखकर जब हम विचार करते हैं, तो दुनिया झूठी, देव झूठे, गुरु-शिष्य झूठे, विधि-निषेध झूठे, पाप पुण्य झूठे, नीति-अनीति, हिंसा-अहिंसा, सत्य-झूठ सबको झूठे झूठे कह डालते हैं। और इससे निकलकर जब दूसरी रटपर चलते हैं, तो गोत्रदेवता, ग्रामदेवता, गुरुदेवता, पितृपूजा, ग्रहपूजा, अवतारभक्ति, अलग अलग त्योहारोंकी



अलगा अलगा देवपूजा, श्रुति-स्मृति-पुराण-आगम-निगम-मन्त्र-तत्र-कुरान-बाइबल वगैरा सबका समर्थन करने लाते हैं। जिसमें हमें दूसरे मतोंके प्रति सहिष्णुता या रवादारी रखने भरसे सन्तोष नहीं होता। हम सर्वमत समभाव—और सर्वमत ममभाव—तक पहुँचते हैं। अनेक देवताओंवाले समाजका अनेक जातियों और छोटे छोटे भौगोलिक विभागोंमें बँटे रहना स्वाभाविक है। काफी विचार करनेके बाद मैंने महसूस किया है कि हमारे समभाव या ममभावका मतलब 'श्रद्धालु नास्तिकता' के सिवा और कुछ नहीं है। किसी चीज़की अच्छाजी या उसके अस्तित्वमें भले हमारी श्रद्धा न हो, हम उसे चाहे भिन्सानकी कोरी कल्पना या गैरकुदरती चीज़ मानते हों, फिर भी उसके छोड़नेमें डर, या परम्परा जारी रखने या कलाकी कदर करनेके लिये उसे पकड़े रखनेका मोह ही हमारी अुपासनाका स्वरूप हो गया है। जिसमें न तो सत्यकी अुपासना है, न निष्ठाकी सरलता और न अनन्यता।

अगर हमें हिन्दू-समाजको और हिन्दू-जनताको अूपर अुठाना है, तो नीचे दिये हुए सिद्धान्तोंको स्वीकार करनेका साहस हमें करना ही चाहिये :

१. अेक सब जगह फैले हुए (सर्वव्यापक), सबपर काबू रखनेवाले (सर्वनियता) परमात्माके सिवा दूसरे किसी देव, ग्रह, पितृ, अवतार, गुरु वगैराकी या अुसकी मूर्ति या प्रतीककी अुपासना-पूजा-मन्दिरस्थापना वगैरा न की जाय। और जिस बातका आग्रह रखा जाय कि किसी नाम-रूपात्मक सच्चे या काल्पनिक सत्त्वको अीश्वरकी बराबरीमें या अुसके साथ नहीं रखा जा सकता।

२. कोअी भी शास्त्र-वेद, गीता, कुरान या बाइबल भी अीश्वरके बनाये हुए या अीश्वरकी वाणी नहीं हैं। किसी ग्रन्थको जिस तरह प्रमाण-रूप न माना जाय कि अुसके वचनोंको अपनी विवेकबुद्धिपर कसा ही न जा सके।

३. किसी मनुष्यको अीश्वर या पैगम्बरकी कोटिमें न रखा जाय। किसीको अस्वलनगील, यानी जिसके विचार या बरतावमें भूल हो ही नहीं सकती, अैसा न माना जाय। और जिससे अुसका हरअेक काम शुद्ध, दिव्य, और श्रवण-कीर्तनके लायक ही है, अैसा न समझा जाय।

सामान्य जनताके हितको दृष्टिमें रखकर जो कमसे कम सदाचारके नियम ठीक समझे जाते हों, उन्हें तोड़नेका किसीका अधिकार न माना जाय और किसी व्यक्तिकी विशेष पवित्रताके कारण तो उसका यह अधिकार हरगिज़ न माना जाय। यह कोअी नयी बात नहीं कि बुरी वृत्तिके लोग सदाचारके नियमोंका भंग करेंगे, अिसके लिअे समाज अपने ढंगसे अिसे रोकेगा और अैसे लोगोंको सजा भी देगा। नेक वृत्तिके लोग अिन नियमोंका ज्यादा सावधानीसे पालन करेंगे और अुनकी सीमाको लांघनेकी अिच्छा तक न करेंगे। अिसलिअे अगर महात्मा पुरुषोंने समाजके हितके खिलाफ आचरण किये हों, तो अुन्हें ढँकनेकी कोशिश न की जाय, बल्कि यह साफ कहा जाय कि वे अुनकी कमज़ोरियाँ ही थीं। अिसलिअे अैसे चरित्रोंकी तारीफमें पद, भजन वगैरा न बनाये जायें। अुनका कीर्तन न किया जाय, और न साहित्यमें अैसी अुपमाओं, रूपक वगैरा अल्कारोंका अुपयोग किया जाय। जैसे कि कृष्णकी शृंगारलीला वगैरा।

४. अन्तमें, वही समाज और वही परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी तरक्की करता और सुख पाता है, जो निरलस होता है, कचन-कामिनीके बारेमें नियताचारसे (परहेजके साथ) काम लेता है और खुराकमें तथा सफाअी रखनेमें नियमोंका पालन करता है। राजनीतिके साम-दान आदि अुपाय, धर्मके व्रत तप और अुपासना, समाजके विवाह और विरासतके नियम, आर्थिक रचना और लेनदेनके कायदे — सबका आखिरी मकसद यही हाना चाहिये कि वे प्रजाको निरलस (आलस न करनेवाली, मेहनती), नियताचारी (परहेजसे रहनेवाली), तन्दुस्त, और पवित्र जीवन गुजारनेवाली बनानेके लिअे सहूलियतें पैदा करें। यही धर्मकी बुनियाद है। अिन गुणोंके पोषक नियमों, सस्थाओं और परिस्थितियोंका निर्माण करना और अिनसे सम्बन्ध रखनेवाले सयोंको खोजना ही सारी प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य होना चाहिये। अिस तरहके नियमोंका पालन करनेसे ही पिछड़ी हुअी जातियाँ आगे आवेंगी और अुनमेंसे भी जितने व्यक्ति जितनी पीढ़ियों तक अुनका पालन करेंगे, अुतने ही वे अूँचे अुठेंगे। अिन नियमोंका भंग करनेसे ही आगे बढ़ी हुअी जातियोंका पतन हुआ है। जिन पीढ़ियोंमें ये गुण रहेगे, अुनकी दुर्दशा नहीं होगी।

५. बुद्धने कहा था : बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि और सघं शरणं गच्छामि । मैं यों कहूँगा कि, अनेक परमेश्वरका आश्रय लो, धर्मका आश्रय लो, और दूसरे लोगोंके सदाचार— धर्मयुक्त आचरण—का आश्रय लो । परमेश्वरके सिवा दूसरे किसी देव-देवता-दैवतका आसरा न लिया जाय, किसी भी पैदा हुअे या काल्पनिक गुरु, माता या पिता या दूसरे पूज्य व्यक्ति या प्राणियोंको परमेश्वर या परमेश्वरके द्वारा भेजे हुअे या उससे खास प्रेरणा पाये हुअे न समझा जाय, अधमका आचरण न किया जाय; और किसी भी व्यक्तिके (वह चाहे जितना बड़ा हो) जैसे आचार, जिनके ठीक होनेमे सन्देह है, प्रमाण न माने जायें और न उनका बचाव किया जाय ।

जिस बातपर हमे विचार करना है वह यह है कि हम हिन्दू-धर्मका सिर्फ सुधार करना चाहते हैं, या मानव-धर्मका नया स्वरूप करके हिन्दू-समाजमे क्रान्ति करना चाहते है ।

१०/११-८-४७

३

## क्रान्तिकी कठिनाइयाँ

पिछले परिच्छेदमे प्रगट किये गये विचारोंके रास्तेमे जो बहुतसी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ है, उनपर भी विचार कर लेनेकी जरूरत है ।

पहले तो आखिरमे दिये हुअे पांच प्रतिपादनोके सच और मौजू होनेके बारेमे हमे खुदको यकीन होना ही आसान नहीं है । कभी लोगोंको अिसमे 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंका निषेध मालूम होगा; कभीको अपनी अपनी मर्जीके मुताबिक अुपासना करनेकी आज्ञादीपर आघात होता जान पड़ेगा, कुछको विविधतामे अेकता देखनेकी अुदार दृष्टिका विरोध दिखायी देगा, सगुण-निगुण, अतैतिसिद्धि, समदृष्टि आदिकी अनेक हरकतें पेश की जावेंगी । हमें अिन सारी बातोंका खुलासा करना और उन्हें लोगोंको समझाना होगा ।

मान लीजिये कि लोगोंको समझानेमें हम सफल होते हैं, तो बादमें आचारकी कठिनाधियां खड़ी होंगी। हजारों अल्मारियां भर सकें, अितना विगाल हमारा देव गुण-पूजा और भक्तिका साहित्य, पूजा और यगोंकी लुभावनी विधियां, हजारों मन्दिर, उनकी वेद्युमार सम्पत्ति वर्गाराका विसर्जन करनेके लिये कहनेकी यह बात है। अिन सके प्रति रहनेवाला मोह, अिनपर रहनेवाली हमारी श्रद्धा, कला और सुन्दरताकी भावना किस तरह छूट सकती है? यह बात अपने हाथों अपने शरीरकी चमड़ी उतारने जैसी कठिन है। प० जवाहरलाल जसे बुद्धिसे अीश्वरके बारेमें नास्तिकभाव रखनेवाले व्यक्तिको भी कमला नेहरू अस्पतालके रात मुहूर्तके वक्त और अिन्दिराकी शादोमें सारे बंटिक कर्मकाण्ड करानेमें रूण मालूम हुआ। मक्काकी मस्जिदमेंसे ३६० देवताओंको हटाते वक्त मोहम्मद साहबको जितनी कठिनायी हुअी होगी, उससे हजार गुनी कठिनायी अिस काममें है।

यह होते हुअे भी, जब अिन्सानकी धर्म बदलनेमें श्रद्धा होती है, तब अैसा करनेकी उसमें ताकत आ जाती है।

मगर यह तो जब हो, तबकी बात रही। मवसे पहले अैसे विचारोंके प्रचारकको यह समझ लेना चाहिये कि अिससे जवरदस्त सामाजिक कलह पैदा होना समभव है। अीशुके कहे मुताबिक अिसमें मां-बाप और लड़कोंके बीच, पति-पत्नीके बीच, भाअी-भाअीके बीच झगडा हो सकता है। क्रान्तिकारी भले अहिंसक रहे, धमामावसे सब कुछ सहता रहे, मगर स्वार्थको धक्का लगनेके कारण या प्रचलित मान्यताकी सच्चाअीमें जवरदस्त श्रद्धा होनेके कारण यह बात अिसके गले न अुतरे, उसके बारेमें यह विद्वानपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह भी अहिंसक तरीकेसे ही विरोध करेगा। बीड, अिस्लाम, अीसाअी या हमारे देशके सामान्य क्रान्तिकारी सम्प्रदाय चलानेवालोंको जैसे जुल्मों और मुसीबतोंका सामना करना पडा, वैसे ही अिसे भी करना पड़े।

सिर्फ यह ऋडुवा घुँट तभी गलेसे नीचे अुतर सकता है, जब यह समझ लिय्या जाय कि क्रान्तिकारीकी किस्मतमें ही यह चीज लिखी होती है।

मगर अितनेसे ही कठिनाधियोंका अन्त नहीं हो जाता। सारी मुश्किलोंका सामना करनेके बाद भी यह योजना हिन्दुस्तानमें कभी सफल हो सकती है या नहीं, अिसमें शक ही है।

बौद्ध-धर्मको किस तरह तिलांजलि मिली, अिसे सब कोअी जानते हैं । अीसाअी और अिस्लाम-धर्मका कोअी बहुत प्रचार हुआ हो, अैसा नहीं कहा जा सकता; और हिन्दू-धर्मके सहवासमे अुनका स्वरूप भी कम-अ्यादा मात्रामें हिन्दू-धर्म-मिश्रित बन गया है । खोजा वर्गारा सम्प्रदायोंको तो अेक किस्मके खिचड़ी सम्प्रदाय ही कहा जा सकता है । सभी धर्मोंके अेक किस्मके महायान स्वरूप बने हैं । सिक्ख-धर्मकी भी यही हालत हुआी । यह जात पांतके भेदोंसे भरा हुआ हिन्दू-धर्मका ही अेक पथ है । कबीर वर्गाराकी कोशिअे छोटे छोटे पथ बनकर रह गअीं, और वे भी अुनके शुद्ध रूपमे नहीं । हिन्दू-धर्म अैसा महान् समुद्र है कि सैकड़ों मीठे पानीकी नदियां भी अुसके खारेपनको दूर नहीं कर सकतीं, अुल्टे मुखपर पहुँचकर खुद ही खारी हो जाती हैं, और मुँहसे यह आश्चर्य-वाक्य बरबस निकल पड़ता है कि — “सब नदियां जल भरि-भरि रहियां, सागर किस विध खारी ?”

अिस क्रान्तिके परिणाम स्वरूप अगर अैसा अेक छोटासा नया पथ ही बनकर रह जाय, तो अ्यादा समझदारी अिसमे होगी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाय और छोटे-मोटे सुधारों तक ही अपना मकसद सीमित रखा जाय ।

मगर अैसा माननेवालेको दूसरे धर्मोंके प्रति सहिष्णुता रखकर ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिये । अुसे न तो सर्वधर्म समभाव, या ममभाव-जैसे बड़े बड़े सूत्र पेग करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे अुनकी अपेक्षा रखनी चाहिये । अलग्नां अलग्नां धर्मोंके थोड़े वाक्य लेकर अुनका पाठ करके खिचड़ी अुपासना करनेकी भी कोशिश न की जाय । अिसकी ज़रूरत ही नहीं है । अुसे कमसे कम अितना तो ज़रूर करना चाहिये कि अेक देव, अेक गुरु, अेक शास्त्रका आसरा लिया जाय और दूसरेके झगड़ेमे न पड़ा जाय । “अेको देवः केगवो वा शिवो वा ।” “अेक गुरुका आसरा, अेके गुरुसे आस ।” “चाहे कोअू शोरे कहो, चाहे कोअू कारे, हम तो अेक सहजानद रूपके मतवारे ।” — अैसी वृत्ति रखी जाय । दूसरे मतका स्वीकार नहीं, तो निन्दा भी नहीं । जिसे जो अच्छा लगे, अुसे माने, मुझे यह अच्छा लगता है, अितना काफी है ।

मेरा खयाल है कि वैष्णवाचार्योंकी यह अनन्योपासनाकी विचारसरणी सनातनी खिचड़ी अुपासनासे ज्यादा अच्छी है ।

अिसकी मर्यादाएं भी समझ लेनी चाहियें । अिसके साथ किसी न किसी रूपमें जाति-सत्थाकी जड़ें रहेगी न । जाति-भावनासे रहित समाज कायम ही नहीं किया जा सकेगा । ज्यादासे ज्यादा अिसका अेक ढीले और मामूली ताकतवाले सधके रूपमें ही अेकीकरण हो सकता है । जो लोग बहुत ताकतवर केन्द्रीय सत्तामें विश्वास नहीं करते — और बापूजीकी अैसे लोगोंमें गिनती की जा सकती है — अुनकी दृष्टिसे अिसे अिष्टापत्ति" कहा जायगा । मगर फिर जात-पॉत तोड़नेकी बात छोड़ देनी चाहिये । आजकी जातियाँ तोड़कर नअी जातियाँ बनानेकी बात भले कहें, मगर यह मानकर चलना चाहिये कि हिन्दू-समाज किसी न किसी तरहकी जाति-व्यवस्था बनाकर ही रहेगा । और अुस हालतमें किसी न किसी प्रकारके धर्म और जातिभेदके आधारपर बने हुअे राजकीय पक्ष और प्रतिनिधित्वका स्वीकार भी करना पड़ेगा और किसी न किसी तरहके पाकिस्तानके लिये भी तैयार रहना पड़ेगा ।

यानी, जैसा कि शुरूमें कहा गया है, हमें दो विकल्पोंमेंसे अेकको स्थिर चित्तसे मजूर कर लेना चाहिये । अगर पहले विकल्पको मजूर करना है, तो दूसरेसे पैदा होनेवाले फल नहीं मिलेंगे और दूसरेके फलोंकी अिच्छा है, तो पहलेको लेकर नहीं चल सकते ।

हिन्दू-समाज और हमारे जैसे सेवा करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको अिसपर विचार करके जो अुचित हो, अुसे मजूर करनेका फेरसला करना चाहिये, और अुसमें फिर ढाँवाँडोल वृत्ति नहीं रखनी चाहिये ।

१२-८-४७

\* किसी दलील करनेवालेकी दलीलमें मामनेवाले द्वारा बताया हुआ अेसा दोष जो दलील करनेवाला मजूर कर ले और अुसे अपनी खबीके तौरपर समझा दे ।

## पाँच प्रतिपादनोंमेंसे पहला

दूसरे परिच्छेदमे जो पाँच प्रतिपादन पेश किये गये हैं, उन्हें माना जा सकता है या नहीं, इसपर मैं यहाँ विचार करना चाहता हूँ ।

### पहला प्रतिपादन

मानो परमात्मा अक केवल ।  
 न मानो देव देवता-प्रतिमा सकल ॥  
 न मानो कोअी अवतार गुरु-पैगम्बर ॥  
 मानो जानी विवेकदर्शी केवल  
 सब सदगुरु-बुद्ध-तीर्थंकर ।  
 न कोअी सर्वज्ञ अस्वल्लभगील ।  
 भले अँचा रहवर ॥

जो भगवानके अस्तित्वमे ही विश्वास नहीं करते या जो उसके सहारेकी जरूरत ही नहीं समझते, उनके बारेमे यहाँ विचार करनेकी जरूरत नहीं है । क्योंकि उन्हें तो 'मानो परमात्मा अक केवल' के सिवा बाकीके सब प्रतिपादन मान्य ही रहेंगे । मगर जो लोण भगवानको मानते हैं, उन्हें बाकीके चरण मान्य रहेंगे ही, अँसी बात नहीं है । क्योंकि अिन्हें माननेमे धार्मिक क्रान्ति — धर्मान्तर जैसी बात होती है ।

<sup>१</sup>सर्वं खल्विद ब्रह्म, <sup>२</sup>तत्त्वमसि, <sup>३</sup>अयमात्मा ब्रह्म, <sup>४</sup>सोऽहम्, <sup>५</sup>शिवोऽहम्, <sup>६</sup>तद्ब्रह्म निष्कल्महम्, <sup>७</sup>वासुदेवः सर्वम्, <sup>८</sup>गुरुः साक्षात् परब्रह्म, <sup>९</sup>यदा यदा हि धर्मस्य . . सम्भवामि युगे युगे, <sup>१०</sup>सिद्ध, <sup>११</sup>सर्वज्ञ, <sup>१२</sup>तथागत, <sup>१३</sup>अीश्वर-प्रेषित, <sup>१४</sup>अीश्वर-पुत्र वगरा विचारोंका इसमे विरोध होता जान पड़ता है ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि अिनमेंसे आठ वाक्य अेकदेशीय सत्य हैं, यानी अनुक्त दायरेमें ही सच है, अुम दायरेसे बाहर अुन्हें लागू करने जायँ, तो वे मुलावेमें डालने हैं और भ्रम पैदा करते हैं । अँसा भ्रम अच्छी तरह पदा हो भी चुका है ।

। अल्पि भेदाऽपरामे नाय तवाऽऽ न मामकीनल्यम्  
सानुद्रो हि तद्ग. क्वचन समुद्रो न तारद्गः ॥  
आदमको खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं ।  
मगर खुदाके नूसे, आदम खुदा नहीं ॥

वर्गवा क्वचन अंपके वाक्योंको गौण करनेवाले ( Modifiers और correctives ) हैं, और यह गौणता अवतार-सद्गुरु-सिद्ध-पैगम्बर वर्गके पदोंका अपनेमें आगेप करनेवाले या अँसी भावना रखनेवाले और अुनके अनुयायी दोनोंको याद रखनी चाहिये । अँसे अँचे 'अवतार', 'ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु', 'सिद्ध', 'बुद्ध' वर्गका स्थान भी भगवानसे गौण है । अेक बड़ा फल तो ब्रह्मसूत्रकारने ही बतला दिया है । अिन्मान चाहें जितना बड़ा योगीश्वर, विगानवेत्ता, सिद्ध, विभूतिमान और प्रकृतिके तत्त्वोंपर काबू रखनेवाला हो, वह गारे समारका निमग्न — अुत्पत्ति-स्थिति-लय नहीं कर सकता । समारकी शक्तियोंके अधीन अँसे रहना ही पड़ता है । अिमके सिवा, वह ब्रह्मकी सारी शक्तियोंको अेक ही धारमें अपनेमें प्रकट नहीं कर सकता । अुमकी सगुणता कभी सर्वगुणता हो नहीं सकती, वह हमेशा अधूरी ही रहती है । सुअी और कुल्हाड़ी दोनों लंहेमें बनी होनेपर भी जिस तरह सुअीके रूपमें रहनेवाला लोहा कुल्हाड़ीकी ताकत नहीं दिखला सकता और कुल्हाड़ीके रूपमें रहनेवाला लोहा सुअीकी ताकत नहीं दिखला सकता, अुसी तरह अिन्मान चाहे आध्यात्मिक अँचाअीकी आखिरी हद तक पहुँचा हुआ हो, फिर भी मानवके रूपमें रहनेवाला ब्रह्म, अमानव रूपमें रहनेवाले ब्रह्मकी शक्तियाँ प्रकट नहीं कर सकता । और जब वह अेक प्रकारकी शक्ति प्रकट करता है, तब दूसरे प्रकारकी शक्ति गायब हो जाती है । गीताकार जैसे भव्य कल्पना करनेवाले कविका विगटपुरुष भी सिर्फ अपनी भयकर, कालरूप विभूतियोंका ही दर्शन कराता है । मगर मचमुचके सत्त्वमें तो जिस वक्त



भयकर सहार चल रहा होता है, घोर अधर्म और हिंसाका साम्राज्य फैला होता है, अुसी वक्त सुन्दरता, धर्म, प्रेम, आदिका सर्जन और पोषण भी होता रहता है । असलिअे अिस्लाम और यहूदी धर्मके अस आग्रहमें काफी औचित्य है कि चाहे जैसी — ज्ञानदशा, शुद्धता या योगसिद्धिकी अँचाअी तक पहुँचा हुआ व्यक्ति हो, अुसे साक्षात् परब्रह्मकी बराबरीमें न बैठाया जाय । हिन्दुओंको यह सत्य मानना और असकी विरोधी मान्यताओंको छोड़ना ही पड़ेगा । अस तरह शुद्ध और साधारण अीश्वरवाचक नामोंकी बराबरीमे देव, देवी, अवतार, गुरु, सन्त वगैराके नाम लेना और अुनके गीत गाना ठीक नहीं है । और जो असमे दोष देखता है, वह अगर असमे भाग लेनेसे अिनकार करे, तो अुसपर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि अुसमे सर्वधर्म-समभावका अभाव है । अिसे वैसा ही समझना चाहिये जैसे कि अहिंसा-धर्म माननेवाला व्यक्ति पशुजन्ममें या अैसी पूजाविधियोंमें शामिल होनेसे अिनकार करे जिनमे मांस, शराब वगैराका भोग लगाया जाता है ।

अिसका यह मतलब नहीं कि यहाँ सगुणोपासनाका विलकुल निषेध किया जा रहा है, या महापुरुषोंके लिअे आदरभाव, भक्ति, या अुनके अच्छे गुणोंका गान करनेकी विलकुल मनाही की जा रही है । यह निर्गुण अुपासना नहीं है । यहूदी और अिस्लाम धर्ममें अीश्वरपर आकारका आरोप करनेकी मनाही है, मगर यह निर्गुण अुपासना नहीं, रामानुजकी भाषामें कहे तो यह 'सकल कल्याणकारी गुणों'का आरोप करनेवाली सगुणोपासना है । रहीम, रहमान, मालिक, रब्, सबको पैदा करनेवाला, कर्णासागर, भक्तवत्सल, सन्मार्गदर्शक, सर्वशक्तिमान, नियामक आदि गुणोंका आरोप अिनको भी मान्य है । मगर रामानुजने अिनके साथ लक्ष्मीनारायण आदि साकार मूर्तियोंकी भी कल्पना की है । और अैसी कल्पनाका अिन्होंने त्याग किया है ।

वेदान्तमें निर्गुण, निराकार शब्दोंने बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है । अुचित शब्द ये होते — सर्वगुणबीज, सर्वगुणाश्रय, सर्वनामरूपका कारण और आश्रय । सारे शुभ और अशुभ गुणोंका, विभूतियोंका और सृष्टिका यही बीज, आश्रय, कारण, गति आदि है । मगर अुनमेंसे श्रेयार्थी मनुष्योंके

लेखे अशुभ और अल्प गुण, विभूतियों और अनुका सर्जन उपास्य या श्रेय नहीं हो सकते। जिसलिखे साधक चिन्तन और उपासनाके लायक गुणों और शक्तियोंको ही पसन्द करता है और चित्तके आदर्शरूप अन्तर्गतके लिखे भगवानकी कल्पना कल्याणकारी गुणों और शक्तियोंके महासागरके रूपमें ही करता है।

कल्याणकारी और प्राप्त करने लायक गुण और शक्तियाँ कौनसी हैं, उसके बारेमें किसी भी देशके भक्तों, श्रेयार्थियों या विचारकोंमें ज्यादा मतभेद नहीं हो सकता। मगर किसी आकारकी सुन्दरता या कल्याण-मयताका आदर्श ठहरानेकी कोशिश की जाय, तो अनेक मत खड़े होते हैं। शुभ और अशुभ गुण और शक्तियाँ कौनसी हैं, इसका निर्णय सब देशोंके, भले लोगोंके अनुभवके आधारपर होता है। मगर श्रेष्ठ आकार कौनसा है, इसके लिखे अनुभवका आधार नहीं मिलता। सिर्फ कल्पना-शीलता और परम्परागत सत्कारका ही इसमें आधार लिया जाता है। आकार और उसकी पूजाओंमेंसे जिसगत उपासनाओं और पंथ पैदा होते हैं। यहूदी और इस्लाम धर्मोंने आकारका अन्त करके जुदी जुदी उपासनाओं और पूजाओं प्रचलित होनेकी सम्भावना कम कर दी। हिन्दू-धर्मने इसे आदर दिया, तो घर घर अलग अलग किस्मके देवताके बने।

अतना जिस परिच्छेदकी शुरूआतमें दिये हुये चौदह वाक्योंमेंसे आठके बारेमें हुआ। अब किसीके अवतार — सिद्ध — सर्वज्ञ — पैगम्बर वगैरा होनेकी मान्यताके बारेमें विचार करे। यह स्पष्ट है कि ये सब कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं हैं। ससारमें बहुत ही ऊँचे — लोकोत्तर — व्यक्ति पैदा होते हैं, उनके अनेक चाहनेवाले और माननेवाले भी बन जाते हैं, लेकिन अन्तर्गत पैगम्बर, अवतार, वगैरा समझनेमें उनके द्वारा निर्मित और परम्परासे पोषित श्रद्धाओंके सत्कारके सिवा इसके पीछे किसी सर्वमान्य अनुभवका आधार नहीं है।

मगर जिन कल्पनाओंने दुनियामे कभी तरहके झगड़े और पथ खड़े किये हैं। परमेश्वर और मनुष्योंके बीच ये लोग पेशवा या प्रधानमंत्री बनाये गये हैं। अंग्लैण्डका राजा कौन है, जिसपर कौनसी झगड़ा नहीं; मगर राज्यमें किसका हुकम चले, कौन प्रधानमंत्री बने और राजाके नाम-

पर हुक्मत करे, जिसपर झगड़े होते हैं। उसी तरह झगड़ा परमेश्वरके बारेमें नहीं, बल्कि जिस बातपर होता है कि किस अवतार—पैगम्बर—गुरु—सिद्ध—बुद्ध वगैराकी आज्ञा—हुक्म—चलें। मनुष्योंने बहुत कुछ अपने अपने राजकीय कारोबार और अिन्तजामके अनुरूप ही अीश्वरकी व्यवस्थाओंके बारेमें कल्पना की है। जिस तरह हमारे यहां बड़े-बड़े ओहदे हैं, जेल है, पुलिस है, उसी तरह हमने भगवानके शासनमे भी देव, फरिश्ते, स्वर्ग, वैकुण्ठ, गोलोक वगैरा धाम, और उत्पत्ति, पालन, प्रलय वगैराके लिये अलग अलग मन्त्री, यमदूत और नरककुड आदि माने हैं।

जिसलिये हमें अिन सारी काल्पनिक अुपासनाओंका हृदयपूर्वक त्याग करना चाहिये। और सिर्फ अितना ही ध्यानमे रखना चाहिये कि—

मानो परमात्मा अेक केवल ।  
 न मानो देव-देवता-प्रतिमा सकल ॥  
 न मानो कोअी अवतार-गुरु-पैगम्बर ॥  
 मानो शान्ति-विवेकदर्शी केवल  
 सब सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थकर ।  
 न कोअी सर्वज्ञ-असखलनशील ।  
 भले अूँचा रहबर ॥

## दूसरा प्रतिपादन

न कोअी शास्त्रका वक्ता परमेश्वर ।

न कोअी विवेकके क्षेत्रसे पर ॥

पहले प्रतिपादनको मान लेनेके बाद दूसरेको स्वीकार करनेमें ज्यादा मुश्किल नहीं मालूम होनी चाहिये । फिर भी मुमकिन है थोड़ी मुश्किल जान पड़े । कभी बार मनुष्योंके मुँहसे, और खास करके परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुँहसे, जैसे लोकोत्तर वचन निकल पड़ते हैं कि अगर वे सोच-विचार कर कहना चाहते, तो नहीं कह सकते । वे खुद भी नहीं बतला सकते कि अन्हें जिस तरह बोलना कैसे आया, और दूसरोंको भी जिसमें आश्चर्य मालूम होता है । बोलनेवाले और सुननेवाले दोनोंको लगता है कि जिन वाक्योंका कर्ता कोअी और ही है । मानो कोअी अन्तर्यामी उनसे बुलवा रहा है । ये वाक्य अगर अीश्वर-तत्त्वके बारेमें, मनुष्योंके धर्मके बारेमें, या किसी खास प्रश्नके बारेमें हों, और अन्हें सुनते ही उस ज्ञमानेके लोगोंकी कोअी समस्या हल होती हो, तो अुसे अीश्वरकी आज्ञा या अीश्वरप्रेरित वाणी माननेका दिल हो जाता है । और अगर वह कोअी भविष्यवाणी हो और आगे चलकर बिल्कुल सच निकले, तो अीश्वरके साथ अुसका सम्बन्ध जोड़ते देर नहीं लगती ।

गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि लोकोत्तर वाणी या दूसरोंके मनमें विश्वास पैदा करनेवाले सत्यवचन सिर्फ परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुँहसे ही निकलते हैं, ऐसा हमेशा देखनेमें नहीं आता । कभी बार अज्ञान बालकोंके मुँहसे, किसी वक्रत पागल जैसे लगनेवाले लोगोंके मुँहसे और कभी कभी नशेमें चूर मनुष्योंके मुँहसे भी लोकोत्तर सत्य निकल पड़ते हैं । जिसलिये अपने मन और विवेककी शुद्धिके लिये लगातार कोशिश करनेवाले और मानव समस्याओंकी गहराअीमें अुतरकर उनका अध्ययन करने और उनपर विचार करनेवाले, परमेश्वर-परायण या तद्विद्या-परायण मनुष्योंके मुँहसे अगर जाने या अनजाने लोकोत्तर सत्य मत

ज्यादा प्रमाणमे निकले, तो जिसमे आदत्तकी कोअी बात नहीं है। मगर जिस तरह प्रकट किये गये मतोंमे कभी भूल होती ही नहीं — वे हमेशा और आखिर तक सच ही साबित होते हैं, ऐसा निरपवाद अनुभव नहीं है।

जिसलिअे मत व्यक्त करनेवाला या अुद्धार निकालनेवाला व्यक्ति चाहे जितना महान हो, उसके किसी वचनको ऐसा नहीं मानना चाहिये जिसे विवेककी कसौटीपर कसे बगैर सिर्फ श्रद्धावश स्वीकार किया जा सके। जो परमेश्वरकी ही वाणी हो, उसकी सत्यताके बारेमे तो सभीको सुनते ही या अनुभव करते ही विश्वास हो जाना चाहिये। अगर वह सिर्फ वक्ताके प्रति श्रद्धा रखनेवालेको ही मानने योग्य लो और दूसरेको मान्य होना तां दूर रहा, उसमे दोष तक नजर आये, तो वह परमेश्वरकी वाणी तो ही नहीं सकती। वह चाहे सोच-समझकर अिरादतन कही गयी हो, या अनजाने ही वक्ताके मुँहसे निकल पड़ी हो, या चाहे किसी योगावस्था या चित्तकी खास तरहकी अवस्थामें कही गयी हो, किसी भी हालतमें उसे परमेश्वरकी वाणी समझनेकी जरूरत नहीं है। हमे अिन्सानके सभी अुद्धारोंको उसकी बुद्धिसे या भावावेशसे निकले हुअे समझने चाहिये। और जिस हद तक वे अनुभव और विवेककी कसौटीपर खरे अुतर, सिर्फ उसी हद तक अुन्हें ग्रहण करने लायक समझना चाहिये।

अलवत्ता, जिसे व्यवहारके आधारपर समझना होगा। सिर्फ सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो यों भी कहा जा सकता है कि जो सार्थक या निरर्थक, सच साबित होनेवाले या झूठ उठरनेवाले शब्द हमारे मुँहसे निकलते हैं, वे सब अीश्वरप्रेरित ही हैं। अीश्वरके सिवा दुनियामें अन्य किसीका कर्तृत्व-वक्तृत्व है ही नहीं। यानी यहाँ जो कुछ होता है वह सब अीश्वर ही करता है और जो कुछ कहा जाता है, उसका कहनेवाला भी अेक अीश्वर ही है। मगर ऐसा मान लेनेसे मनुष्यके — ज्ञानियेके भी — व्यवहार नहीं चलते, चल नहीं सकते। सभीको विवेकबुद्धिका अुपयोग करके तारतम्य समझना ही पड़ता है।

यहाँ जिस तत्त्वचर्चामें पड़नेकी जरूरत नहीं है कि कर्तृत्व वक्तृत्व वगैरा मनुष्यके कितने और परमेश्वरके कितने, या कर्मों तथा वचनोंके लिअे प्राणी कितने जवाबदार हैं और भगवान कितना। मनुष्यके व्यवहार अुनमें

कर्तृत्व-वक्तृत्वका आरोप करके ही चलाये जा सकते हैं। जिसलिसे सारे कर्मों और वचनोंको अपने अपने विवेककी कसौटीपर कसनेका सबको अधिकार है, कर्त्तव्य भी है। जहाँ खुदकी बुद्धि काम नहीं देती, वहाँ मनुष्य उस व्यक्तिके निर्णयके आधारपर चलता है, जिसे वह अपनेसे ज्यादा विवेकी मानता है। मगर ऐसा करनेसे पहले वह अपने विवेक या परम्परागत सत्कारके आधारपर उस व्यक्तिको अपनेसे ज्यादा विवेकी ठहरा चुकता है। जहाँ सिर्फ परम्परागत सत्कारके आधारपर ही ऐसा किया जाता है, वहाँ यह केवल श्रद्धाका ही परिणाम होनेकी वजहसे अिसके लिसे अपूर दिया हुआ प्रतिपादन उपयोगी होगा।

अगर अपूरका प्रतिपादन मान्य हो, तो अेक दूसरी बौद्धिक कसरतसे भी मनुष्योंका — खास करके पण्डितोंका — पीछा छूटे। शास्त्रवचनोंको अीश्वर-प्रणीत माननेसे अुन सबसे अेकवाक्यता दिखानेकी कोशिश होती है। अगर यह मान्यता न होती, तो प्रस्थानत्रयी रचनेकी श्रद्धामें हमारे आचार्य न पड़े होते। अल्ला अल्ला कालोंमें गायद अेक दूसरेसे अपरिचित विचारकोंद्वारा बनाये हुअे उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों, गीता, पुराण वगैरामें अेक ही अर्थ, अेक ही सिद्धांत वगैरा अभिप्रेत है, अिसे सावित करनेमें जो खींचतान करनी पड़ती है, वह न करनी पड़े और वैदिक, बौद्ध, जैन, अिस्लाम, अीसाअी वगैरा सारे धर्मोंमें अुद्देश्यकी अेकता दिखानेका प्रयत्न करनेकी जरूरत न पड़े। हरअेक धर्ममें कअी बातें समान हैं, कअी भिन्न हैं और बहुतसी परस्पर विरोधी भी हैं। अेक ही धर्मके अेक ही शास्त्रमें भी परस्पर विरोधी विधान मिल सकते हैं। कअी विधि-निषेध अैसे हैं, जिन्हें अमुक देश-काल और सत्कारोंका खयाल रखकर ही समझा जा सकता है। अिन सबसे अेकवाक्यता दिखलानेकी कोशिश करना बेकार मेहनत अुठाना है। और यह अपुरोक्त प्रतिपादनके मुताबिक गलत श्रद्धाका ही परिणाम है। अिसलिसे —

न कोअी शास्त्रका वक्ता परमेश्वर।

न कोअी विवेकके क्षेत्रसे पर ॥

## तीसरा प्रतिपादन

सार्वजनिक धर्म सदाचार-शिष्टाचार ।

मुक्त ब्रह्मनिष्ठको भी भगका न अधिकार ।

भले बुद्धि शुद्ध, चित्त सदा निर्विकार ॥

यह तीसरा प्रतिपादन बहुत महत्त्वपूर्ण है । सच पृच्छा जाय, तो कोभी भौं-जाया अस्वल्नशील नहीं है । मगर सारे धर्मोंमें और उनसे पैदा हुए विविध पथों और खास तौरपर हिन्दू धर्मके पथोंमें इस विषयपर विचारोंकी बड़ी गड़बड़ी है, और धर्म-साधना व अधिकारवादके नामपर जिसमेंसे अनेक वामाचार भी निर्माण हुए हैं । इसलिये इसके बारेमें ज्यादा स्पष्टता करनेकी जरूरत है ।

सदाचार-शिष्टाचारके बुनियादी तत्व कौन कौनसे हैं, इसपर हम चौथे प्रतिपादनमें विचार करेंगे । यहाँ अतना कहना काफी होगा कि हरएक समाजको सदाचार-शिष्टाचारके जैसे नियम बनाने ही पड़ते हैं, जो सबके लिये बन्धनकारक हों और उस समाजके हरएक व्यक्तिका फर्ज होता है कि वह उनका पालन करे । सम्भव है, सामान्य तथा अपवादरूप सयोगोंका भी अिन नियमोंमें विचार रखा गया हो । अलग अलग समाजों और बदलती हुई परिस्थितियोंमें अिनकी तफसीलोमे फेरफार भी हो सकता है और होगा । मगर किसी खास समयमे और खास समाजमें उनकी विलकुल ठीक ठीक व्याख्या चाहे न हुयी हो, फिर भी मामूली तौरपर कुछ मर्यादाएँ तो निश्चित की ही गयी होंगी और समाजके विद्वानोंने अपनी लेखनी, अपने शब्दों और अपने बरतावसे उसका निर्देश किया ही होगा । जहाँ जैसे किसी तरहके नियमोंका स्वीकार या विचार न हो, उस मानव-समूहको समाज नहीं कहा जा सकता ।

अिन नियमोंका खुले आम या छिपे तौरपर भंग करनेवाले लोग भी हरएक समाजमें रहेगे ही । जैसे लोग समाजद्रोही माने जा सकते हैं

और समाज अपने सत्कारों और जानकारिके मुताबिक़ जिस वृत्तिको रोकने तथा नियम भग करनेवालेको सजा देने या सुधारनेकी कोशिश कर सकता है ।

हो सकता है कि मामूली आदमी जैसे नियमोंके अक्षरार्थका, सिर्फ़ 'अनुके स्थूल भागका ही पालन करें । अतना ही हो, तब भी वह समाज सुरक्षित रह सकता है । मुमकिन है, कि धार्मिक या साधक वृत्तिके लोग अनुं नियमोंका ज्यादा लानसे पालन करें, अनुके पीछे छिपे हुये 'अुद्देश्यका खयाल रखकर अपने लिअे अनु नियमोंको और कड़े कर दें, और समाजने जो छूटें देना मज़ूर किया हो अनुमेंसे भी अधिकांगका खुद होकर त्याग कर दें । जिस तरह सर्वमान्य नियमोंसे ज्यादा कड़े नियम बनानेवाले और अनुका पालन करनेवाले लोगोंकी सस्थाअे भी बन सकती है । अिनटें अुस समाजके विशेष पथ या सम्प्रदाय कहा जा सकता है । नियमोंको ज्यादा कड़े बनाने और अनुका पालन करनेकी कोशिशोंमें सम्भव है कभी अनुमें अतिरेकता या ज्यादती हो जाय, अनुका सिलसिला टूट जाय, अनुकी शकल अैसी विचित्र हो जाय कि देखनेवालोंको हँसी आवे और सारे समाजके लिअे अनुका स्वीकार या पालन करना असम्भव हो जाय । जिस सस्थामें शामिल होने, बहने और लम्बे असें तक़ अुसके नियमोंका पालन करनेवाला व्यक्ति अगर अुसमें रहनेवाली ज्यादतीका त्याग करे और सिर्फ़ मामूली समाजद्वारा स्वीकृत मर्यादाओंका ही पालन करे, तां अुसे सस्थाविमुख भले कहें, मगर समाजद्रोही, असदाचारी या अगिष्टाचारी नहीं कहा जा सकता । सस्थाकी मर्यादा अुसमें रहनेवालेके लिअे बन्धनकारक हो सकती है, सारे समाजके लिअे नहीं । मगर समाजकी अपनी मर्यादा सवके लिअे बन्धनकारक है ।

मगर जब किसी व्यक्तिको हम अवतार, पैगम्बर, ब्रह्मनिष्ठ, जीवनमुक्त, सिद्ध, बुद्ध, अत्यन्त शुद्ध आदि रूपोंमें मानने लगते हैं, तब अुसके आचारोंके बारेमें अेक अलग किस्मकी श्रद्धा रखने लगते हैं । अुसके जन्म और कर्मोंको 'दिव्य' यानी अमानुषी, अलौकिक, असाधारण समझना और अुसे समाजके विधि-निषेधों, सदाचार-शिष्टाचारके नियमोंसे परे मानना, अुसकी शुद्धतापर शक न करना, अुसे अनुकरणीय न मानने पर भी गेय



— स्तुत्य — मानना, जिस तरह भी तर्क दौड़ाकर उसका समर्थन किया जा सके उस तरह समर्थन करना, जहाँ समर्थन किया ही न जा सके, वहाँ अन बातोंकी प्रामाणिकताके बारेमें गकाअे करना या अनका कोअी रूपकात्मक अर्थ बैठाना, अैसी अेक श्रद्धाको कसरत खड़ी होती है । जिसकी अिस व्यक्तिपर श्रद्धा होती है, उसे अैसा करनेमें कोअी मुश्किल नहीं मालूम हांती । अितना ही नहीं, बल्कि खुले या छिपे तौरपर उसके मनमें अैसी अभिलाषा बनी रहती है कि कोअी अैसा मगल दिन आवे, जब वह खुद भी समाजके विधि-निषेधोंके बधनसे परे हो जाय । और जब यह अभिलाषा बलवान हो जाती है, तब वह खुदको भी अपने गुरु या आदर्श पुस्यकी ही तरह-शुद्ध-बुद्ध स्थितिकी तरफ पहुँचता हुआ और अन्तमें पहुँचा हुआ समझने लगता है । धीरे धीरे वह छूटे लेने लगता है और वामाचारका केन्द्र-निर्माण करता है । अेक तरफसे बहुत कड़े नियमोंके पालनपर जोर देनेवाले और दूसरी तरफसे स्थापक या अिष्ट देवताको अनसे परे माननेवाले सम्प्रदायोंमें अिस तरह वाममार्ग खड़े हुअे हैं । अपूर दिये हुअे कारणोंसे ही दूसरे लोग अैसे व्यक्तियों और पथोंको नहीं मानते और अनकी निन्दा करते हैं, अितना ही नहीं, उनके स्तुत्य कर्मोंकी कदर करनेकी भी अनकी वृत्ति नहीं होती ।

दुनियामे कअी किस्मकी आश्चर्यकारक घटनाअे, जिसकी कल्पना भी न की जा सके अैसी शक्ति रखनेवाले प्राणी व वनस्पतियाँ और कुदरतकी व चित्तकी अद्भुत शक्तियाँ बारबार देखनेमें आती हैं । दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें यह विशेषता है कि उसकी चित्तवृत्ति और शक्तियाँ अनेक शाखाओंवाली हैं । आपको अेकाध बिल्ली अैसी भले मिल जाय जो दूसरी बिल्लियोंसे बहुत ज्यादा ताकतवर और मोटी हो, मगर असमें आपको कुत्तेके स्वभावका दर्शन कभी नहीं हो सकता । वैसे ही किसी कुत्तेमें कभी बिल्लीका स्वभाव नहीं पाया जा सकता । मगर मनुष्यका स्वभाव और बुद्धि अनन्त रूपोंमें विकसित हुअे हैं और कोअी मनुष्य अेक क्षेत्रमें तो दूसरा दूसरे क्षेत्रमें असाधारणता दिखला सकता है । कोअी मनुष्य बिल्लीकी वृत्तिका, कोअी श्वानवृत्तिका, कोअी सिंहवृत्तिका, कोअी सियारवृत्तिका, कोअी गोवृत्तिका तो कोअी घोड़ेकी वृत्तिका हो

सकता है । वह मानो 'प्राणीनां प्राणी, जीवानां जीवः' है । जिसलिअे मनुष्योंमें तरह तरहके लोकोत्तर पुरुषोंका निर्माण होना कोओ आश्चर्यकी बात नहीं है । सिकंदर, नेपोलियन, हिट्लर, परशुराम वगैरा अेक प्रकारके लोकोत्तर व्यक्ति थे, राम, कृष्ण, मोहम्मद, मनु वगैरा दूसरे प्रकारके, बुद्ध, महावीर, अीशु, कनफ्यूशियस, वगैरा तीसरे प्रकारके; सॉक्रेटीज़, शकराचार्य वगैरा चौथे प्रकारके, शायद अिन सबका अश रखनेवाले गांधी पांचवें प्रकारके, अुत्तर और दक्षिण ध्रुवके तथा अेवरेस्टके यात्री, डेविड लिर्विस्टन जैसे मुसाफिर, महान सैनिक तथा नौसेना, हवाओी सेना वगैराके योद्धा छठवे प्रकारके, महान वैज्ञानिक सातवे प्रकारके । अिस तरह अनन्त प्रकार गिनाये जा सकते हे । अिन सबमे चाहे जितनी असाधारण शक्तियाँ हों, हजारों बरसोंमे अैसा अेकाध ही ब्यवित पैदा होता हो, अुसके पराक्रम और यश चाहे जैसे अद्भुत हों, फिर भी किसीको अतिप्राकृत या अप्राकृत 'दिव्य' माननेकी जरूरत नहीं है । सब प्रकृतिके ही काम हैं । क्योंकि कोओी भी अैसा नहीं है, जो अपने खास क्षेत्रमे बाहरके क्षेत्रमे, मामूली अिन्सानोके गुण-दोषोंसे और वृत्ति-स्वभावोंसे मुक्त हो । सबमें मानव स्वभाव ही पाया जाता है, यानी प्राणियोंका सामान्य स्वभाव और धर्म भी पाये जाते हैं, और सबमें मनुष्यकी विशेषता भी पाओी जाती है । अिसलिअे प्राणिधर्मोंके नियमनके लिअे और मनुष्यकी विशेषताका समाजके फायदेके लिअे अुपयोग करनेके लिअे जो सदाचार-और शिष्टाचार-जरूरी माने जायें, अुनसे किसीको परे न समझा जाय, और न कोओी अपने आपको अुनसे परे समझे । अिस तरह मानने और मनवानेवाले दोनों दोषी है ।

सार्वजनिक धर्म सदाचार-शिष्टाचार,  
मुक्त ब्रह्मनिष्ठको भी भगका न अधिकार,  
भले बुद्धि शुद्ध, चित्त सदा निर्विकार ।

## चौथा प्रतिपादन

जिज्ञासा, निरलसता, शुद्धम ।  
 अर्थ व भोगेच्छाका नियमन ॥  
 शरीर स्वस्थ व वीर्यवान ।  
 अिन्द्रियां शिक्षित, स्वाधीन ॥  
 शुद्ध, सम्य, वाणी शुच्चारण ।  
 स्वच्छ, शिष्ट वल्लधारण ॥  
 निर्दोष, आरोग्यप्रद, मितआहार ।  
 सयमी, शिष्ट स्त्री-पुरुष व्यवहार ॥  
 अर्थव्यवहारमे प्रामाणिकता व वचनपालन ।  
 दम्पतीमे अीमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन ॥  
 प्रेम व विचारयुक्त, गिश्चुपालन ॥  
 स्वच्छ, व्यवस्थित, देह, धर, ग्राम ।  
 निर्मल, विशुद्ध जलधाम ।  
 शुचि, गोमित सार्वजनिक स्थान ॥  
 समाजधारक अुद्योग व यत्रनिर्माण ।  
 अन्न-दूध-वर्धन-प्रधान ।  
 सर्वोदयसाधक समाज विधान ॥  
 मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय ।  
 रोगी-निराश्रितको आश्रय ॥  
 ये सब मानव-अुत्कर्षके द्वार ।  
 समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ॥

सदाचार कर्हे, शिष्टाचार कर्हे, नीति कर्हे, या मानवधर्म कर्हे,  
 समाज और व्यक्तिके धारण-पोषण और सत्त्वशुद्धिके लिखे ये ही नियम या  
 शर्ते है । जो व्यक्ति, परिवार, जातियाँ या प्रजाये अिन नियमोंको

पालती हैं, वे समृद्ध हो सकती हैं; अिनका भग शुरू होनेके बाद वे अपनी समृद्धिको ज्यादा लम्बे समय तक टिका नहीं सकतीं । चाहे जिस मन्त्रसदसे अिन नियमोंका भग या अिनेके पालनमें शिथिलता की जाय, अैसा करनेवाले समाजको अुत्तसे हानि ही होगी ।

यह निश्चित है कि समाजके प्रति रहनेवाले अपने कर्त्तव्योंके बारेमें लापरवाह, भोगरत, स्वार्थी या अज्ञानी और बालकों जैसे स्वभाववाले स्त्री-पुरुष अिन नियमोंके पालनमें शिथिलता अवश्य दिखावेंगे । अिसलिअे अिनका पालन करनेके लिअे समाजके नेताओं और शासकोंको हमेशा तत्पर रहना होगा । अूपर बतलाये हुअे ध्येयोंकी सिद्धिके लिअे कमसे-कम किस तरहके स्थूल व्यवहारके नियम हों, तथा लोगोंमें अुनके अनुकूल आदते ढालनेके लिअे किस तरहकी अनुकूल तालीम तथा बाह्य परिस्थिति निर्माण की जाय, अिसका निर्णय अुस समाजके अनुभवी, विज्ञानवेत्ता और ज्ञानी-विवेकी पुरुषोंको करना चाहिये और ज़रूरतके मुताबिक अुनमें बार-बार सगोधन भी करना चाहिये । मगर जिस वक़्त जो भी मर्यादाओं निश्चित की गयी हों, वे अुस समाजमे रहनेवाले सब लोगोंके लिअे समानरूपसे बन्धनकारक होनी चाहियें । राजा या सतसे लेकर मज़दूर या कगाल तक कोअी भी अुनसे परे न माना जाय । जो सामान्य मर्यादाअे निश्चित की गयी हों, अुनसे ज्यादा कड़े सयम और नियम भले कोअी व्यक्ति या समूह अपने लिअे निश्चित करे, मगर किसीको अुनके अमलमें शिथिलता करनेका अधिकार न रहे ।

धर्मों और समाजकी व्यवस्था आज अिस प्रकारकी नहीं है । अेक तरफसे सत्ता, धन और ज्ञानका अधिकारवाद अनेकोंको अूपर बतलाये हुअे सार्वजनिक सदाचारों और गिष्टाचारोंके अेक अशकी अवगणना करनेकी छूट देता है, तो दूसरी तरफसे त्याग, वैराग्य और मोक्षके आदर्श दूसरे अशकी अवगणना करनेके और अुनकी अवगणना न कर सकनेवाली सामान्य जनताको पामर समझनेके सस्कार पैदा करते हैं । अुदाहरणके लिअे, आजकी धर्म और समाज-व्यवस्थामें सत्ताधारी, धनिक, ज्ञानी और त्यागी सबको आर्ल्य छोड़ने और अुद्यम करनेके कर्त्तव्यसे मुक्ति मिलती है । सत्ताधारी और धनिकको अपनी धन और भोगकी

अच्छापर मर्यादा रखनेकी जरूरत नहीं है, धन और स्त्री-सम्बन्धी व्यवहारमे ये लोग बेअमीमान और अनियंत्रित, तथा, गुद और ज्ञानी वेपरवाह और सामान्य मर्यादाओंसे परे और स्वतंत्र रह सकते हैं। शुद्ध और सभ्यताभरी भाषा बोलनेका भार अधिकारियों, मालिकों और गुदों पर होना जरूरी नहीं है। कपड़ोंकी स्वच्छता और शिष्टताका विषय सत्ता, धन और शायद जाति पर निर्भर है। गरीब, सामान्य जनता और हल्की मानी जानेवाली जातियोंको कपड़ोंकी स्वच्छता तथा शिष्टताका अधिकार नहीं, त्यागी-वैरागियोंके लिये मलिनता, फूहड़ता, तथा नग्नता या अर्ध नग्नता भूषण रूप भी मानी जा सकती है। अिनके लिये सफाई और शिष्टता निन्दाकी चीज भी हो सकती है। मगर गुरुपद पर पहुँचनेके बाद ये चाहे, तो अपने आपको इस विषयमे सत्ताधारियों और धनिकोंकी श्रेणीमे रख सकते हैं। निर्दोष, आरोग्यप्रद और मिताहारका धर्म सिर्फ योगाभ्यास करनेवाले ही अपनी मर्जीसे भले पाले, दूसरे लोगोंको बीमारीकी हालतमें जबरदस्तीसे अुसे पालना पड़े तो बात दूसरी है। पति-पत्नीके आपसी व्यवहार, वश-वर्धन और निजी तथा सार्वजनिक स्वच्छताके मामलोंमे साधारण जनतामे अराजकता जैसी स्थिति है। शास्त्रोंमे बहुत समझदारीके और अति समझदारीके भी अपदेश भरे हैं, मगर व्यवहारमे सभी मर्यादाएं या तो टूट गयी है या टूटती जा रही है। दूसरी तरफ पथों और सम्प्रदायोंमें जैसे नियमोंका विधान होता है, जो खास सहूलियतों और गैरमामूली — आम जनताके जीवनसे भिन्न — जीवन-रचनाके बिना पाले ही नहीं जा सकते। अिकट्टा करके खाना, स्वादहीन खुराक लेना, अुबला हुआ अन्न ही खाना, अलूना ही खाना, कच्चा ही खाना, दुग्धाहार या फलाहार ही करना, इस तरह अेकके बाद अेक जैसे व्रतोंकी व्यवस्था है, जिनमे कहीं अति खुराक ली जाती है और कहीं बिल्कुल अपवास किया जाता है। और अिन व्रतोंने निर्दोष, आरोग्यप्रद मिताहारके नियमोंकी जंगह लें ली है। स्त्री-पुरुष-व्यवहारके बारेमें भी विवाहकी मर्यादामें रहनेवाले पति-पत्नी भोगमे समय या विवेकयुक्त वशवर्धनकी आवश्यकताको नहीं समझते और विवाहके बाहरके क्षेत्रमे संप्रदायोंके नियमोंमें दोनों तरफ अतिरेक है। अेक तरफ तो खुले या छिपे वामाचारी पथ है और दूसरी तरफ औरतोंके

लिअे तो प्रदा है ही, मगर कुछ सम्यदायोमे पुरुषोंके लिअे भी अँसी मर्यादाये निश्चित हैं, जो करीब-करीब परदे जैसी ही है । पहलेमे सबको भोगके साथ मोक्ष दिलानेकी भावना है, दूसरेमें पूरे मानव-समाजको प्रकृतिके असरसे छुड़ानेकी कामना है ।

जिस तरह स्त्रीके बारेमें अतिरेक है, उसी तरह धनसमूहके बारेमे भी है । एक तरफ अपरिग्रहके आदर्शको लेकर अँसे कड़े नियम बने हुअे हैं कि अुनके अनुसार धातु और धनका स्पर्श तक नहीं किया जा सकता । मगर अिसके साथ ही अुस आदर्शको माननेवाले पथोंके पास अितना धन अिकट्टा होता है कि अुसे समेटनेके लिअे फावड़ेका अुपयोग करना पड़े और वह धन अुसी आदर्शको रटनेवाले अनुयायियोंकी तरफसे मिलता है । अर्थात् अुन अनुयायियोंके जीवनको यह अपरिग्रहका आदर्श छू नहीं पाता, अिसीलिअे अँसा होता है । धनको खुद तो छुआ भी नहीं जा सकता, मगर सघने लिअे वेशुमार धन बढ़ानेमे कौअी हर्ज नहीं समझा जाता — अँसे परस्पर विरोधी प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप नियमोंके अर्थ करनेमे विचित्र तरीके अखितयार किये जायँ, तो अिसमें नअी बात कौअी नहीं है । जँसे कि धातुके धनको तो धन माना जाय, मगर नोटको न माना जाय; देवोंके गहनों वगैराकी धातुको छूनेमे कौअी हर्ज नहीं । पैसे अपने हाथमे नहीं लिअे जा सकते, मगर अिसके लिअे नौकर रखा जा सकता है, या खास किस्मके शिष्य बनाये जा सकते हैं, आदि ।

जल, थल और शरीरकी स्वच्छताके बारेमें भी अँसे ही अतिरेक है । एक पथमें अँसी नियम-रचना है कि शरीर धोते रहना, बरतन माँजते रहना, घर-आँगन लीपते रहना और पानी अुबालते या छानते रहना ही सारे दिनका काम हो पड़ता है, तो दूसरे पथमे अस्वच्छ, अमगल, अघोरी जीवन अच्छा माना गया है । सार्वजनिक स्वच्छताके बारेमें तो अमी दृष्टि ही अुत्पन्न होना बाकी है ।

अिस तरह नियम बनानेमें या तो विवेक, सदाचार, योग्यायोग्यता वगैराकी अवगणना हुअी है या अिस बातकी परवाह नहीं की गअी है कि अिन्सानसे, जो कि कुदरतके वशमें है, कितने नियमोंके पालनकी अपेक्षा रखी जा सकती है तथा समाजके धारण-पोषण और सत्वसशुद्धिके

काम किस तरह चल सकते हैं । जिस कामको चार आदमी स्वेच्छातं ही कर सकते हैं — और शायद साथ रहे, तो वे भी नहीं कर सकते — उसकी सैकड़ों शिष्योंको दीक्षा देकर उनसे करवानेकी अपेक्षा रखी जाती है और समाजको यह समझानेकी कोशिश की जाती है कि वे ही अकामान नियम या आदर्श हैं ।

अिस तरह विषयको आगे बढ़ाया जा सकता है । सक्षेपमे, असे नियम बनानेकी जरूरत है, जिनका कोअी भग तो न कर सके, मगर जिसे जरूरत हो वह अुन्हें अपने लिये ज़्यादा कड़े बना सकता है । और अैसे नियम बनानेके बाद अुनके अनुकूल वातावरण और क्रान्ति निर्माण करनेकी जरूरत है ।

श्रेय क्या है, धर्म क्या है, समाज और राजव्यवस्थाका स्वरूप क्या होना चाहिये, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध क्या हो, अिन सारे मामलोंमें धर्मों तथा पथों द्वारा स्वीकृत या पोषित सिद्धान्तोंमे और कल्पनाओंमें जड़मूलसे फेरफार हुअे बिना यह हो नहीं सकता । आजके सारे धर्म और पन्थ व्यक्तिको मोक्ष दिलानेके लिये समाज पर ज़्यादा बन्धन, पाप, दुःख या श्रमका बोझ डालते हैं, और वैसा बोझ अुठानेवालोंको अुसके बदलेमें अजानी, मायामे फँसे हुअे, पामर आदि विशेषण मिलते हैं ।

## पाँचवाँ प्रतिपादन

पहले चार प्रतिपादनोंके विस्तारके बाद पाँचवेंके बारेमे ज़्यादा कहने जैसा कुछ रह नहीं जाता । यह चारोंके अुपसंहार जैसा है । जिसमें तलाया गया है कि —

रखिये परमेश्वरका ही आश्रय ।  
 न किसी सर्जित-कल्पितमें पैगम्बर-अीश्वरपनका निश्चय ॥  
 मानिये अुसीको विवेकयुक्त सदाचार ।  
 जिससे न पोषित हो कभी भी अनाचार ॥  
 लीजिये सत्पुरुषोंके सत्कर्मोंका ही आधार ।  
 कीजिये कथाओं-शास्त्रोंका विवेकसे त्याग या स्वीकार ॥  
 न प्रमाणिये कोअी सशययुक्त आचार ।  
 चाहे जितना बड़ा हो आचरनार ।  
 या चाहे जैसे शास्त्रका भी आधार ॥  
 धर्म हों भले नित्य, नैमित्तिक, विशेष या साधारण ।  
 करें सबका समान रूपसे पालन ॥

जिसका खुलासा करनेमें कुछ बातें पेश की जा सकती हैं । धर्म-अधर्मकी व्याख्या करनेमे क्या दृष्टिकोण होना चाहिये और अुसे कौन निश्चित करे ?

यह मानकर चलना चाहिये कि बहुजन समाजमें धन और भोग प्राप्तिकी अिच्छा प्रकट या बीज रूपमे रहेगी ही । किसी अपवादरूप व्यक्तिमें अगर वह न हो, तो अुसके कभी कारण हो सकते हैं । वह अुसकी जन्मसिद्ध लोकोत्तरता या निजी साधना भी हो सकती है, या अुसके शरीर, दिमाग वगैराकी कोअी खामी भी हो सकती है; किसी वक्त ये दोनों अिकट्रे भी देखे जा सकते हैं । अैसे लोगोंकी स्वाभाविक



या साधना द्वारा बनायी हुयी आदत सबको सिद्ध हो सकती है, असा आदर्श रखकर धर्मके नियम उठरानेमे भूल होगी। साम्प्रदायिक नियमोंमें जिस किस्मकी भूल ज्यादातर देखी जाती हैं। अुदाहरणके लिये मान लीजिये कि किसी पुरुषको धन-स्त्री वगैराके बारेमे अत्यन्त अुदासीनता या वैराग्य सिद्ध हो गये हों, जिससे अुसकी असाधारण चित्तशुद्धि और अुन्नति हुयी हो। अुसका यह वैराग्य जन्मसिद्ध या कुछ जन्मसिद्ध और कुछ साधनासिद्ध भी हो सकता है। अनेक मनुष्योंमे सात्त्विकताका कुछ अंश तो होता ही है। धर्मोपदेश और धर्ममार्गका यह अुद्देश्य होना स्वाभाविक है कि जिस अर्गको पोषण मिले। मगर जिसके साथ यह भी याद रखना चाहिये कि सात्त्विक अंशको पोषण मिलना अेक बात है और धन-स्त्री या दूसरे भोगोंकी वासनाका निर्मूल होना विलकुल दूसरी बात। वह गायद ही कभी जिस तरह निर्मूल हो सकती है या वह विलकुल निर्मूल होती ही नहीं, और बहुजन समाजके बारेमें तो यह मानकर चलना चाहिये कि अुसमे अिन भोगोंकी तृप्तिके लिये योग्य अवकाश रखे बिना छुटकारा ही नहीं है। सिर्फ स्थूल कड़े नियमोंका पालन करनेसे जिससे विलकुल बचा जा सकता है, अैसा नहीं होता, मगर होता हो तब भी बहुजन-समाज जिस रास्तेसे चल नहीं सकता। यानी अैसे कड़े नियम बहुजन समाज मजूर करे और अुनके मुताबिक आचरण कर सके, असा धर्म बन नहीं सकता। जिस तरह गीलके नये नये बन्धन, या आठ प्रकारका ब्रह्मचर्य, या स्त्री अथवा पुरुषका फरजियात अ-पुनर्विवाह, या फरजियात यावजीवन ब्रह्मचर्य, या फरजियात कथा-कौपीन-धारण या अपरिग्रह व्रत, वगैराके कड़े नियम, अथवा यह सस्कार बनानेका प्रयत्न कि विवाह यानी पतन, गृहस्थाश्रम यानी पामर जीवन, अुद्यम यानी ससार-बन्धन, वगैरा बहुजन समाजके लिये बेकाम और हानिकारक साबित होते हैं। नतीजा यह होता है कि पहले तो अुस पथमें साधु और ससारी अैसे दो प्रकारके अनुयायियोंके वर्ग बनते हैं। ससारी अनुयायी नियमोंकी योग्यताको तो स्वीकार करते हैं मगर खुद अुन्हे पाल सकनेकी कमजोरी महसूस करते हैं, और अुनमें अपनी सहूलियतके मुताबिक काटछांट करते हैं। नियमोंकी योग्यता माननेवाले होनेके कारण यह स्वाभाविक है कि अुनमेंसे कुछ

व्यक्तियोंको जीवनकी शुरूआतमें या अन्तमें साधु हो जानेकी विच्छा हो आवे । जो लोग जीवनके पिछले भागमें साधु होते हैं, वे अगर बहुत कुछ स्थिर हो चुके हों, तो उन्हें ज्यादा कठिनायी नहीं पड़ती । मगर शुरूआतके भागमें ही साधु बने हुअे व्यक्तियोंको, जब वैराग्यमें उतार आता है और बीजरूपमें रहनेवाली वासनाओं जव बारबार प्रकट होती हैं, तब बड़ी घबड़ाहट होती है । साधु तो बन बैठे, कड़े नियमोंका पालन भी शायद कर ले, मगर वासनाओं शान्तिसे रहने नहीं देती जिसका क्या किया जाय ? साधुसधमें से निकलते गर्भ मालूम होती है और वासनाओं तो दबती ही नहीं । फिर गलत तरीकेसे वासनाओंका शमन करना या उनको दबाकर सहते रहना, ये 'दो ही रास्ते रह जाते हैं । जिस तरह 'त्याग न टूकेरे वैराग्य विना' वाले भजनमें बतलायी हुयी हालत होती है । जो बहुजन समाजका 'आदर्श नहीं हो सकती, जिसमें किसीको जबरदस्ती शामिल करना या शामिल होनेके लिये ललचाना शोभा नहीं देता, जिस स्थितिके प्रति 'स्वभावसे ही आकर्षण हो तभी वह फायदेमन्द हो सकती है, उसे सबके लिये आदर्श बतलाकर और उसके लिये खास नियम घड़कर अनेक लोगोंको 'उसके दायरेमें लानेकी कोशिश करनेसे ऐसी फजीहत होती है ।

दूसरी तरफसे नियम बनानेमें अतिरेकके कारण या देशकाल तथा विचारोंके फेरफारकी वजहसे पुराने नियम चल न सकनेके कारण अथवा कठिन नियमोंका पालन करनेसे मन शुद्ध रहता ही है, असा अनुभव न होनेके कारण ऐसे खयाल बनने लगते हैं कि सच्ची शुद्धि तो मनकी होनी चाहिये, शुद्ध मनसे जो नियम पाला जाय वही सच्चा है, बाकी सब मिथ्याचार है, सदाचार या समाज-व्यवस्थाके लिये कोयी सामान्य नियम हो ही नहीं सकते, सारे नियमोंके बन्धन तोड़ने लायक ही समझे जाने चाहिये, हरअेक व्यक्ति अपनी अपनी रुचिके 'सुताविक नियम बनाकर जब तक उसे ठीक लगे उनका पालन करे, और धीरे धीरे सग नियमोंके बन्धनोंसे छूटना अपना आदर्श रखे, क्योंकि "मन चगा तो कठौतीमें गगा" — यह दूसरे प्रकारकी भूल है ।

अनेक अर्धसत्य सूत्रोंकी तरह यह सूत्र भी बहुत अनर्थकारी है । क्योंकि मन कोयी ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे अगर अेकवार धोकर शुद्ध

कर डालें, तो फिर कभी उसपर मैल चढ़ ही नहीं सकता। वह तो कपड़े जैसा है। उसे रोजाना अच्छी तरहसे धोअिये, फिर भी वह मैल तो होगा ही। अथवा पानी-जैसा है; उसे अवालकर, भाफ बनाकर फिरसे ठंढा करें, तो भी हवाके ससर्गमें आकर वह फिरसे दूषित हो जायगा। शास्त्रका वचन है कि परमपदका दर्शन करनेके बाद मन ऐसा शुद्ध हो सकता है कि फिरसे उसके दूषित होनेकी सम्भावना नहीं रह जाती। मगर जिन लोगोंकी प्रथम पदतक पहुँचनेके बारेमें ख्याति है, अन्होंने अगर आखिर तक समाजकी नियम-मर्यादाओंका पालन किया हो, तो अन्हें अउन मर्यादाओंको तोड़कर चलनेवाले लोग पूर्णतातक पहुँचे हुअे माननेको तैयार नहीं होते; और जिन्होंने मर्यादाअे तोड़ी हों, अन्हें मर्यादामे रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ परमपदको पहुँचे हुअे नहीं मानते। सिर्फ अेक किस्मकी भीस्ताकी ही वजहसे वे लोग शंकर या कृष्णको मानवसमाजसे परे, पूर्णावतारकी कोटिमें रखकर, अन्हें चचकि क्षेत्रसे बाहर मानते हैं। शिव और कृष्णके लिअे जो अत्यन्त भक्ति रूढ हो गयी है, असे आघात न पहुँचानेके लिअे ही अैसा हुआ है। मगर अुनके चरित्रोंको अन्होंने अनुकरणीय नहीं माना है।

जिस तरह गतानुगतिकता क्रान्ति या प्रगति नहीं है, असी तरह अनवस्था और सब नियमोंका भंग भी क्रान्ति या प्रगति नहीं है। फेरफार भले जड़मूलसे ही हो, फिर भी वह विवेकयुक्त ही होना चाहिये।

व्यक्ति और समाजकी जरूरतोंके बारेमें अेक फर्क ध्यानमें रखना चाहिये। यह सच है कि अगर मन बुरे रास्तेपर भटकता फिरे और सिर्फ शरीर ही बाहरी नियमों और आचारोंका पालन करे, तो अिससे व्यक्तिको नैतिक अुत्कर्ष नहीं होता। मगर समाजकी रक्षाके लिअे बहुत बार अितना ही काफी होता है। अेक आदमीकी अपने पड़ोसीकी घड़ी या लड़कीपर बुरी नजर रहती हो, तो वह अपने अुत्कर्षकी दृष्टिसे चोर या व्यभिचारी तो बन चुका; मगर किसी सयमके संस्कारके कारण वह अपनी नापाक अिच्छापर किसी भी तरहका अमल न करे, तो अुसका पड़ोसी सुरक्षित रहता है, और पड़ोसीके लिअे अितना काफी है।

अिसके विपरीत, अगर वह शुद्ध अुद्देश्य लेकर अैसा कोअी काम करे जिससे समाजको खतरा हो, तो अुसके अुद्देश्यकी शुद्धता समाजके प्रति

असे निर्दोष ठहरानेमे काफी नहीं होगी । अुदाहरणके लिअे मान लीजिये कि अेक गरीब आदमीको घड़ीकी बहुत ज्यादा जरूरत है । यह आदमी अुस पड़ोसीके घर जरूरतसे ज्यादा घड़ियाँ देखता है । अुनमेंसे अेक अुठाकर अगर वह अुस गरीबको पहुँचा दे, तो अुसके हेतुकी शुद्धता अुसे चोर करार देनेसे रोक नहीं सकती । अिसी तरह पड़ोसीके घरको या सामानको वह बड़े सेवाभावसे आग लगा दे या अुसकी लड़कीका हर्षण करे या अुसे अपने पास सुलाये, तो अुसके हेतुकी निर्मलता सामाजिक दृष्टिसे अुसे अपराधी माननेसे रोक नहीं सकेगी । अुसकी शुद्ध वृत्तिके कारण माज अुसे माफ कर दे या कम सजा दे, यह जुदी बात है । मगर अुसे ह बेकसूर नहीं मान सकता ।

कभी कभी कहा जाता है कि भगवान मनुष्यके भावकी — हेतुकी — शुद्धताको देखता है । बाहरी — स्थूल मर्यादाओंके कम-ज्यादा पालनकी अुसके पास कोअी कीमत नहीं । बहुतसे अर्धसत्य सूत्रोंमेंसे अेक सूत्र यह भी है । ‘ भगवान यानी क्या ? अुसके देखने न देखनेका क्या मतलब ? ’ असकी तात्त्विक चर्चा छोड़ दें और भगवानकी लोकमान्य कल्पनाको ही वीकार करें, तब भी यह कैसे समझा जाय कि भगवान अिस सिद्धान्तके उताविक काम करता है ? “ भगवान भावका भूखा है, वह गरीबके पत्रं पुष्पं फल तोयंसे जैसा रीझता है, वैसा धनवानकी लाखों रुपयोंकी भेंटसे नहीं रीझता, दुर्योधनको मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई — सबसे ऊँची प्रेम सगाई ”, वगैरा शास्त्रों तथा भक्तोंके वचन हमारी श्रद्धाके आधार है, तथा जब सज्जन पुरुष भी अिस तरह बरतते हों, तब भगवान अैसा करें तो अिसमे कहना ही क्या, यह न्याय अिसके पीछे है ।

अिन सूत्रोंको दर असल यों रखना चाहिये .

१. भगवान सिर्फ स्थूल वर्तन या अर्पणको नहीं देखता, भावको भी देखता है । वर्तन और अर्पणके साथ भाव — हेतु भी शुद्ध होना चाहिये ।

२. भगवान भावपूर्वक सर्वार्पण मांगता है । मगर अिस सर्वार्पणकी कोअी अल्पतम मर्यादा नहीं है । और भावकी अधिकतम मर्यादा नहीं है । यदि पत्र-पुष्प ही तुम्हारा सबकुछ हो और सम्पूर्ण भावसे तुम अुसे अर्पण

करो, तो उसकी कदर पांच लाख या दो लाखमेसे अेक लाख रूपयोंके दानकी अपेक्षा भगवान ही क्या — महापुरुष भी — ज्यादा करते हैं ।

अिस तरह अशुद्ध मनसे किया हुआ समाज-धर्मका पालन समाजके लिये काफो माना जाता है तथा शुद्ध हेतुसे किया हुआ उसका भंग दोषरूप गिना जाता है । यों समाजके धारण-पोषण और रक्षाके लिये जिन नियमोंका पालन जरूरी है, उनमे पालनेवालेके मनकी शुद्धि-अशुद्धि गौण रहती है, अेक आचरण ही महत्त्वकी वस्तु है । अपवादरूप प्रसंग नियमोंमे आ ही जाते हैं ।

ये नियम बनानेमें नीचे दिया हुआ दृष्टिकोण सामने रहना चाहिये :

१. समाजका बहुत बड़ा भाग मन और अिन्द्रियोंके भोगों और उनके साधनरूप अर्थप्राप्तिकी, वशवर्धनकी और कुछ कर बतानेकी अभिलाषाओंसे विलकुल विमुख नहीं होता, बल्कि उनसे भरा हुआ होता है । विमुख होना मानव समाजके धारण-पोषण और अभ्युदयके लिये हानिकर भी माना जा सकता है । अिसलिये नियम अैसे होने चाहिये, जो अिन अभिलाषाओंकी पूर्तिके अनुकूल हों ।

२. अिसके साथ ही यह भी खयाल रखना होगा कि अगर ये अभिलाषाअे निरकुण हो जायँ, तो वे भी समाज और व्यक्ति दोनोंके अभ्युदयके लिये और अन्तमे धारण-पोषणके लिये हानिकारक हो सकती हैं । अिन अभिलाषाओंकी सिद्धि जरूरी होते हुअे भी वे ही मानव-जीवनका अन्तिम साध्य नहीं है । अिसका साध्य तो मनुष्यमे रहनेवाली अुदात्त भावनाओंका विकास और अुत्कर्ष है । मानव समाजको दुःखमे घसीटनेवाले अज्ञान, मुखमरी, गरीबी, रोग, लड़ायी, अीर्षा, वैर, विषमता आदि कारणोंका नाश हो, और मनुष्यके ज्ञान तथा प्रयुक्तियोंका मनुष्य-मनुष्यके बीच सप, सहयोग, प्रेम, योग्य समृद्धि, समानता, आतृभाव वगैरा बढानेके लिये अुपयोग हो, और हरअेक व्यक्तिको उसकी शक्तियोंका अुचित दिगामे विकास करने और समाजको अर्पण करनेका मौका मिले — ये अिस विकास और अुत्कर्षके स्पष्ट परिणाम हैं । अगर अिसीको व्यक्ति तथा समाजके धारण-पोषण और सत्वसशुद्धिकारी धर्म कहा जाय, तो अिस धर्मकी सिद्धि मानव-जीवनका अन्तिम ध्येय है । अिसके लिये अभिलाषाओंका

विवेकपूर्वक नियमन भी चाहिये। मोटर चलानेके लिये जिस तरह ऐंजिनकी जरूरत है, उसी तरह उसकी चालको कम-ज्यादा करने और जरूरत पड़ने पर उसे खड़ी रखनेके लिये नियामकों और दावोंकी भी जरूरत है।

३ कुछ नियमोंके बारेमें दोहरी मर्यादा होती है : कमसे कम अमुक होना चाहिये और ज्यादासे ज्यादा अितना हो सकता है, जैसे कि कमसे कम अितने या ऐसे कपड़े पहने हों, और ज्यादासे ज्यादा अितने या ऐसे। हरअेकको कमसे कम अितनी मेहनत करनी चाहिये और अितनेसे ज्यादा मेहनत किसीसे नहीं ली जा सकती। कुछ नियमोंमें नीचेकी मर्यादा होती है, कुछमें अपरकी, जैसे मजदूरी कमसे कम अितनी होनी चाहिये, आमदनी ज्यादासे ज्यादा अितनी। नियम बनानेमें स्वास्थ्य, नीति और सम्यता तीनोंका खयाल रखा जाय।

जहाँ कमसे कम अमुक हदतक पालना चाहिये ऐसा नियम हो, वहाँ व्यक्तिको अिससे ज्यादा कड़ाबीसे पालन करनेकी छूट रहे, मगर ढीला करनेकी नहीं। जहाँ कमसे कम अमुक होना चाहिये ऐसा नियम हो, वहाँ अिससे ज्यादा रखनेकी (अपरकी मर्यादा निश्चित न की गयी हो तो) छूट दी जा सकती है। जैसे कि किसी जगहपर स्त्रियों और पुरुषोंके लिये अलग अलग व्यवस्था रखी गयी हो और उसे बन्धनकारक ठहराया गया हो, तो उसका भंग कोअी नहीं कर सकता। जहाँ ऐसी व्यवस्था सिर्फ स्त्रियोंकी सहूलियतके लिये ही रखी गयी हो मगर पुरुषोंकी जगहमें स्त्रीको जानेकी छूट हो, वहाँ कोअी स्त्री आग्रहपूर्वक पुरुषोंकी जगहमें न जानेका नियम रख सकती है।

अिम तरह व्यक्तिको परिग्रह तथा जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें समय बढ़ानेके लिये नियमोंमें घट-बढ करनेका सामान्य अधिकार रह सकता है। मगर अमी घट-बढ करनेकी छूट किसीको नहीं मिल सकती, जिससे समय दृष्टिके लिये सहूलियत पैदा हो।

अैसे नियम कौन निश्चित करे, यह दूसरा सवाल है। मुझे लगता है कि जिन्हें सामान्य कानून बनानेका अधिकार हो, अुन्हींका नीति-धर्मके कानून बनानेका भी अधिकार समझा जाना चाहिये। यत सच है कि ये सब धर्मचिंतक,

स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकते, और हाथोंकी गिनती करके कुछ बुद्धिमत्ताका माप नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, अगर हम अिन लोगोंको भयकर युद्ध जैसे सामाजिक जीवन-भरणके अनेक गम्भीर काम करनेका अधिकार देते हैं, तो अुन्हें ये कायदे बनानेका अधिकार भी दिया जा सकता है। आखिर वे भी अलगा-अलगा कामोंमें अपनी मर्यादा समझते हैं, और जिस कामके लिये जो योग्य माने गये हैं, अुनकी सलाहके मुताबिक ही जैसे काम करते हैं। अुनकी अितनी समझदारी काफी है। अनुभवके बाद नियमोंमें सुधार करनेका अवकाश तो रहता ही है।

ऐसी कोअी स्पष्ट मर्यादाअे नहीं है, जिनके अनुसार नीति-धर्म और ससार-व्यवहारके कायदोंके बीच फर्क किया जा सके। जीवनका कोअी भी कार्य नीति-धर्मसे अद्वृत्ता नहीं है, और दरअसल ऐसा कोअी नीति-धर्म या धर्मकी कोअी साधना नहीं हो सकती जिसका ससारके जीवनके साथ सम्बन्ध न हो। यह ठीक है कि काल्पनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली साधनाअे या नीति-धर्मके नियम भी होते हैं। लेकिन यदि वे सांसारिक जीवनके नीति-धर्मको तोड़नेवाले हों, तो अुन्हें बुरे ही समझना चाहिये।

यह तो होगा ही कि समाज द्वारा बनाये हुअे नियमोंमेंसे कुछ नियम किसीको अड़चनरूप मालूम पड़ें और किसीको वे प्रामाणिक रूपसे बुरे लगे। जैसे लोग सत्याग्रह-वृत्तिसे या ज्वर्दस्तीसे अुनका भग करेगे। और भग करनेके नतीजे भी भोगेंगे। अुनके भगके पीछे अगर कुछ तथ्य होगा, तो समाजको आगे-पीछे अुन नियमोंमें सुधार करना ही पड़ेगा। समाजकी सारी व्यवस्थामे सुधारका यही रास्ता है। और वह अनिवार्य है।

## प्रचलित धर्मोंका अेक सामान्य लक्षण

सर्वधर्म-समभावके समर्थनमें अेक बात यह कही जाती है कि सन धर्मोंमें आध्यात्मिक, पारमार्थिक और सात्त्विक जीवनके सम्बन्धमें महत्त्वके सिद्धान्त अेकसे ही हैं। सब धर्म परमेश्वरकी भक्ति और आश्रय तथा सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, सयम वगैरा सन्त-गुणोंके अनुशीलन वगैरा पर अेकसा भार देते हैं। देश-काल आदिके फेरफारके कारण विगतोंमें थोड़ा बहुत फर्क भले दीखे, मगर अुसे किसी भी धर्मके सत पुरुष ज्यादा महत्त्व नहीं देते। जिसलिअे सारे धर्म समान आदरके पात्र हैं।

सब धर्मोंमें अेक दूसरा सिद्धान्त भी समान है, और बदकिस्मतीसे वह सिद्धान्त आजकी समस्याओंका हल खोजनेमें कठिनाअियां खड़ी करता है। समाज-धर्मके पालनमें यह सिद्धान्त बाधक होता है, और मनुष्यको — खास करके श्रेयार्थी अृत्तिके मनुष्यको — समाज-धर्मकी अवगणना करना भी सिखाता है। वह सिद्धान्त व्यक्तिकी अमरता और मोक्षका है। मनुष्यका जीतेजी अनुभव होनेवाला अपना व्यक्तित्व अनादि-अमर है; मरनेके बाद पुनर्जन्म-द्वारा, या स्वर्ग-नरकके वास द्वारा वह चालू रहता है, और मनुष्यका सच्चा काम अिम ससारको सुधारना नहीं, बल्कि परलोककी (यानी भविष्यमें अच्छे जन्मकी अथवा नरकका निवारण करके अखण्ड स्वर्ग या निर्वाणकी) प्राप्ति है, अैहिक जीवनमें जितना दुःख अुतना ही पारलौकिक जीवनमें सुख — ये सारे सस्कार जिसमेंसे ही पैदा हुअे हैं। घरमें छप्पर चूता हो, तो खुद छाता खोलकर बैठ जाना चाहिये, और अिसी तरह घरके लोगोंको भी अपनी अपनी सहूलियत कर लेनी चाहिये, श्रेयार्थी पर अिस तरहका बहुत तीव्र सस्कार पड़ा रहता है। रात और दिनकी तरह परलोक और अिस लोकके बीच, समाजके — ससारके — धर्मों और मोक्षके धर्मोंके बीच विरोध माना गया है। मोक्ष धर्ममें चलनेकी अशक्तिके परिणाम स्वरूप, समाज-जीवनमें प्रवृत्ति होती है।



असके द्वारा जितनी चित्तशुद्धि हो, उतना ही इसमें हित है। आखिरी ध्येय तो निवृत्ति, व्यक्तिगत साधना, अपना स्वर्ग या मोक्षरूपी परलोक है। इससे समाजको सुखी करनेकी अिच्छा रखनेवाले, समाजकी विविध प्रवृत्तियोंमें पढ़नेवाले, समाजके धर्मोंका अनुसरण करनेवाले लोग अन्तमें अज्ञानी, मायामे फँसे हुअे ही माने जाते हैं।

असलिये यह स्वाभाविक है कि तीव्र श्रद्धालु आदमीके मनमें ससारके कर्मोंके प्रति अनास्था और अुनसे निकल भागनेकी वृत्ति अुठती रहे। अगर वह ससारके कामोंमें रस ले, तो वह तीव्र साधक नहीं हो सकता और ससारके कामोंमें रस लेना साधु पुरुषोंके लिये अुनका पतन भी माना जाता है। नतीजा यह होता है कि ससारकी प्रवृत्तियाँ स्वार्थी और धूर्त लोगोंके ही हाथोंमें रहती हैं।

दरअसल आत्मतत्त्व (चैतन्यशक्ति अथवा ब्रह्म) और व्यक्ति-रूपमें हरअेक देहमें दिखायी पढ़नेवाले अुसके प्रत्यगात्मभावके बीचका भेद समझनेकी जरूरत है। यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि चैतन्यशक्ति अथवा परमेश्वर अनादि-अमर है, असलिये अुसमेंसे स्फुरित और अुसके आधारपर टिका हुआ व्यक्तित्व भी अनादि-अमर ही है। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह है ही, अैसा मान लेनेके परिणामस्वरूप समाजधर्मके प्रति अनास्था और अपने व्यक्तित्वके ही विकास और मोक्षके बारेमें श्रद्धा पैदा होती है। 'समाजधर्म, सेवा ये सब अपने निजी मोक्षकी सिद्धि पुरते ही महत्त्वके होते हैं। अगर यह कल्पना ही हो, तो समाजधर्मके त्यागमें समाजका द्रोह ही होता है।

दूसरी ओरसे विचार करे, तो व्यक्ति मरकर दुनियामेंसे नेस्त नाबूट हो जायँ, फिर भी दुनियाके जीवनका क्रम और विकास रुकते नहीं हैं। पूर्वजों द्वारा साधे हुअे विकास या हास, तप या पाप, अुनके द्वारा हासिल की हुअी सिद्धियाँ या पराज्यों वगैराका लाभ पीछे आनेवाली पीढ़ियोंको मिलता है और अस तरह भावी समाजके अुत्थान-पतनका अितिहास प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। पूर्वजोंका डोरा वंशजोंमें दिखायी पड़ता है। व्यक्तिकी अुन्नतिसे समाजकी अुन्नति होती है और समाजकी अुन्नति व्यक्तिकी अुन्नतिमें मददगार होती है। समाजकी मददके बिना कोअी भी

व्यक्ति अपना सब तरहका विकास नहीं कर सकता ।-“जन्म-मृत्यु ‘विचक्षण नहीं ताता । जब न समाज होत सुखदाता ॥” (कृष्णायन) । यह हो सकता है कि कुछ व्यक्तियोंकी मददके बिना ही समाजको अपना विकास करना पड़े, मगर कहना होगा कि जैसे व्यक्ति अनुपर रहनेवाला समाजका कर्ज अदा नहीं करते ।

मतलब यह है कि व्यक्तित्व, चाहे अनादि-अमर हो, फिर भी समाज-धर्मको छोड़कर निजी श्रेय साधनेकी अनुपासना दोषपूर्ण ही है । समाजके कल्याणके लिये कोशिश करते रहना और अिसी अुद्देश्यसे अपनी शक्तियोंका अुपयोग और विकास करना हमारी साधना होनी चाहिये । अिस विचारके अभावका ही यह नतीजा है कि ससार अुसे कष्ट देनेवाले लोगोंके हाथमें ही रहा है और रहता है । जिस हद तक यह विचार, परमेश्वरमें निष्ठापूर्वक, छूटा है, अुसी हद तक ससारको भले लोगोंकी मदद मिली है और मिलती है । व्यक्तिको अपने मरनेके बादके अपने भविष्यकी चिंता करनेकी जरूरत नहीं है । अुसे समाजके ही श्रेयकी चिन्ता करनी चाहिये ।

१०

## धर्मों द्वारा खड़े किये हुअे विघ्न

अैहिक या पारलौकिक धर्मका हेतु मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम, अेकता, सदाचार, न्याय, नीति, सुखमय समाजजीवन तथा अनेक सद्गुण और अच्छी आदतें निर्माण करना होना चाहिये । वह मनुष्यके विवेक और अुसकी स्वतंत्र रीतिसे विचार करनेकी शक्तिका विकास करनेवाला होना चाहिये । वह कल्पनाओं, वहमों आदिके घेरेसे मानवको बाहर निकालनेवाला तथा अज्ञानसे ज्ञानकी ओर, परावल्वन — अगवित्तमेसे स्वावल्वन — शक्तिकी ओर जानेकी जो प्राणिमात्रकी स्वाभाविक गति है, अुसे मदद करनेवाला होना चाहिये । अिस स्वभावके साथ ही प्राणियोंकी प्रकृति दैन्यसे अैश्वर्यकी ओर, भोगके अभावसे बहुत अत्यधिक भोगकी ओर जानेकी भी है । यह प्रकृति अुसके

और समाजके विनाशका कारण होती है। फिर भी, अिसको पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता, और ज़बरदस्ती दवानेसे न अिसे लाभ होता, न समाजको और अिससे किसीका अुत्कर्ष भी नहीं सघता। अिसलिअे धर्मका हेतु यह है कि वह दो अन्तिम सिरे छोड़कर समाजको बीचका रास्ता बार बार बतलाता रहे। चाहे जितनी पूर्णताको पहुँचा हुआ धर्म-स्थापक हो, फिर भी वह हमेशाके लिअे अैसा रास्ता नहीं निकाल सकता जिससे यह हेतु सिद्ध हो। समय-समय पर हरअेक स्थान व प्रजाको विशेषताओं तथा सयोगिक अनुसार अुसमें बार बार घट-बढ तथा बड़े बड़े परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। धर्मके मूल आधारस्तम्भ — सिद्धान्तोंसे कुछ सनातन हो सकते हैं, मगर अुसके विगतवार विधिनिषेध सनातन नहीं हो सकते। यह बात नहीं समझनेसे, अिसे भूल जानेसे, जो धर्म मनुष्योंके मार्गदर्शक होने चाहिये, वे ही अुन्हें भ्रममे डालनेवाले, भटकानेवाले और विपत्तियोंमें ढकेलनेवाले हो गये हैं। जितने बड़े बड़े धर्म आज प्रचलित हैं, वे सब अिस आक्षिपके पात्र हैं। अीश्वरप्रणीत माने जानेवाले (रिवीलड या अपौरुषेय) धर्म तो और भी ज्यादा प्रमाणमें।

हमारे देशके कअी राजकीय शकल ले लेनेवाले सवालें और झगड़ोंके मूलमे अुतरने पर पता चलेगा कि प्रचलित बड़े-बड़े धर्मके प्रति रहनेवाली गलत श्रद्धाओं तथा अुनके बढप्पनके बारेमे झूठे अभिमानोंने अुन्हें पैदा किया है। ये अब धर्मके मार्ग नहीं रहे, बल्कि अैसे टूटे हुए, भिटे हुए अवशेष हैं, जिनमेसे गुजरनेकी कोशिश मानव समाजको भयकर जगलमें ही ले जाती है। और मोहवश हम सब अपने-अपने रास्तेको सच्चा मानकर अुबड़-खावड़ पगडण्डीको ही दुरुस्त करके अुसे पक्की बनानेकी कोशिश करना चाहते हैं।

स्मृतिकारोंने किसी समय धर्मों और वणोंकी अुच्चता-नीचताकी कल्पना की, अुसके अनुसार विवाह, विरासत, छुआछूत, सकरता-शुद्धता, सजा-क्षमा वगैरके कायदे बनाये और जातिभेदकी नींव डाली। अुस समय गायद यही हो सकता होगा। मगर हमारे लिअे ये सनातन सिद्धान्त वन बैठे। ये शास्त्र अब प्रामाणिक नहीं रहे, अैसा कहनेकी हिम्मत कौन करे? अब भले अैसा लो कि छिर्योंके अधिकार विशाल करने,

विरासतके नियम बदलने, विवाह-बन्धनोंमें फेरफार करने, छुआछूत हटाने और वर्णान्तर-धर्मान्तर विवाहोंको मान्य रखनेकी ज़रूरत आ पड़ी है। शासनकी मददसे हम चाहे यह सब करनेमें सफल भी हो जायें, मगर सनातन हिन्दू धर्मों तो अिस सबको धर्मका लोप या कलियुगका प्रभाव ही मानेगा। सुधारक हिन्दू अितनी हद तक चाहे न जाय, मगर आदर्शके रूपमें तो वह अैसा कुछ मानता ही है : जैसे कि, किसी न किसी रूपमें वर्ण-व्यवस्थाका जीर्णोद्धार करना ज़रूरी है, पुनर्विवाह और तलाकके कानूनोंने रास्ता भले कर दिया हो, मगर वह प्रशस्त नहीं है, सिर्फ कानूनी विवाहसे विधि पूरी नहीं होती, उसके साथ अैसा कुछ रखना ही चाहिये, जिससे पुराने शास्त्रों और विधियोंकी कुछ प्रतिष्ठा बनी रहे, वगैरा-वगैरा। वह गणपतिको न माने, फिर भी गणेशोत्सव मनाता है; नागपूजाको न माने, फिर भी नागपचमीका दिन पालता है, वह अवतारों तथा देवोंकी विडम्बना करे, अुनके सिनेमा और नाटक खेले, फिर भी अुनके दिनों और महिमाको भूलने नहीं देता।

यही बात मुसलमानों, सिक्खों वगैराके बारेमें भी है। कुरानने चार औरतें करनेकी अिजाजत दी है। अब कौन अिन्सानी ताकत अुसको वापस लेनेकी हिम्मत कर सकती है ? कुरानने गायको मारनेकी मनाही नहीं की। तब किसी भी अिन्सानी ताकतको अुसे रोकनेका अधिकार ही नहीं हो सकता। गुरु गोविन्दसिंहने पांच 'क' रखनेकी आज्ञा दी है, अिसलिये जो अुसे छोड़े, वह सिक्ख नहीं, जो छोड़नेके लिये कहता है, वह सिक्ख धर्मपर हमला करता है। और ये ही सब अिन्सानोंके झगड़ों-पक्षों वगैराकी अुत्पत्तिके कारण है।

अिन सबका कारण क्या ? कारण है : वेद अपौरुषेय हे, स्मृतिकार त्रिकालज्ञ थे, वाअिवल और कुरानमें अीश्वरकी वाणी है, गुस्वाक्य अविचारणीय है — वगैरा श्रद्धाअें।

विविध रूपोंमें मूर्तिपूजा और अुसके अनेक नये नये प्रकार निर्माण करनेका और अुसके पीछे फिर खूनकी नदियां बहानेका अनिष्ट भी प्रचलित महान् धर्मोंकी ही पिछले २५-३० बरसोंमें कलहका कारण हो पड़नेवाली विरासत है। हजारों बरसोंसे राजाओं तथा बड़े बड़े वीरों और सेनापतियोंके

अपने अपने खास झंडे तो रहते ही आये हैं। हम पढ़ते हैं कि महा-भारतके युद्धमे पांचों पांडव, द्रुपद और अुसके लड़के, कौरव सेनापति वगैरा सब अपने अपने खास झंडे रखते थे। यूरोपमें भी ऐसा था। किसी योद्धाको दूरसे पहचाना जा सके, यही अिसका अेक अुद्देश्य था और होना भी चाहिये। अिस झंडेको तोड़नेका मकसद यह था कि अुस योद्धाको कोअी पहचान न सके और अिस तरह वह अपनी फौज या दोस्तोंसे अलगा पड़ जाय। अिसमे अिस झंडेका अपमान या पूजा वगैराकी भावना नहीं थी। अिस तरहके ध्वज-वदनका हिन्दुस्तानमे कोअी रिवाज कभी रहा हो, ऐसा पढ़नेमे नहीं आता। यह चीज पहले पहल अीसाअी यूरोपमे दाखिल हुअी। क्योंकि अीसाअी प्रजाओंने अपने धर्मका पूज्य चिन्ह 'क्रास' झंडेपर बनाया। पुराने अीसाअियोंमे मूर्तिपूजाका संस्कार बलवान होनेके कारण क्रासका निगान चाहे जहाँ और चाहे जिस कारणसे दिखाअी पड़े, वह वदनीय बन जाता था। अुसमें देवत्वकी भावनाका आरोप हा जाता था। अिस तरह झंडा पूज्य बना, और जिस योद्धाका वह झंडा हो, अुसके दुश्मनोंके लिअे अुस योद्धाका अपमान करने या अुसे छेड़नेका सरल साधन बना।

मुसलमानों और अीसाअियोंके बीच होनेवाले धर्मयुद्धों (क्रुसेडों)मे झंडा आसानीसे खून-खराबीका कारण बना। अिसमें अपने राजाकी, राज्यकी, धर्मकी, अिस तरह कअीकी आवरूका समावेग हुआ।

मुसलमानोंका मूर्तिपूजा-विरोधी धर्म भी अिस झंडा-पूजनकी छूतसे नहीं बचा। राज्य हो, वहाँ झंडा तो रहेगा ही। दूरसे पहचाननेके लिअे यही मौजू चीज़ मानी जा सकती है। मगर मुसलमान बादशाहोंका झंडा भी मुस्लिम धर्मके साथ जुड़ गया। मूल पैगम्बर या पहले खलीफाका झंडा नीला और चॉद-तारेके निगानवाला रहा होगा, अिसलिअे वही अीसाअियोंके क्रॉसकी तरह अिस्लामका बुत बना। फिर भी अमुक दिन और अमुक तरीकेसे झंडा चढ़ाना, अुतारना, अुसे सलामी देना वगैरा कर्मकांड मुस्लिम राज्योंमे होते होंगे, ऐसा नहीं लगता।

हिन्दुस्तानमे ब्रिटिश राजके आनेसे पहले झंडेका किसी जीते जानेवाले या जीते हुअे स्थानके साथ या प्रत्यक्ष लड़ाअीसे जहाँ सम्बन्ध न

हो, वहाँ सिर्फ़ असीकी अिज्जत या टेक रखने या अुसे तोड़नेके लिये कहीं खून-खराबी हुआ हो, अैसा कहीं पढ़नेमें नहीं आता ।

ब्रिटिश राज्यने हिन्दुस्तानमें झडके रूपमे मूर्तिपूजाका अेक नया प्रकार दाखिल किया । अिस मूर्तिपूजा-परायण देशमें हिन्दू राजा बहुतसे थे, मुसलमान बादशाह भी बहुतसे थे । मगर किसीका अेक झडा नहीं था । कोअी झडा सिर्फ़ हिन्दू धर्मका ही चिह्न माना जा सके, अैसा नहीं था । जिस तरह दूसरे राजाओंके अपने झडे थे, अुसी तरह शिवार्जने भी अेक पसन्द किया था । वह भगवे रगका था, जिसपर कोअी दूसरा निशान नहीं बना था । मगर भगवे झडेकी या किसी मन्दिरकी घ्वाकी भी वन्दना करनेकी किसीने कल्पना तक नहीं की थी ।

किसी मूर्तिपूजापरायण कांग्रेसके मेम्बरको झडा पूजनकी छूत लगी । अुसने यह छूत गाधीजीको लगाअी और अुसकी झडपमें वे आ गये । फिर यह सारी कांग्रेसमें फैली, और अुसके विरोधियोंको भी दूसरे रूपमे लगी । चरखेके निशानवाला तिरगा झडा पैदा हुआ, अुसके विरोधमें यूनियन जैक तो था ही, लीगका नीला — चोंद-तारेवाला झडा, हिन्दू महासभाका भगवा झडा और दूसरे छोटे-बडे दलोंके कअी किसके झडे बने । कोअी देश जीतने नहीं थे, जीते हुअे नहीं थे, कोअी युद्ध नहीं चल रहा था या कोअी फौज नहीं थी, जिसके आगे अिसे रखा जाता, फिर भी अिसने पक्षका — टेकका — झगड़ा खड़ा किया । नागपुरके मूर्ख हाकिमोंने अुसके लिये निमित्त देकर अुसे अहमियत दी । झडा पूजनीय मूर्ति बना । अुसपर स्त्री-पुरुषोंके खून बहे ! तिरगा आगे आवे, तो लीगका झडा क्यों पीछे रहे ? और हिन्दू महासभा अिसे कैसे चुपचाप मान ले ? जिस तरह लाल (या केठारी), सफेद, नीला, भगवा रग और चरखा या चक्र, या चोंद-तारेका निशान मनुष्योंके लिये अेक-दूसरेके सिर फोड़नेके निमित्त बने । केठारी यानी बलिदान, सफेद यानी शान्ति, नीला यानी अमुक, चरगौरा तो मनुष्यके दिये हुअे कल्पित अर्थ हैं । अिन रगोंने अुन भावनाओंको सुरक्षित रखा हो, अैसा कभी नहीं देखा गया । झडेका चरखा सूत नहीं निकाल सकता, न अुसका धर्मचक्र धर्म कायम कर सकता, मगर वे सब झूठी मोह-भ्रमता और खुरेजीकी भावनाको बढ़ावा देते हैं और यह तो

प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि जिसीमेंसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके दो राजकीय प्रदेश खड़े हुअे । अगर झडा सिर्फ पहचानका ही चिह्न होता और उसका सिर्फ अितना ही उपयोग समझनेका सस्कार होता, तो बहुतसी विला वजह होनेवाली खूरेजी रुक सकी होती ।

अेक सोचने लायक बात यह है कि 'रिलिजियन' या 'मज़हब' के अर्थमे धर्म शब्दका उपयोग अभी अभी ही किया जाने लाा है । सस्कृत भाषामें मत, पथ, सम्प्रदाय, दर्शन, शास्त्रवाद वगैरा शब्द हैं, अिन जुदे जुदे पन्थोंको मान्य हों, जैसे धर्म अथवा आचार भी है, और अिस तरह स्मृति-धर्म, रुढ़ि-धर्म, पुराणोक्त-धर्म वगैरा भी है, मगर वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म जैसा भाषा-प्रयोग हालमे ही पैदा हुआ है । अपने अपने सम्प्रदाय या दर्शन द्वारा मान्य किये हुअे शास्त्रोंका समन्वय और अेकवाक्यता करनेकी हरअेक मतवालेने कोशिश भी की है । मगर अल्ला अल्ला मतों या पन्थोंका या अनेक शास्त्रोंका समन्वय या अेकवाक्यता करनेकी कोशिश नहीं हुअी । अिसे सम्भव नहीं माना गया कि वेद मत, जैन मत, बौद्ध मतकी अेकवाक्यता की जा सकती है । अैसा कोअी नहीं कहता कि श्वेताम्बर पन्थ और दिगम्बर पन्थ, शैव सम्प्रदाय और वैष्णव सम्प्रदाय, सांख्य-दर्शन और वेदांतदर्शन वगैरा वगैरामें अेकवाक्यता है । ज्यादासे ज्यादा अिन सबमें विचारकी क्रमिक प्रगति या समानता दिखानेकी कोशिश होती है । अल्ला अल्ला मतों, दर्शनों वगैराको माननेवालेके प्रति सहिष्णुता रखते हुअे भी हमारे यहाँ अुनकी आलोचना करनेमे कमी संकोच नहीं किया गया, न यही माना गया कि अुनकी आलोचना की ही नहीं जा सकती । अिस बातको स्वीकार किया गया है कि 'शास्त्रार्थ', 'खण्डन-भण्डन' आदि करनेका अधिकार सबको है ।

सच पूछा जाय, तो जैसे वैदिक मत, जैन मत, बौद्ध मत हैं और अुनमेंसे हरअेकमें अनेक सम्प्रदाय, दर्शन, पथ कहे जा सकते हैं, वैसे ही अिस्लाम और अीसाअी मत भी हैं । हरअेक मत अुसके माननेवालेको सोलह आने सच मालूम होता, हो, मगर दूसरे मतवालेको वह कुछ सच्चा और कुछ झूठा या बिलकुल झूठ भी ला सकता है । झूठ लाते हुअे भी वह भले अुसके प्रति सहिष्णुता रखे, विनय-आदर बतावे, विनय-आदरसे

मुसे जाननेकी कोशिश करे, मगर यह मजूर नहीं किया जा सकता कि मुस्के विचारों और आचारोंकी सत्यासत्यताकी आलोचना नहीं की जा सकती, या असा करनेका किसीको अधिकार नहीं है। अगर अिसे मजूर कर लिया जाय, तो सत्यकी गोघ और असत्यके त्यागका रास्ता ही बन्द हो जाय। मगर मर्तोंके लिअे धर्म या मजहब शब्दका प्रयोग करके, अुसकी अुत्पत्तिके बारेमें अुस मतके अनुयायीकी श्रद्धा — अीस्वर-प्रणीतता यानी सत्यता — दूसरे मतवालोंको भी मान्य रखनी चाहिये, असा सत्य-गोघनका विरोधी आग्रह पैदा हो गया है।

विचार करने पर मालूम होगा कि गलत शब्दों द्वारा बहुतेसे अनर्थ पैदा होते हैं। अूपर कहे मुताबिक 'मजहब' या 'रिलिजियन'का सच्चा अर्थ 'मत' है। मगर अिसके लिअे 'धर्म' शब्दकी योजना हुअी। फिर सहिष्णुताके बदले 'समभाव'की योजना हुअी। अिस तरह परमत-सहिष्णुताके अर्थमें सर्वधर्म-समभाव शब्द बना। और समभावका मतलब सहानुभूति या आदर नहीं, बल्कि 'अेकभाव' (= सब धर्म अेक ही है) और अुससे आगे बढ़कर वह 'ममभाव' (= सब मेरे हैं) तक पहुँचा।

अेक तरफसे असा लग सकता है कि यह सब हिन्दुओंकी अेक युक्ति ही है, और अिसका अुद्देश्य बढ़ती हुअी धर्मान्तरकी प्रवृत्तिसे आत्मरक्षा करना है। अगर यह मान लिया जाय कि हरअेक धर्म सच्चा है, मोक्षदायी है, तो धर्मान्तरकी जरूरत ही न रहे। जिसे धर्ममें जो पैदा हुआ हो, अुसे सच्चे दिलसे पाले अितना बस है। स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। यहाँ धर्म शब्दका अर्थ मत — सम्प्रदाय — नहीं है, यह कहनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। अिसका यह अभिप्राय नहीं है कि जैनसे वैष्णव या वैष्णवसे जैन मत स्वीकार नहीं किया जा सकता या अद्वैतवादी वातावरणमें पला हुआ व्यक्ति द्वैतवादी नहीं बन सकता। सामाजिक धर्म— जिन्हें मामूली तौरपर वर्णाश्रम धर्मके नामसे पहचाना जाता है— अपने अपने स्वभाव, शिक्षण, सत्कार बगैरासे जम गये हों, तो अुनका त्याग न करनेका ही अिसमें अुपदेश है। मत बदला जा सकता है, तभी तो अनेक सम्प्रदाय और गुरु-गादियाँ चलती हैं और अुनका प्रचार होता है। जैसे जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि मत हैं



और 'अनुनका स्वीकार-त्याग किया जा सकता है, उसी तरह मुसलमान-  
 आसाआी मतोंका भी स्वीकार-त्याग करने और 'अनुनका प्रचार या खण्डन-  
 मण्डन करनेमे कोआी हर्ज नहीं होना चाहिये । इसमेंसे राजकीय समस्या  
 खड़ी होनेकी ज़रूरत नहीं है ।

मगर हुआ ऐसा ही है, और मत बदलनेकी प्रवृत्ति, जिसे धर्मान्तर  
 प्रवृत्तिका नाम दिया गया है, एक बड़ी समस्या बन बैठी है । इस  
 समस्याका सच्चा स्वरूप समझनेमे धर्म शब्दके गलत अुपयोगके कारण हम  
 खुद गलत रास्ते चल पड़े हैं ।

हकीकत यह है कि अिस्लाम तथा अिसाआी धर्म सिर्फ मतान्तर  
 नहीं कराते, बल्कि समाजान्तर भी कराते हैं । कोआी जैन वैष्णव बनकर  
 गलेमें कठी पहने तथा कृष्ण-मन्दिरमें जाय और गीता-भागवत पढे, या  
 वैष्णव जैन बनकर कठी तोड़े, अपासरे (जैन साधुओंके रहनेकी जगह) मे  
 जाय और जैन-पुराण सुने, तब भी उसके सामाजिक और घरेलू धर्म-कर्म  
 तथा स्थान, वंश-विरासत-विवाह वगैरके अधिकार आदिमे फेरफार नहीं  
 होता । उसका नाम ठाम नहीं बदलता । मगर मुसलमान या आसाआी  
 होते ही यह सब बदल जाता है । तब उसकी पत्नी उसकी पत्नी नहीं  
 रह जाती, पति पति नहीं रह जाता । उसके सम्मिलित कुटुम्बके, विरासतके  
 तथा मिल्कियतके अधिकारोंमे फर्क पड़ जाता है । इस तरह मतान्तरके  
 साथ समाजान्तर होनेसे प्रजामें समाजमेद निर्माण होता है — हुआ है ।  
 और इस तरह समाजकी एकता भंग होनेका नतीजा दो प्रजाओं —  
 दो नेग्रन्स — का वाद और उसके फल है । जो झगड़ा है वह अहंता,  
 गॉड या आीश्वरका नहीं, एक देव या बहुदेवोंका भी नहीं, बल्कि कुरान,  
 बाअिबल तथा स्मृतियों द्वारा निरूपित अलग अलग किस्मके सामाजिक  
 अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधि-निषेधोंका  
 है । अगर सामाजिक कायदे एक प्रदेशमे रहनेवाली सारी प्रजाके लिअे  
 एकसे ही रखनेका लाजमी नियम हो, और साथ ही परमत सहिष्णुता भी  
 हो, तो अनेक तरहके मत-पंथ होनेसे भी मुश्किलें पैदा न हों ।

इस तरह धर्मान्तर = मतान्तर + समाजान्तर; और विविध धर्म  
 (= मजहब) = विविध आध्यात्मिक मत + विविध सामाजिक कायदे ।

मिनमेंसे अगर योग्य मर्यादामें रहकर सिर्फ, विविध आध्यात्मिक मतोंका ही प्रचार हो और चाहे जिस तारादादमें अेक मतेके मनुष्य दूसरे मतमें शामिल हों, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उससे अड़चने पैदा होंगी ही । सर्वधर्म-समभाव नहीं बल्कि परमत-सहिष्णुता ही हो, तब भी, सब सुखसे रह सकते हैं । मगर मतान्तरके साथ उस मतवालेको किसी खास समाजके कायदेके अनुसार चलने या उससे वे मान्य रखानेकी छूट नहीं होनी चाहिये । जिस मामलेमें कायदोंका 'अल्पमतवालों'का, — यानी विशिष्ट धर्म या मतवालोंका — अधिकार मान्य रखनेसे भिन्न भिन्न, अेक दूसरेसे अेकरूप न हो सकनेवाले समाजोंका अस्तित्व टाला नहीं जा सकेगा, और जिसकी समस्याओं खड़ी होती ही रहेंगी । यह बतलानेसे जिस समस्याका अन्त नहीं होगा कि श्रीश्वर, सद्गुण और पवित्र जीवनके सम्बन्धमें सब धर्म अेकमत हैं, क्योंकि ये झगड़े श्रीश्वर, सद्गुण या पवित्र जीवन सम्बन्धी मतोंके बारेमें नहीं, बल्कि मेरे और दूसरेके समाजके अलग होनेसे पैदा होनेवाली राजकाय, आर्थिक वगैरा स्पर्धाओंके हैं ।

जिस हद-तक ऐसे समाजान्तरका कारण आजके धर्म हैं, उसी हद तक वे प्रजाकी समस्याओंका अन्त करनेमें विघ्नरूप हैं ।

११

## भाषाके प्रश्न - पूर्वार्ध

यह हमें अच्छी तरहसे याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान प्रकरण हिन्दुओंकी समाज-रचना और उनके स्वभावका नतीजा है । हमारा चौका दूसरोंसे बिल्कुल जुदा होना चाहिये, उसमें किसी दूसरेको शामिल नहीं करना चाहिये, हमारी विशिष्टता ऐसी होनी चाहिये कि अधा भी उसे देख सके, यह हिन्दू जन्तका — या जन्तका नहीं, बल्कि हिन्दू पंडितों, नेताओं तथा ऊँची कही जानेवाली जातियोंका स्वभाव और आग्रह बन गया है ।

यह बात नहीं है कि ऐसा समाज कभी सुधारता ही नहीं या प्रगति ही नहीं करता । मगर वह जिस सुधार या प्रगतिको बुद्धिपूर्वक नहीं अपनाता ।

ज़बरदस्तीसे कोअी सुधार अउसमें दाखिल किया जाय, तो काफ़ी समय बीतनेपर वह अउसके आधीन हो जाता है । और सिर्फ़ आधीन ही नहीं होता, बल्कि वह मानो शुरूसे ही अउसके सामाजिक जीवनका अग था, अैसा समझकर अउसके प्रति ममता भी रखने लाता है । सुधारोंके सम्बन्धमें हमारी वृत्ति रेल्गाड़ीके मुसाफ़िरों जैसी है । डब्बेमें जगह होते हुअे भी अगर नया मुसाफ़िर बैठनेके लिअे आवे, तो पहले अउसे रोकनेकी कोशिश करना । मगर वह जबरदस्ती घुस जाय, तो पहले थोड़ी देर तक क्रोध दिखाना और बादमे अउसे दोस्त बना लेना । फिर कोअी तीसरा मुसाफ़िर आवे, तो नये और पुराने दोनोंने मिलकर वँसा ही व्यवहार अिस तीसरेके साथ करना ।

आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कारिक, वगैरा जीवनके किसी भी पहलूकी हम जाँच करेंगे, तो हमारे अिस स्वभावके हमें दर्शन होंगे । अिसमेसे यहाँ हम भाषाके प्रश्न पर विचार करेंगे ।

अिसमे शक नहीं कि हमारी मौजूदा प्रान्तीय भाषाओं बहुत ज्यादा अशोंमे सस्कृत भाषाकी खाद चूसकर बड़ी हुअी विविध लताये है । मगर जब हम 'बहुत ज्यादा अगों'का मतलब सौ फी सदीके बराबर समझने लाते हैं, तब दो-तीन प्रकारकी भूले होती हैं । पहली यह कि सस्कृत खादका बहुत बड़ा भाग होने पर भी अउसमे दूसरी भाषाओंका खाद भी है ही, और हम यह भूल जाते हैं कि सस्कृत अपने साहित्यिक स्वरूपमें नहीं, बल्कि प्राकृत अथवा विकृत ( यानी बिगड़े हुअे ) रूपमे भी है । अिस कारणसे अेक ही सस्कृत शब्द अलग अलग भाषाओंमे अलग अलग अर्थोंमें काममे आता है, और अेक ही अर्थमे अलग अलग भाषाओं अलग अलग सस्कृत शब्दोंको भी काममे लेती है, अिसे हम भूल जाते हैं । दूसरी भूल यह होती है — हम अैसा मानने लगे हैं कि मुसलमानों और अग्रेजोंके आनेसे पहले सस्कृत परिवारसे स्वतंत्र भाषाओं बोल्नेवाली मानो कोअी प्रजाओं अिस देशमें थीं ही नहीं, अथवा अगर थीं भी, तो अउनकी बोलियोंका हमारी मौजूदा भाषाओंमें कोअी हिस्सा ही नहीं है । सच बात तो यह है कि हमारी प्रचलित भाषाओं सस्कृत ( तत्सम या तद्भव ) + स्थानीय और पुरानी या नअी आयी हुअी प्रजाओंकी भाषाओंसे अच्छी तरह

ज़बरदस्तीसे कोअी सुधार अुसमें दाखिल किया जाय, तो काफ़ी समय बीतनेपर वह अुसके आधीन हो जाता है । और सिर्फ़ आधीन ही नहीं होता, बल्कि वह मानो शुरूसे ही अुसके सामाजिक जीवनका अग था, अैसा समझकर अुसके प्रति ममता भी रखने लगता है । सुधारोंके सम्बन्धमें हमारी वृत्ति रेलगाड़ीके मुसाफ़िरोँ जैसी है । डब्बेमे जगह होते हुअे भी अगर नया मुसाफ़िर बैठनेके लिअे आवे, तो पहले अुसे रोकनेकी कोशिश करना । मगर वह जबरदस्ती घुस जाय, तो पहले थोड़ी देर तक क्रोध दिखाना और बादमे अुसे दोस्त बना लेना । फिर कोअी तीसरा मुसाफ़िर आवे, तो नये और पुराने दोनोंने मिलकर वैसा ही व्यवहार अिस तीसरेके साथ करना ।

आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कारिक, वगैरा जीवनके किसी भी पहलूकी हम जाँच करेंगे, तो हमारे अिस स्वभावके हमे दर्शन होंगे । अिसमेसे यहाँ हम भाषाके प्रश्न पर विचार करेंगे ।

अिसमें शक नहीं कि हमारी मौजूदा प्रान्तीय भाषाअें बहुत ज्यादा अशोंमें सस्कृत भाषाकी खाद चूसकर बढ़ी हुअी विविध लताये है । मगर जब हम 'बहुत ज्यादा अशों'का मतलब सौ फी सदीके बराबर समझने लगते है, तब दो-तीन प्रकारकी भूलें होती हैं । पहली यह कि सस्कृत खादका बहुत बड़ा भाग होने पर भी अुसमे दूसरी भाषाओंका खाद भी है ही, और हम यह भूल जाते है कि सस्कृत अपने साहित्यिक स्वरूपमें नहीं, बल्कि प्राकृत अथवा विकृत ( यानी विगड़े हुअे ) रूपमे भी है । अिस कारणसे अेक ही सस्कृत शब्द अलग अलग भाषाओंमे अलग अलग अर्थोंमें काममे आता है, और अेक ही अर्थमे अलग अलग भाषाअें अलग अलग सस्कृत शब्दोंको भी काममे लेती है, अिससे हम भूल जाते हैं । दूसरी भूल यह होती है — हम अैसा मानने लगे है कि मुसलमानों और अग्रेजोंके आनेसे पहले सस्कृत परिवारसे स्वतन्त्र भाषाअें बोलनेवाली मानो कोअी प्रजाअें अिस देशमें थीं ही नहीं, अथवा अगर थीं भी, तो अुनकी बोलियोंका हमारी मौजूदा भाषाओंमे कोअी हिस्सा ही नहीं है । सच बात तो यह है कि हमारी प्रचलित भाषाअें सस्कृत ( तत्सम या तद्भव ) + स्थानीय और पुरानी या नअी आयी हुअी प्रजाओंकी भाषाओंसे अच्छी तरह



न हों। जैसे वक्रत। अपनी भाषाका कोअी-नया शब्द बनानेकी, बात सामान्य जनताको नहीं सुझती; क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। अगर कभी उसके समान अर्थवाला दूसरा शब्द मिल जाय, फिर भी नया शब्द काममे लानेमे ज्यादा सुविधा हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप या तो दोनों ही शब्द चल जायें, या फिर नये शब्दके सामने लोग अपने शब्दको भूल भी जायें। दो असमान धाराये जब मिलती हैं, तब बड़ी या जोरदार धारा छोटी या कमजोर धाराको रोक देती है; ऐसा जिस तरह पानी और हवाके बारेमे होता है, उसी तरह भाषाओंके बारेमें भी समझना चाहिये।

एक दूसरेको अपने मनकी बात समझानेके लिये ही भाषाका प्रयोग होता है। इसमे बोलनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा ज्यादा महत्वकी चीज़ है। “आंखके खास डॉक्टर”मे संस्कृत, अरबी और अग्रेजी भाषाओंके तद्भव हैं। फिर भी “अक्षि-चिकित्सा विशेषज्ञ”-या ऐसा कुछ लिखा हुआ पटिया कोअी लगावे, तो मामूली आदमी उसे आसानीसे समझ नहीं सकेगा। धधा करनेकी जिच्छावाला कोअी भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। डॉक्टरके बदले वह वैद्य या हकीम भी नहीं लिखेगा। क्योंकि इससे उसकी विशेष चिकित्सा-पद्धतिके सम्बन्धमे भ्रम हो सकता है। भाषा-शुद्धिकी दृष्टिसे यह बहुत बड़ा सकट है; मगर भाषा-शुद्धि कोअी स्वतंत्र रीतिसे की जा सकनेवाली चीज़ नहीं है। भाषा जब खुद ही जीवनका साध्य नहीं, बल्कि साधन है, तब उसकी शुद्धिके बारेमे तो क्या कहा जाय ?

परन्तु मुसलमान और अग्रेज चूंकि हमपर हमला करके, हमे हराकर आये हैं, इसलिये इससे पैदा हुअे हीनताग्रहसे हमारे मनमें अिनकी भाषा, सस्कृति, लिपि वगैरा सबके प्रति अरुचि पैदा हो गयी है। यह अरुचि यहाँ तक बढ़ी कि ‘यावनी’ या ‘म्लेच्छ’ भाषाका शब्द कानोंमें पड़ जाय, तो अुठकर नहानेवाले भी हमारे यहाँ हो गये हैं। इससे अिन भाषाओंको हमारे जीवनमे दाखिल होनेसे हम रोक तो नहीं सके, मगर यह अरुचिकी भावना अभी हमसे छूटी नहीं है। अिनकी भाषाके जिन शब्दोंको हमारी जनता कितनी ही पीढ़ियोंसे काममे लाती रही है,



माने हुअे सस्कार, भाषा वगैराकी छाँहसे भी परहेज करते हैं । और सो भी सैकड़ों बरस साथ रह लेनेके बाद ।

यह दृष्टि दूसरी चाहे जिसकी हो, पर क्रान्तिकी नहीं है, अेकताकी नहीं है, सुलह-शान्ति-सपकी नहीं है, असलिअे अहिंसाकी नहीं है, विद्या तथा प्रगतिकी नहीं है । मेरी समझसे यह दृष्टि संकुचित मिथ्याभिमानकी है ।

शिक्षाकी दृष्टिसे अस पर चौथे खडमे ज्यादा विचार किया गया है ।

१३-९-१४७

१२

## लिपिके प्रश्न - पूर्वार्ध

भाषासे भी लिपि ज्यादा बाह्य वस्तु है । भाषाको लेखनमे प्रकट करनेका यह साधन है । असका लिखनेवाले या बोल्नेवालेकी जाति, धर्म, प्रान्त, राष्ट्र वगैराके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं । टेव-महावरेके साथ जरूर सम्बन्ध है । यह टेव आनुवशिक नहीं है । असके बारेमे अैसा अभिमान या ममत्व होनेकी जरूरत नहीं है कि असमें फेरफार करनेसे हमारी जाति छोटी हो जायगी । असलिअे भाषा और लिपि दोनोंमेसे अेकको छोड़नेका प्रसंग आवे, तो लिपिका त्याग कर देना चाहिये ।

हिन्दुस्तानमें आज अनेक लिपियाँ प्रचलित है । वर्णमालाके खयालसे अिन लिपियोंके तीन वर्ग किये जा सकते हैं : सस्कृत वर्णमालावाली, फारसी वर्णमालावाली, और अग्रेजी वर्णमालावाली । (अग्रेजी असलिअे कहता हूँ कि रोमन लिपिके अग्रेजी अनुक्रम और अुच्चार-पद्धति ही हिन्दुस्तानमें प्रचलित है, रोमन या यूरोपकी दूसरी भाषाअेकि नहीं ।)

अग्रेजी वर्णमालाकी लिपि अस तरह सल्मन है कि अुसे अेक भी कहा जा सकता है और चार भी । लिखने और छपनेकी पद्धतियोंमे थोड़ा फर्क होनेके कारण, और कैपिटल और छोटे अक्षरोंमें थोड़ा भेद होनेसे यह चार प्रकारकी बनती है और फिर भी ये भेद मराठी (बालबोध)





ब्राह्मी लिपि कहा गया है। इस लिपिका कालांतरमें देवनागर (कोशी) में जो मरोड़ स्थिर हुआ, वही आधुनिक देवनागरी है। काशीके प्राचीन सांस्कृतिक महत्त्वके कारण इस लिपिका सबसे ज्यादा प्रचार तथा आदर हुआ। यह आसानीसे देखा जा सकता है कि गुजराती, कैथी जैसी लिपियाँ देवनागरीके ही रूपान्तर हैं। बंगाली, उडिया या द्राविड़ी लिपियोंमें यह बात अतनी आसानीसे नज़र नहीं आती। ये ब्राह्मी लिपिके सीधे रूपान्तर भी हो सकती हैं।

अलग अलग प्रान्तोंमें पहले-पहले लेखन-कला ले जानेवाले पंडितोंके अपने-हस्ताक्षर, लिखनेके अधिष्ठान (कागज, भोजपत्र आदि), लिखनेके साधन (स्याही, कलम, लोहेकी लेखनी आदि) वगैरह कारणोंसे अलग अलग जगहोंकी लिपिमें जाने-अनजाने नये मरोड़ पैदा हुअे जान पड़ते हैं। ऐसा भी लगता है कि कुछ अक्षरोंकी पहले जरूरत न जान पड़ी हो और अन्धे-बादमें दाखिल किया गया हो। यह सब हरएक प्रान्तमें अके साथ ही या अके ही तरहसे नहीं हुआ। फिर भी सबके पीछे एक मूल बुनियादी योजना साफ दिखायी पड़ती है। स्वर-योजना, स्वरोंको व्यंजनके साथ मिलानेकी योजना, अक्षरों या चिन्होंके ऊपर, नीचे, दाहिने या बायें तरफ लिखनेकी रीत सब जगह अकेसी मालूम होती है। छापनेकी कलाके आगमनके बाद कुछ प्रान्तोंमें उसमें फर्क पड़ गया है।

यह नहीं कहा जा सकता कि ये लिपियाँ सिर्फ रूढिवाश या अनजाने ही बदलती गयी हैं। उनमें समय-समयपर बुद्धिपूर्वक फेरफार किये हुअे भी जान पड़ते हैं।

इस तरह उन लिपियोंका अध्ययन एक बहुत दिलचस्प विषय है। उनके स्वरूपकी जांच करने पर अल्टी-तरफ लिखी जानेवाली अरबी-यहूदी लिपियाँ और विलकुल अलग दिखायी पड़नेवाली रोमन-ग्रीक लिपियोंमें भी ब्राह्मी लिपिके साथ सगपन दिखायी पड़ता है, और इससे यह अनुमान होता है कि ये सब लिपियाँ मूलमें एक ही लिपिसे पैदा हुयी होंगी।

जिस तरह बाप-बेटे विलकुल अकेसे लगते हैं, दो जुड़वाँ भाजियोंमें भुलावेमें डालनेवाली समानता दिखायी पड़ती है, फिर भी वे विलकुल

अेकसे नहीं होते; जैसे हरसाल ऋतुअे नरानर आती हैं, फिर भी अेक सालकी ऋतु हूबहू किसी दूसरे सालकी ऋतु जैसी नहीं होती; अिसी तरह जीवित भाषा, लिपि और वेशको अेकसा रखनेकी हम चाहे जितनी कोशिश करें, वे विलकुल अेकसे कमी नहीं रह सकते। जानबूझकर हम भले अुनमे कोअी फेरफार स्वीकार न करें, मगर अनजाने ही अुनमें फेरफार हो जाते हैं। यह मुझे बापदादोंसे विरासतमें मिली हुअी भाषा, लिपि, या पोषाक है, अैसा कहना झूठे अभिमानके सिवा और कुछ नहीं है। अैसा कहनेवालेके पूर्वज कमी न कमी तो दूसरी ही भाषा बोलते, लिपि लिखते और पोशाक पहनते ही होंगे। कोअी व्यक्ति अपने बापदादोंकी अेक भी चालसे पूरी तरह चिपका नहीं रह सकता। अच्छा है अिसलिअे न छोड़नेका आग्रह ठीक है, मगर बापदादोंसे चला आया है, अिसलिअे अच्छा न हो फिर भी अुससे चिपके रहनेके आग्रहका क्रान्तिकी बातोंसे मेल नहीं बैठता।

दो व्यक्तियोंमें भी अपनी अपनी अलग विशेषतायें होती हैं और वे अेक होनेकी कोशिश करें, फिर भी वे नहीं जातीं। अिसी तरह दो प्रजाओंमें, प्रजाके अलग अलग वर्गों, वर्गोंमें अपनी अपनी विशेषतायें रहेंगी, मगर अिसलिअे अुन्हें अलग रखनेका हठ करना, अुन विशेषताओं पर झूठा अभिमान करना, अुन्हें धर्मका रूप देना ठीक नहीं है। मनुष्यके बीच दिलोंकी अेकताकी तरह ही बाहरी अेकता लानेकी कोशिश करना भी जरूरी है। अगर विशिष्टता या भेदोंके लिअे जरूरी कारण हों या अमुक भेद रखनेसे मनुष्य जातिका ज्यादा हित किया जा सकता हो, तो वहां अुन्हें भले रहने दिया जाय। मगर जहां अैसी जरूरत समझमें न आवे, वहां अहिंसक व्यक्तिके लिअे भेदोंको सहन करना लाजमी है। मगर अपने भेदकी पूजा करना ठीक नहीं है।

मुसलमान अगर धर्मके कारण अुर्दूका आग्रह रखें, प्रान्तवाले प्रान्तीय अस्मिताकी वजहसे अपनी अपनी लिपियोंका आग्रह रखें, नागरीको हिन्दुस्तानकी अस्मिताके लिअे बनाये रखनेका आग्रह हो, रोमन लिपि सिर्फ परदेशी होनेके कारण छोड़ने लायक जान पड़े, तो ये सारी दलीलें

क्रान्तिकी नहीं है। सबके गुण-दोषोंका स्वतंत्र और मानव-हितकी दृष्टिसे विचार करनेके लिये विवेकी व्यक्तिको तैयार रहना चाहिये।

अिन प्रश्नों पर भी शिक्षण खडमें ज़्यादा विचार किया गया है।

१५-९-४७

१३

## अेकता और विविधता

भाषा, लिपि, वेश, वंश-विरासत-विवाह-मिल्कियत वगैराके नियम, शिष्टाचार-सदाचार-भान-पूजा-सत्कार वगैराकी रूढियाँ, घर-गली-गाँव-सभामंडप आदिकी रचना, आसन-भोजन-स्नान वगैराके रिवाज आदि अिस बात पर विचार करनेकी ज़रूरत खड़ी करते हैं कि अेकता और विविधताका कहाँ और कैसे खयाल रखा जाय।

दुनियामे विविधतायें तो रहेंगी ही। यह बिल्कुल ठीक है कि सबको सोलह आने अेकसा नहीं बनाया जा सकता। कअी विविधताये कुदरतकी ही बनाअी हुआ है। अल्ला अल्ला जगहोंकी अल्ला अल्ला आबोहवा, नैसर्गिक सम्पत्ति, सुविधा-असुविधा वगैराके कारण विविधतायें पैदा होती है। अिनकी वजहसे खान-पान, वेश, घर-गाँव वगैराकी रचना, धर्म वगैराकी विशेषताओं, व शिष्टाचार-सदाचारकी रूढियोंमे फर्क पड़ता है और अुसे रखना पड़ता है।

कअी विविधतायें संपर्कके अभावमे पैदा होती है और कअी नये सम्पर्कोंसे बनती हैं। मूलमे अेक ही भाषा, रिवाज आदिको माननेवाले जब अेक दूसरेसे बहुत दूर जा बसते हैं और अुनका आपसमें मिल्ना-जुलना बन्द हो जाता है, तो अेक ही भाषा (अुच्चारण), लिपि, वेश, रूढ़ि वगैरा धीरे धीरे अितने बदल जाते हैं कि वे अेक दूसरेसे बिल्कुल ही भिन्न जान पड़ते है। रेलवे वगैरा प्रवासकी सुविधाओंके कारण अब पहलेकी अपेक्षा अिस तरहका सम्पर्क कम दृष्टता है। सम्पर्कके अभावमे पहले 'बारह कोस पर बोली न्यारी' वाली कहावत चरितार्थ होती थी;

और सिर्फ बोली ही नहीं, बल्कि पगड़ी और जूतोंके आकार भी बदल जाते थे और विवाह-शादीकी रूढ़ियोंमें भी भिन्नता आ जाती थी ।

कभी बार जब एक ही प्रदेशका एक हिस्सा एक प्रकारके लोगोंके सम्पर्कमें आता है और दूसरा दूसरे प्रकारके लोगोंके, तब भी विविधता पैदा होती है ।

कभी बार जान या अनजानमें कुछ फर्क हो जाते हैं, और वे फर्क स्थायी बन जाते हैं, और जिन्होंने वे नहीं किये होते, वे अलग पड़ जाते हैं ।

अस तरह प्रकृति, देश, काल, क्रिया, सग, शिक्षा-दीक्षा, नित्य-नैमित्तिक प्रसग, सुविधा-असुविधा वगैरासे विविधताएँ पैदा होती हैं और होती रहेंगी ।

मगर यह सोचना एक प्रकारकी भूल है कि ये विविधताएँ पैदा होती हैं, असलिअे अिन सबको रखना ही चाहिये, अिन्हें टालनेकी कोशिश ही नहीं करनी चाहिये, फिरसे अकता कायम करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये, अिन विविधताओंमें ही अपनी अस्मिता और अभिमान भर देना चाहिये और विविधतामें ही अकता देखनी चाहिये । और विविधताके कारणोंकी जांच किये वगैर अक ही संचेमें ढले हुअे मालकी तरह ज़बरदस्ती अकता कायम करनेकी कोशिश करनेमें दूसरे प्रकारकी भूल है ।

प्रकृतिके भेद ( जैसे कि स्त्री-पुरुषके, चमड़ीके रगके ), कुदरतके भेद ( जैसे कि लाल, काली, सफेद, पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी वगैरा ज़मीनके, समुद्र किनारेसे अँचाअीके, रेखांश-अक्षांशके तथा अलग अलग ऋतुओंके ), परिस्थितिके भेद ( जैसे कि शान्तिकालके, युद्धकालके, सुकाल-दुकालके, अुम्रके, माता-पिताके, भाव-अभावके वगैरा ) जो विविधतायें निर्माण करते हैं, वे थोड़ी बहुत लाज़मी हैं । अिन कारणोंसे पैदा होनेवाले प्रजाओंके जीवनधारणके भेदोंको सहन करना चाहिये और अुन्हें रखते हुअे भी अुनके बीच अच्छे सम्बन्ध पैदा करने चाहिये ।

मगर शिक्षा-दीक्षाके भेदोंके कारण पैदा होनेवाले भेद और अूपर गिनाये हुअे भेद जिस जगह या जिस कालमें अनिवार्य हों, अुससे भिन्न

जगह या भिन्न कालमें भी उन्हें अनिवार्य ही नहीं मानना चाहिये। गुजरातकी आदिमी अगर बंगालमें जाकर रहे, तो उसका अपने साथ गुजरातकी भाषा, लिपि, वेश, रीति-रिवाज, उत्तराधिकारके कार्यदे, विवाह आदिकी विधियाँ, आदर-सत्कार-पूजा वगैराके तरीके ले जाकर, उन्हें कायम रखनेका आग्रह करना या अधिकार माँगना उचित नहीं है। अल्ला अल्ला धर्मके लोगोंकी धर्मविधियोंसे (यानी देवपूजा तथा प्रार्थना-वगैरामें) भले अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार फर्क हों; मगर सामाजिक कार्योंमें — जैसे कि सभाओं, सामाजिक सम्मेलनों, विवाह आदिके मौके पर, किये जानेवाले स्वागत-वगैरामें — हिन्दू एक तरहसे सत्कार-शिष्टाचार करें और मुसलमान दूसरी तरहसे, असा नहीं होना चाहिये; बल्कि उस जगहका बहुजन समाजका जो शिष्टाचार हो, वही सबको स्वीकार करना चाहिये। 'जैसा देस, वैसा-भेस' वाली कहावतमें बड़ी समझदारी भरी हुआ है। मगर भेसका मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि भाषा, लिपि, वगैरा ऊपर गिनायी हुयी सभी चीजोंको जिसमें शामिल समझना चाहिये। सिर्फ चार दिनोंके लिखे ही विलायत जानेवाला या जिस देशमें थोड़े दिनोंके लिखे ही आनेवाला व्यक्ति अपना वेश कायम रखे, यह बात तो समझमें आ सकती है। मगर कोसी हिन्दुस्तानी विलायतमें लम्बे अरसे तक — मान लो छह महीनों तक — रहना चाहे, या कोसी यूरोपियन या हिन्दुस्तानके बाहरका व्यक्ति यहाँ अतने ही समय तक रहना चाहे, तो सभ्यता अपने वेशको पकड़े रखनेमें नहीं, बल्कि उस जगहका वेश वगैरा धारण करने व वहाँकी भाषा बोलनेकी कोशिश करनेमें मानी जानी चाहिये। अल्ला अल्ला प्रान्तोंके बीच तो ऐसा विशेष रूपसे होना चाहिये। मगर किसी विचित्र अहभावके वंशमें होकर हम दूसरी जगह रहकर भी वहाँकी प्रजाके साथ पूरी तरहसे घुल-मिल जानेके बदले अपनी पुरानी रीतियोंसे चिपके रहते हैं और ऐसा करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसा नियम होना चाहिये कि गुजरातमें बसनेवाले हिन्दू-मुसलमान-पारसी-अंग्रेज, सब गुजरातके लिखे निश्चित किया हुआ वेश ही पहनें; गुजराती भाषा ही अपनावे और गुजराती लिपिका ही स्वीकार करे। जिस विषयमें प्रान्तीय विशेषता ही कुछ न हो, और सारे हिन्दुस्तानमें सब एकसे ही हों, —

भले-अिसमें दो-चार विकल्प या प्रकार हों — तो वह ज्यादा विष्ट है। सारी दुनियामें अगर ऐसा किया जा सके, तब भी तात्त्विक दृष्टिसे अिसमें कोसी बुराही नहीं है। मगर सबके बीच अपना अलग बाड़ा बनाकर रखनेका आग्रह अिष्ट नहीं है; और न अिसे कानून द्वारा मजूर करवानेकी मांग ही अुचित्त है। भाषा, लिपि, वेश, वश-विरासत, सदाचार, शिष्टाचार वगैरा-किसी कालके और देशके समाजकी सार्वजनिक चीजें हैं; अुन्हें किसी खास फिरकेकी चीजे बना देना ठीक नहीं है।

अेक ओर हम अखड हिन्दुस्तानके हिमायती हैं। कहते हैं कि केन्द्रीय सत्ता बलवान होनी चाहिये। देशके टुकड़े होनेका हमारा शोक अभी दूर नहीं हुआ है। हम दो राष्ट्र (नेशन) के सिद्धान्तके प्रति अपना विरोध जाहिर करते हैं। हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक-बहुसंख्यकका सवाल ही न रहे और सब धर्मके लोग अेक दूसरेके साथ हिल मिलकर भाभी-भाभीकी तरह अेक हो जायें। जात-पातके भेदभाव तोड़नेका भी हम प्रचार करते हैं और समाजवादके आदर्शमें भी अपना विश्वास जाहिर करते हैं।

दूसरी तरफ हमारी प्रवृत्तियाँ अिस तरह काम करती हैं, मानो हमारे दिलोंमें डर बैठ गया हो कि अगर सारा हिन्दुस्तान अेक हो गया, केन्द्रीय सत्ता मजबूत हो गयी, जात-पात दूट गयी, तो फिर हमारा व्यक्तित्व क्या रहेगा? हमारा 'मैं' या हमारा मंडल भी कुछ है, अिस अभिमानको हम कैसे कायम रख सकेंगे? अिसलिये हम अपने प्रान्तीय भेदोंपर और अुन्हें स्थिर करने तथा बढ़ानेपर ज़ार दे रहे हैं। तामिल और तेलुगु लोग दुनियाके दूसरे सब लोगोंके साथ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, मगर अुन दोनोंका अेक दूसरेके साथ रहना और काम करना अिअशक्य है। अिन दोनोंके अलग अलग रहनेके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। अैसा ही संघर्ष बंगाली-विहारीका, कल्कत्तामें मारवाड़ी-बंगालीका, मध्यप्रान्तमें हिन्दी-महाराष्ट्रीका और बम्बयीमें गुजराती-मराठी-कानड़ीका है।

राजतन्त्रकी सुविधा या भाषाकी सुविधा वगैराकी दृष्टिसे भाषावार विद्यापीठोंकी स्थापना करना या प्रान्तीय प्रबन्धके हिस्से करना अेक चीज़

है । मगर एक भाषा बोलनेवालेकी दूसरी भाषा बोलनेवालेसे न बने, वे एक दूसरेसे आीर्ष्या करें, और जीवनके छोटे-बड़े हरएक क्षेत्रमे भाषाका भेद गाय-भैंसके बीचके भेदसे भी ज़्यादा महत्त्वका बन जाय, तो अिसे हमारी कलह-प्रियताका ही चिन्ह समझना चाहिये ।

एक तरफ हम सयुक्त-मतदार-मडलोंका और अुनमे लाज़मी तौरपर किसीके लिअे खास जगहें न रखनेका कानून बनाते हैं, नौकरियोंमें भी अिसी नीतिकी हिमायत करते हैं । और दूसरी तरफ हम कानूनसे वाहर अिससे भी ज़्यादा मज़बूत रूढ़ियाँ (conventions) कायम करनेकी कोशिश करते हैं । चुनावोंमे अुम्मीदवार खड़े करनेमे, मन्त्रिमडल चुननेमें, अुनके मन्त्री चुननेमे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकरकी पसदगीमे, कमेटियोंकी नियुक्तिमे — कहीं भी सिर्फ योग्यताके आधारपर तो पसदगी की ही नहीं जा सकती; बल्कि योग्यता तो गौण बन जाती है । ब्राह्मण-अब्राह्मण, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी हुअी जातियाँ, पारसी, आसाआी, मुसलमान, गुजराती, महाराष्ट्री, कानडी, नागपुरी, वैदर्भी, बगाली, बिहारी, स्त्री, पुरुष वगैराके यथायोग्य प्रमाण बनाये रखना ही महत्त्वकी चीज़ बन जाती है । और यह प्रपच अितना बढता जाता है कि हरिजन है मगर भगी नहीं है, मांग नहीं है; पिछड़ी हुअी जातिका है मगर बुनकर नहीं है, तेली नहीं है; सुन्नी है, मगर शिया नहीं है; आसाआी है, मगर अँग्लो-अिडियन नहीं है; वगैरा वगैरा शिकायते करते हुअे हमे सकोच नहीं होता । और अिन शिकायतोंको रद्द करनेकी हिम्मत भी किसीकी नहीं होती, क्योंकि नेताओंके खुदके ही दिलोंसे यह दृष्टि नाबूद नहीं होती ।

हिन्दी-अुर्दू-हिन्दुस्तानी भाषा और लिपि वगैराके झगड़े, फिरकेवाराना झगड़े, प्रान्तीय आीर्ष्या वगैरा सबके मूलमे एक ही चीज़ है : हमारे दिलोंकी क्रान्ति नहीं हुअी, हम अपनी सकुचित अस्मिताओंको छोड़ नहीं सकते, अिससे छोटे छोटे टुकड़ोंमे बँट जानेकी ओर ही हमारा पुरुषार्थ बारबार जोर किया करता है ।



# जड़मूलसे क्रान्ति

भाग दूसरा

आर्थिक क्रान्तिके सवाल



## चौथा परिमाण

अब आर्थिक सवालेंको ले । किसी चीज़का माप बतलाना हो, तो मामूली तौरपर अगर उसको लम्बायी, चौड़ायी और मुटायी, ये तीन परिमाण बतला दिये जायें, तो माना जाता है कि उसका पूरा वर्णन हो गया । मगर आधुनिक भौतिकशास्त्री कहते हैं कि यह वर्णन काफी नहीं है । उसके साथ साथ दूसरे दो परिमाण और भी बताने चाहियें, और वे हैं वर्णनके काल और स्थानके । क्योंकि जो चीज़ धरतीकी सतह पर अमुक परिमाणवाली होती है, वह चंद्रपर उसी परिमाणकी नहीं रहेगी और गुल्पर उसका परिमाण फिर बदल जायगा । उसके सिवा कालभेदसे भी उसका माप जुदा रहेगा । असमं स्थानका महत्त्व ज़रा विचार करनेपर शायद समझमे आ जाय । फिर वर्णन करते वक़्त चूँकि चीज़के साथ ही उसके स्थानका अस्तित्व भी मानकर चलते हैं, अिसल्लिखे मामूली तौरपर उसके विषयमें अल्लासे विचार नहीं करना पड़ता । मगर भौतिकशास्त्रियोंका निर्णय है कि स्थानसे भी हर क्षण बदलनेवाले काल-समय-का महत्त्व बहुत ज़्यादा है और वह आसानीसे समझमे नहीं आता । फिर भी कालके विचारमेसे ही आइन्स्टाइनका 'रिलेटिविटी'—सापेक्षताका सिद्धान्त पैदा हुआ, जिसने गुरुत्वाकर्षण, वयैराकी पुरानी मान्यताओंमें बहुत फर्क कर डाला । देशका परिमाण वस्तुके साथ ही माना हुआ होनेसे कालको चौथा परिमाण कहा जाता है ।

ऐसा ही कुछ आर्थिक सवालेंको समझनेके बारेमे है । पहले सम्पत्तिके कारणोंमें—सिर्फ दो चीज़ें गिनायी जाती थीं : कुदरत और मज़दूरी । यानी कुदरती सामग्रीकी सुलभता और मज़दूरीकी सुलभता परसे सम्पत्तिका माप निकाला जा सकता था । आगे चलकर मालूम हुआ कि सिर्फ ये दो परिमाण काफी नहीं हैं । कुदरती सामग्रीकी और मज़दूरीकी सुलभता किसे और किस प्रकारकी है, यह भी सम्पत्तिका माप

निकालनेके लिये एक महत्त्वका परिमाण है। जिसकी सुलभताका विचार करते हुये ही पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, औद्योगीकरण, राष्ट्रीयकरण, यंत्रीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण आदिके अनेक वाद पैदा हुये हैं। और जिस तरह जात-पाँत, धर्म वयैराके भेदोंके कारण आपसमे झगड़नेवाले अनेक वर्ग बनते हैं, उसी तरह अिन वादोंके आग्रहसे भी बने हैं।

जैसे कभी बार क्रान्तिकी मददसे कुछ धर्म अपना अधिकार जमाते हैं, वैसे ही अलग अलग वादोंको माननेवाले भी जैसे किसी एक वादका अधिकार कायम करनेकी कोशिश करते हैं। जहाँ मौजूदा राज्यतंत्र अिस कोशिशके अनुकूल नहीं होता, वहाँ उस तंत्रको ही बदलनेकी कोशिश होती है। किसी वादकी स्थापनाको आर्थिक क्रान्ति कहते हैं, और उसके लिये राज्यतंत्रके बदलनेको राजकीय क्रान्ति। अिस तरह क्रान्तिका अर्थ (मामूली तौरपर कुदरती सामग्रीपरके अधिकार और व्यवस्था सम्बन्धी) किसी नये वादकी ज़बरदस्ती या क्रान्ति ढगसे स्थापना करना हो गया है।

मगर सम्पत्तिका माप निकालनेके लिये कुदरती सामग्री, मज़दूरी और, उससे सम्बन्ध रखनेवाला वाद ये तीन परिमाण काफी नहीं हैं। अिसमे भी दूसरे दो और परिमाणोंपर विचार करना शेष रहता है। ये दो परिमाण अगर शून्य हों, तो विपुल कुदरती सामग्री, विपुल मज़दूरी और सारे श्रेष्ठ वादोंपर रचा हुआ राज्यतंत्र तीनोंके होते हुये भी सम्पत्तिके गणितका जवाब शून्य ही निकल सकता है। जिस तरह किसी चीज़का शुद्ध गणित करनेमे देश-काल महत्त्वके परिमाण है, उसी तरह सम्पत्तिका गणित करनेमे दो महत्त्वके परिमाणोंकी अपेक्षा रहती है। और वे हैं : प्रस्तुत प्रजाका ज्ञान और चरित्र।

अिनमेंसे ज्ञानका महत्त्व आज मामूली तौरपर सभी स्वीकार कर लेंगे। ज्ञानमें कौन कौनसी बातोंको शामिल करना चाहिये, किन्हें कितना महत्त्व दिया जाय; अिसके बारेमे थोड़ी बहुत अस्पष्टता या मतभेद शायद रहे। यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि यहाँ ज्ञानका मतलब 'अपराविद्याओं' (ब्रह्मविद्याके सिवा अन्य विद्याओं) सम्बन्धी ज्ञानसे है। फिर भी

अुसकी आवश्यकताके सम्बन्धमे निवृत्तिवादी (दुनियाकी झझटोंसे दूर रहकर अकान्तवास करनेवाले) के सिवा शायद ही कोअी शका करेगा । यह परिमाण ग्रहीत किये जैसा ही है ।

चरित्रके महत्त्वके वारेमे यों तो सभी अेकमत हो जायेंगे । निवृत्तिवादी भी अुसकी ज़रूरतसे अिनकार नहीं करेगा । भौतिकवादी भी मुँहसे अुसका अस्वीकार नहीं करेगा । फिर भी जिस तरह वस्तुका माप दिखानेमें कालके निर्देशका महत्त्व आसानीसे ध्यानमे नहीं आ सकता, अुसी तरह चरित्रका महत्त्व मनुष्योंके — नेताओंके या जनताके — ध्यानमें नहीं रहता । अिसके सम्बन्धमें यही आशा रखी जाती है कि अिसकी कमीकी पूर्ति कानूनकी या दडकी व्यवस्था द्वारा हो जायगी । राजकीय क्रान्तिसे, नये प्रकारके वादपर क्रायम की हुअी आर्थिक व्यवस्थासे या राज्यतन्त्रके सचालकोंमे ज़बरदस्त फेरबदल करनेसे जनताका चरित्र अँचा नहीं अुठता । अुल्टे अैसे अेकाअेक और अनपेक्षित फेरफारसे कअी अनिष्ट तत्व अवश्य दाखिल हो जाते हैं । राज्य द्वारा नये धर्मकी स्थापनासे भी चरित्र अुच्च नहीं होता । यह कैसे हो, अिसपर अल्लासे विचार करेगे । यहाँ तो अिस बातपर जोर देनेकी ज़रूरत है कि कुदरती सामग्री, मनुष्यबल, अनुकूल राज्य और अर्थवादकी स्थापना तथा ज्ञान, अिन सबके रहते हुअे भी अगर योग्य प्रकारका चरित्रघन नेताओं और प्रजाओंके पास न हो, तो अिस अेक ही कमीके कारण देश और प्रजा दुःख और गरीबीमे डूव सकती है । अिस चौथे परिमाणका महत्त्व ठीक तरहसे समझना चाहिये ।

## चरित्र निर्माण

कुदरत, मजदूरी, ज्ञान, योग्य राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्थाके साथ चरित्र भी समाजकी तरक्कीके लिये लाजमी और महत्त्वका धन है, जिसे स्वीकार करनेके बाद जिसकी वृद्धिके उपायों पर विचार करना शेष रहता है ।

‘चौथा प्रतिपादन’ वाले प्रकरणमे चरित्रके मुख्य अंग गिनाये गये हैं । ओक ही बात फिरसे कहनेका दोष अपने सिर लेकर भी मैं उन्हें यहाँ फिरसे गिनाता हूँ :

जिज्ञासा, निरलसता, अद्यम,  
 अर्थ व भोगेच्छाका नियमन ।  
 शरीर स्वस्थ व वीर्यवान;  
 अन्द्रियाँ शिक्षित स्वाधीन,  
 शुद्ध, सम्य वाणी-अुच्चारण,  
 स्वच्छ, शिष्ट वस्त्र धारण,  
 निर्दोष, आरोग्यप्रद, मित आहार;  
 सयमी, शिष्ट स्त्री-पुरुष-व्यवहार ।  
 अर्थव्यवहारमे प्रामाणिकता व वचनपालन,  
 दम्पतीमे अीमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन,  
 प्रेम व विचारयुक्त गिशुपालन  
 स्वच्छ, व्यवस्थित, देह-घर-आम,  
 निर्मल, विशुद्ध जल-धाम,  
 शुचि, शोभित सार्वजनिक-स्थान ।  
 समाजधारक अुद्योग व यत्रनिर्माण—  
 अन्न-दूधवर्धन प्रधान,

सर्वोदय-साधक समाज-विधान ।  
 मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय,  
 रोगी-निराश्रितको आश्रय,  
 ये सब मानव-अुत्कर्षके द्वार  
 समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ।

अिन गुणोंकी समाजमे वृद्धि हो, अिस अुद्देश्यसे यहाँ हम अुनके साधनोंके बारेमे विचार करेंगे ।

अिस सम्बन्धमे दो-तीन तरहकी प्रणालिकायें व्यवहारमे हैं । सुविधाके लिअे अुन्हें दीक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति और सयोग (environment) पद्धति नाम दिये जा सकते हैं ।

पहली पद्धतिमे दीक्षा या सदुपदेश पर जोर है । बार बार यह बात प्रजासे कहते रहना, अिसका अुपदेश देनेवाली पुस्तकोंका श्रवण-वाचन-मनन कराना, अिसकी फलश्रुति बतलाना, अिससे सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं कहना, जप जपवाना (नारे लगवाना) वगैरै वगैरै अिसमें शामिल ह ।

दूसरी पद्धतिमे शिक्षा या तालीमपर और पुरस्कार तथा दडपर जो दिया जाता है । बचपनसे ज़रूरी आदतें डालना, अिन्सानके गले अुतरे या न अुतरे, वह समझे या न समझे, अुसे अैसे अनुशासन — निज़ाम — मे रख देना कि अुसके मुताबिक वरतनेकी अुसे आदत पड़ जाय । आदत डालनेके लिअे मौजू तरीकोंसे अिनामका लोभ या दण्डका भय भी बतलाना । चरित्रके अगोंका अभ्यास करके अुनकी यत्रकी तरह आदत (mechanization) तथा कवायद (regimentation) कराना ।

तीसरी पद्धतिमे अैसे अनुकूल या प्रतिकूल सयोग पैदा करनेपर जोर है, जिनमें योग्य प्रकारके चरित्रकी ओर मनुष्यका स्वाभाविक झुकाव हो । बचपनसे ही भीलको बाघ-चीतेका, खालेका गाय-चैलका, और शहरीको मोटरों और ट्रामोंकी दौड़ादौड़का भय नहीं लगता । खलासी चलती स्टीमरमें अितने अूँचे बॉसपर मज़ेमें चढ़ जाता है, जहाँसे दूसरे किसीकी आँखोंमें तो अँधेरा ही छा जाय, भर दरियामें भी वह नहीं घबराता; मगर पडितके लड़केको रसपूर्ण लगानेवाली चर्चामे अुसे नींद आ जाती है ।

साहस पैदा करनेवाले सयोगोंमेसे साहस पैदा होता है और वार्तावधि उसके अपने सयोगोंमेसे उत्पन्न होती है । जिसे चार व्यक्ति मिलकर ही कर सकते हों, जैसे काम करनेकी प्रवृत्तिमे शामिल होनेसे जिस प्रकारके सहयोगकी आदत पड़ती है । जिसको सिर्फ अकेले हाथों ही काम करनेके सयोग मिले हों, सम्भव है उसे किसीके साथ काम ही न करते बने । आपसी प्रेमसे भरे हुए परिवारमें पले हुए बच्चों और साथ रहते हुए भी अपना ही स्वार्थ साधनेवाले भाजियों, देवरानी-जिठानियों, सास-बहूओं वगैराके बीच पले हुए बच्चोंके चरित्रमें बहुत फर्क पड़ जाता है । जहाँ अन्न खाये नहीं खद्यता, पानीकी कमी नहीं होती जैसे देशमे अतिथि-सत्कारका गुण स्वाभाविक होता है, अद्वारता, दान वगैराकी वृत्तियाँ भी होती हैं; यही देश जब अन्न-जलसे मोहताज हो जाता है, तब अन्सानोंको कचूस — अनुदार — बना डालता है । जिस तरह जैसा चरित्र अिष्ट हो, उसके अनुकूल बाहरी संयोग निर्माण करना तीसरी पद्धतिका ध्येय है ।

पहली दो पद्धतियाँ पुराने जमानेसे प्रसिद्ध हैं, और आज तक अन्हींपर ध्यान दिया गया है । हमारे देशमें अभी अिन दो पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है । अधर कुछ दिनोंसे पश्चिमके विद्वान् तीसरी पद्धतिपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं । हमारे यहाँ अभीतक जिसकी ओर दुर्लक्ष्य ही रहा है ।

तेज, जातवान, अच्छे घोड़ेको प्रेरणा करनेके लिये मालिकके मुँहका शब्द काफी होता है । यह दीक्षा पद्धति है । अनगढ़, और जिसकी तालीममे ज़्यादा मेहनत न की गयी हो, जैसे घोड़ेको हाँक और चाबुकसे प्रेरणा की जाती है या उसके आगे लालच की चीज़ रखी जाती है । यह शिक्षा पद्धति है । दीमक, चींटी, मधुमक्खी, भौरा, पतिंगा, पक्षी वगैरामे सयोग ही उनको अपनी अपनी प्रवृत्तियोंमे लगानेवाला चरित्र पैदा करते हैं । सयोग बढ़नेपर जुदा किस्मकी आदतोंवाली जातियाँ पैदा हो जाती हैं ।

मनुष्योंमे कुछ व्यक्ति तेज, जातवान घोड़े जैसे होते हैं, उनके लिये दीक्षा-पद्धति काफी होती है । सबको अनगढ़ घोड़ेकी तरह ज़रूर रखा जा सकता है; मगर जिससे जातवान घोड़े बनेंगे और साधारण घोड़े



जीवनभर अनगढ़ — परप्रेरित ही रहेंगे । वे कभी सच्चे अर्थमें चरित्रवान नहीं बनेंगे । अिसी तरह सबके लिये शिक्षा-पद्धति काममें लायी जा सकती है, मगर अिससे चरित्रको उँचा अुठानेमें सफलता नहीं मिल सकती । ष्यादासे ष्यादा कुछ यत्नवत् आदते भले पढ़ जायँ । फिर भी, यह पद्धति कुछ अशों तक रहेगी ही ।

मगर यह समझना ष्यादा ठीक है कि मनुष्य मुख्य रूपसे मक्खीकी जातिका प्राणी है । वह घरेलू मक्खीकी तरह असरख्य होकर भी असगठित और निम्नचरित्र हो सकता है, या योग्य सयोगोंमें मधुमक्खी जैसा व्यवस्थित भी रह सकता है । जगली मधुमक्खीसे ल्गाकर बक्समें रहनेवाली मधुमक्खी तक वह अनेक जातियोंवाला हो सकता है ।

चरित्र-गठनके लिये योग्य सयोग निर्माण करनेकी ज़रूरतों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ।

चरित्र-निर्माणके लिये कुछ अशोंमें योग्य अनुकूल सयोगोंकी और कुछ अशोंमें योग्य प्रतिकूल सयोगोंकी ज़रूरत होती है । बेहद अनुकूलतायें चरित्रको शिथिल कर सकती हैं और बेहद प्रतिकूल सयोग मनुष्यको और अुसके साथ अुसके चरित्रको कुचल सकते हैं । अनुकूलतायें और प्रतिकूलतायें अगर योग्य परिमाणमें रहें, तो वे चरित्रवर्धक साबित होती हैं । अलवत्ता, अिनके साथ अिनके अनुरूप शिक्षा-दीक्षा भी चाहिये ।

मनुष्य किस हद तक स्वाधीन सयोगोंका स्वामी और निर्माण करनेवाला है, और किस हद तक सयोगोंके आधीन, पराधीन प्राणी है, अिस सवालका निश्चित जवाब देना कठिन है । मगर बहुजन समाजकी दृष्टिसे यदि हम अैसा मानकर चलें कि मनुष्य ष्यादा अशोंमें सयोगोंके आधीन है, और कुछ अशोंमें वह स्वाधीन और सयोगोंका स्वामी व निर्माण करनेवाला भी है, तो मेरा खयाल है कि भूलें नहीं होंगी, और अगर होंगी भी, तो कमसे कम होंगी ।

मनुष्यका यह स्वभाव होता है कि अुससे अनजाने हुअी गलतियोंका सारा दोष संयोगोंके सिर मढ़कर वह अपना वचाव करता है, मगर दूसरेको अुसकी भूलोंके लिये दोष देते वक्त यह मानकर चलता है कि वह दूसरा आदमी स्वाधीन ही है, और कहीं वे भूलें अुसके ध्यानमें पहले भी आयी



कुदरती सम्पत्तिसे ज़्यादासे ज़्यादा फायदा उठानेका हिसाब लगानेमें लगे हैं। बालिआ मताधिकार (adult franchise), औद्योगीकरण (industrialization), राष्ट्रीयकरण (nationalization), विकेन्द्रीकरण (decentralization), सहकारी खेती और गोपालन, बलवान केन्द्रीय सत्ता (strong central government) वगैरा विविध योजनाओंका, कभी कभी परस्पर विरोधोंके बावजूद, अेक ही अुद्देश्य है कि देशकी कुदरती सम्पत्ति ज़्यादासे ज़्यादा बड़े और अुसका लाभ ज़्यादासे ज़्यादा लोगोंको मिले। अिसके लिये अेक तरफ तो मनुष्य आपसमें अेक दूसरेके गले काटनेको भी तैयार हैं और दूसरी तरफसे सुलह-शान्ति कायम करनेके लिये बेचैन भी हैं। अेक तरफ वह पाकिस्तान-हिन्दुस्तान, अरबस्तान-यहूदिस्तान बनाता है, अेटम बम और कॉस्मिक किरणोंकी शोध करता है और दूसरी ओर UNO की प्रवृत्ति भी चलाता है।

देशकी कुदरती सम्पत्तिकी बारीकीसे गिनती लगानेमें कज़ी अर्थशास्त्री लगे हुअे हैं। अिस सम्पत्तिका कितनी तरहसे अुपयोग हो सकता है, अिस बातकी शोधमें बड़े बड़े वैज्ञानिक दिनरात अेक कर रहे हैं। धनपति और राज्यतन्त्र अिस बातकी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि अिन शोधोंका पहला लाभ अुन्हें मिले।

अिसमें शक नहीं कि ये सारी बाते महत्त्वपूर्ण और ज़रूरी हे। यह अनुकूल परिस्थितियाँ (environments और conditions) निर्माण करनेके प्रयत्नका ही अेक भाग है। मगर साथ ही यह भी याद रखनेकी ज़रूरत है कि अितना सब होते हुअे भी अगर प्रजामे योग्य प्रकारकी चरित्र-सम्पत्ति न हो, तो यह अक रहित शून्य जैसा ही नहीं, बल्कि विनाशका कारण भी बन सकता है। अिसलिये सिर्फ सम्पत्तिके पैदावार-बँटवारे आदिको ही ध्येय बनाकर अुसके अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिये, बल्कि सम्पत्तिकी पैदावार जिसका अेक नतीजा है/अुस चरित्रधनको निर्माण करनेवाली परिस्थिति पैदा करनेका प्रयत्न होना चाहिये। अिसका खयाल न रखनेसे सम्भव है प्रत्यक्ष अनुभवमें सारे हिसाब — सारी गिनती गलत साबित हो।

लम्बी योजना और छोटी योजना-ये दो शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। मगर लम्बी या छोटी योजनामे लम्बे समय और लम्बी दृष्टिकी तथा थोड़े समय और छोटी दृष्टिकी योजनाका फर्क हमे समझना चाहिये। दस वर्ष बाद देशमे भरपूर अनाज और कपड़ा हो जाय, ऐसी दस वर्षकी योजना बनायी जा सकती है और बनानी भी चाहिये। परन्तु अिससे अगर आनेवाले छह महीनों तक अन्न-वस्त्र बिलकुल न मिल सके, तो यह लम्बी योजना निरूपयोगी है और छह महीनोंका योग्य बन्दोबस्त न होनेसे ही निष्फल हो सकती है। अिसलिअे अुसके साथ छोटी—यानी अल्प-कालीन योजना भी चाहिये ही।

मगर लम्बे समयकी या थोड़े समयकी योजनाके पीछे यदि दृष्टि छोटी हो, तब भी सारी योजना धूलमे मिल सकती है।

जैसे बने तैसे जल्दी स्वराज हासिल करना चाहिये। अिच्छासे या अनिच्छासे अग्रेजोंको भी लगा कि यह देना चाहिये। मगर, किसी भी तरह मुस्लिम लीगको समझाया न जा सका। अुसने खूब धौंधली मचायी। नतीजा यह हुआ कि अखड हिन्दुस्तानके बारेमे जिनका आग्रह बहुत तीव्र था, अुन पजाब और बगालके हिन्दू-सिक्ख नेताओंने ही अपने अपने प्रान्तके हिस्से करने और पाकिस्तान दे देनेका छोटा रास्ता अख्तियार करनेकी अिच्छा प्रकट की। यह छोटा रास्ता तत्काल परिणाम देनेवाला होनेसे मुस्लिम लीगने अिसे मजूर किया, हिन्दू-सिक्ख नेताओंने अिसकी माँग की और कांग्रेसको अुसे स्वीकार करना पड़ा। सबने तत्काल स्वराज्य स्थापनारूपी परिणाम देखा। मगर अुसके दूसरे परिणामोंकी कल्पना किसीके दिमागमें नहीं आयी।

अिस छोटे मार्गके पीछे रहनेवाली मूल कल्पना भी छोटी दृष्टिकी थी, सकुचित थी। मुस्लिम-गैरमुस्लिम द्वेष अिसके मूलमें था। अिसमें यह मान लिया गया था कि मुसलमान और गैरमुसलमान मिलकर अेक राज्य चला ही नहीं सकते। और अिसकी जड़में द्वेषका यही पानी अिरादतन सींचा गया था। यानी यह मान लिया गया था कि दो भाग हो जानेसे दोनोंको अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्र मिल जायेंगे। मगर अिस परिणामकी किसीने कल्पना नहीं की कि जो मुसलमान-गैरमुसलमान मिल

## दीर्घ व अल्पकालीन योजनायें

कर एक राज्य नहीं चला सकते, वे एक गाँव या एक शहरमें भी साथ साथ नहीं रह सकेंगे। द्वेषका नर्गा किये हुअे लोगोंने जब उसे कर दिखाया, तब कहीं यह बात हमारी समझमें आयी। लोगोंने सहज स्वभावसे हिजरतका छोटा और आसान लगानेवाला रास्ता अख्तियार किया। राज्योंको लान्चार होकर उसका साक्षी और व्यवस्थापक बनना पड़े। जिसका दुःखद अमल आज हो रहा है।

मगर यह माननेमें भूल होगी कि जिससे जिस समस्याका अन्त हो जायगा। क्योंकि जो मुसलमान और पैरमुसलमान एक गाँवमें साथ साथ नहीं रह सकते, एक राज्य नहीं चला सकते, वे कमसे कम हिन्दुस्तानमें तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाकर भी गान्तिसे नहीं रह सकेंगे। यह माननेका कोअी कारण नहीं है कि द्वेष दो बस्तियोंको अल्ला अल्ला करके ही रूक जायगा। जिसलिये यह द्वेष जिस रूपमें फैलेगा कि या तो जिस पूरे देशमें सब मुसलमान ही मुसलमान हों या सब पैरमुसलमान ही रहें। जिससेसे वादमें एक नया विश्वयुद्ध भी पैदा हो सकता है। जिस तरह सारे अशिया और सारे जगतको एक करनेका मनोरथ धूलमें मिल सकता है, और एक तरफ दुनियाके सारे मुसलमान और कुछ दूसरे देश तथा दूसरी तरफ पैरमुसलमानोंके बीच भयकर यादवी जन्म सकती है।

जो योजना मुसलमानों तथा पैरमुसलमानों (हिन्दू, अीसाअी, सिक्ख, पारसी, यहूदी, चीनी आदि) को, उनकी कम या ज्यादा तादादके बावजूद एक पड़ोसमें, एक गाँवमें, एक राज्यमें सबके साथ रहना सिखलावे, वही योजना, चाहे वह थोड़े समयकी (अल्पकालीन) हो, चाहे लम्बे समयकी (दीर्घकालीन), जिस समस्याका अन्त ला सकेगी। अगर कहीं मुसलमान लोग अल्ला रहकर जिस समस्याको अपनी ज़रूरतके मुताबिक हल कर सके होंगे, तो ये ही समस्याये फिर हिन्दू, सिक्ख, पारसी, अीसाअी वपैराने बीच खड़ी होगी। क्योंकि जो द्वेषभावना जिसके मूलमें है, वह अभी निकल थोड़े ही गयी है। और अगर मुसलमान भी जिसे हल न कर सकें, तो जिस तरह यूरोपके देश अीसाअी होते हुअे भी एक दूसरेके साथ कुत्तोंकी तरह लड़ते हैं, उसी तरह वे भी आपसमें लड़ेंगे।

क्योंकि द्वेषकी आगको जत्र बाहरकी खुराक मिलना बन्द हो जायगी, तब वह भीतरी भागको ही जलाने लगेगी ।

पाकिस्तानके—बँटवारेके—पीछे रहनेवाली मूल भावना मनुष्य-मनुष्यके बीच अग्रेम-द्वेष पैदा करनेवाली, चरित्रको हीन बनानेवाली होनेसे, उससे निकलनेवाली योजना अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन, वह बुरी ही रहेगी ।

अस चर्चाका हेतु अस जगह तो सिर्फ अितना ही है कि योजना अल्पकालकी हो, तब भी वह अल्प दृष्टिकी नहीं होनी चाहिये; और अस विषयमे सदा जागरूक रहना चाहिये कि चरित्रपर उसका क्या असर होता है । योजनाओंका असर चरित्रपर कैसा प्रभाव डालता है, पाकिस्तान और बँटवारेका प्रयोग असका एक जवरदस्त अुदाहरण है ।

२-१०-४७

## ४

### धन बढ़ानेके साधन


देशकी आर्थिक हालतको मजबूत बनानेके सम्बन्धमे आजके अल्ला अल्ला मतोंको माननेवालोंके बीच कोअी मतभेद नहीं है । गांधी-वादी दूसरे अुद्योगोंके सम्बन्धमे चाहे जितना अुदासीन रहे, मगर अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ, दूध, घी, कपड़ा, सुघड़ गॉव और घर, अच्छे रास्ते वगैराकी आजके मुकाबले कअी गुनी वृद्धि होनी चाहिये, अस सम्बन्धमें वह अुदासीन नहीं है ।

मतभेद होते हैं, धन बढ़ानेकी मर्यादा और रीतिके सम्बन्धमे । जीवनकी कितनी बातोंमे मनुष्यको स्वावलम्बी ही रहना चाहिये, कितनी बातोंमें एक दूसरेपर ही निर्भर रहनेकी आदत डालनी चाहिये, किस हद तक ज़रूरतें घटानी या बढ़ानी चाहियें, पैदावार वगैराके तरीके कितने सादे और सस्ते होने चाहियें, या किस हद तक यांत्रिक अुलझनें स्वीकार

करनी चाहियें, जीवन कितना असुविधाये सहनेवाला या सहनशील होना चाहिये और कितना सहूलियत खोजी और आरामपसन्द होना चाहिये — अिन बातोंमे मतभेद होता है ।

विचार करनेपर जान पड़ेगा कि अिन मतभेदोंके मूलमें यही दृष्टिभेद है कि मानव चरित्रके शुद्धे शुद्धे पहलुओंको कितना महत्त्व देना चाहिये । अर्थ-शास्त्रके सिद्धान्तोंकी अपेक्षा नीति — भावनोत्कर्ष — (ethics) के सिद्धान्तोंके बारेमे ज्यादा अस्पष्टता है ।

एक बार मैंने एक दुकानमे पीपरमेण्टके फूलकी बोतले देखी थीं । पाव आँससे ल्याकर दो आँस तककी बोतलें थीं । मगर मैंने देखा कि बाहरसे ये सारी बोतलें एकसे कदकी और मुँह तक भरी हुअी दीखती थीं । कुतूहलवश जब मैंने बोतलोंको हाथमें लिया, तो मेरे देखनेमें आया कि वे कुछ कुछ नीचे जैसी थीं :



अिस तरह बोतलोंके शीशेकी मुटाओंके भेदसे बाहरसे एकसी और मुँह तक भरी हुअी दिखते हुअे भी अुनमेंके फूलका प्रमाण कम-ज्यादा था । अिनमेंसे पहली बोतलकी दीवालको अगर भीतरसे घिसा जाय, तो वह दूसरी या तीसरीके बराबर मोटी हो सकती है, मगर फिर भी बाहरसे अुसके कदमें कोअी फर्क नहीं करना पड़ेगा ।

मनुष्य कुछ हद तक अिन बोतलों जैसे है । सभी मानव प्राणी एकसी बोतलोंमें भरे हुअे हैं । अिस तरह अूपरकी बोतलोंका रुफेद, लाल,

पीला वगैरा होना उनके भीतरकी चीज़को समानेके लिये महत्त्वकी चीज़ नहीं, बल्कि उनकी दीवारोंकी मुटाही ही महत्त्वकी चीज़ है, उसी तरह मनुष्यकी चमड़ीके या वह पूर्वमे पल है या पश्चिममे वगैरा बाहरी भेद उसमे समाये हुअे गुणोंके सम्बन्धमे महत्त्वके नहीं है। महत्त्वकी चीज़ यह है कि उसकी भावनाओं रूपी दीवाले स्थूल हैं या सूक्ष्म, सत्कारी हैं या असत्कारी। जिस तरह बाहरसे अेक सी दिखायी पड़नेवाली बोटलोंको उनमे ज़्यादासे ज़्यादा माल समा सके अैसी बनानेके लिये अन्दरकी दीवारोंको — बोटल टूट न पड़े और बहुत कमज़ोर न बन जाय अिस तरह सभ्हालकर — घिसना चाहिये, उसी तरह बाहरसे अेकसे लगानेवाले मनुष्योंको ज़्यादासे ज़्यादा कीमती बनानेके लिये, उनका शरीर टूट न पड़े और बहुत कमज़ोर न हो जाय अिस तरह सभ्हालकर उनकी नैतिक भावनाओंको सूक्ष्म बनाना मानवकी सारी योजनाओंका ध्येय होना चाहिये। जिस तरह बोटलको घिसनेके लिये लेथ, जुदी जुदी जातिके और मापके घर्षक (abrasives) वगैरा साधन चाहिये, और हरअेक बोटलकी जांच करके उसके लिये योग्य रीतियों और साधनोंका अुपयोग करना चाहिये, उसी तरह भावनाओंको सत्कारी बनानेके लिये अलग अलग मनुष्योंके लिये ही नहीं, बल्कि हरअेक मनुष्यके लिये भी अलग अलग समयपर अलग अलग तरीके आजमाने पड़ेंगे। पूरी मानव जातिको हमेशाके लिये अेक ही लकड़ीसे हांकनेके तरीकेसे काम नहीं चल सकता।

और अिसी मामलेमे हम मुलावेमे और विचारभेदोंमें पड़ते हैं। या तो हमारी कोशिश यह होती है कि सभी साधनोंका राजा कोअी अेक ही साधन ढूँढ निकाला जाय और अुसे सभी पर लागू किया जाय। यह कोशिश दो जगहोंके बीचके अन्तरको सेर और तोलेसे बताने या बुखारको फुटपट्टीसे नापनेकी प्रवृत्ति जैसी है।

या फिर हमारी यह समझनेकी भूल होती है कि चूँकि अनेक साधनोंकी जरूरत पड़ती है, अिसलिये अिसमे व्यवस्था लानेकी कोशिश ही व्यर्थ है और हरअेक व्यक्तिका रास्ता स्वतंत्र ही होता है। यह अिस तरह कहने जैसा है कि चूँकि तौलके, वजनके, गरमी, वायु, बिजली वगैराके



मापके साधन और परिभाषायें अलग अलग होती हैं, जिसलिये मापकी व्यवस्था ही नहीं की जा सकती ।

जिसी तरह सभी मनुष्य सात्त्विक वृत्तिके या सभी राजस वृत्तिके या सभी तामस वृत्तिके हैं, ऐसा समझकर केवल उपदेश, केवल लोभ या केवल दडके साधनोंपर जोर देना, या सबके लिये विलकुल सादे साधन या सबके लिये अटपटे साधनोंकी योजना करना, या सभी मनुष्य मज़बूत व नीरोगी होते हैं ऐसा समझकर या सभी रोगी और कमज़ोर होते हैं ऐसा मानकर साधनोंकी योजना करना, या सिर्फ स्नायुओंके विकासको या सिर्फ कर्मेन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियोंकी वेगपूर्ण या धीमी कार्यशक्तिको, या सिर्फ तार्किक या शोधक शक्तिको या सिर्फ श्रद्धाकी ही भावनाको महत्त्व देना या कोअी अेक ही ऐसा साधन खोजना कि जो सारे अिष्ट परिणाम ला सके और अनिष्ट परिणामोंको टाल सके — वगैरा सारी कोशिशें भुलावेमें डालनेवाली ह ।

वादका मतलब है अेर दो स्लोगन ( नारे ) — अति व्यापक सूत्र — बनाना और फिर अुनमे खुद ही अुलझ जाना । चरखा सूत कातनेका साधन है, और हमारे देशकी मौजूदा परिस्थितिमें अुसका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह अेक आर्थिक विधान है, और जिससे अुसके प्रचारके पीछे लगायी जानेवाली ताकतकी अुपयोगिता सब कोअी समझ सकते हैं । मगर जब हम यह समझने लगते हैं कि वह सत्य और अहिंसाका प्रतीक है, अुसे चलानेवाला व्यक्ति खी और धन-दौलतके सम्बन्धमें चरित्रवान ही होगा, वह किसी दिन झूठ नहीं बोलेगा, छुआछूतको नहीं मानेगा, किसीका खून नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, किसीको धोखा या दुःख नहीं देगा — वगैरा चरित्रवृद्धिका भी अपने स्वरूपसे ही साधन है, तब हम खुद ही अुसकी जालमें अुलझ जाते हैं । फिर हम कहने लगते हैं कि जिसका अहिंसामें विश्वास न हो, हिन्दू-मुस्लिम अेकतामें विश्वास न हो, सत्य, ब्रह्मचर्य वगैरामें विश्वास न हो, जिसका चरित्र शुद्ध न हो, वह चरखा न चलाये । जिस तरह वस्त्रनिर्माणके साधनको चरित्रनिर्माणका भी सरल साधन बनानेकी कोशिशमें जब हमें सफलता नहीं मिलती, तब हम कहने लगते हैं कि वस्त्रनिर्माणके लिये भी अुसका अुपयोग न किया जाय ।

भक्तिमार्गीं गुरुने कह दिया कि जप सारे साधनोंका राजा है मगर रातदिन 'राम' 'राम' करते रहनेपर भी कभी लोग बुरे कामोंमें फँसे हुअे देखनेमें आते हे । यह देखकर बादमें जपकी व्याख्या करनी पड़ी है : कौनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किस तरह उसे किया जा सकता है, जप करते वक्त कैसा भाव रखना चाहिये, कैसे अनुसंधान करना चाहिये, वगैरा । सब कोभी समझ सकें और उसका आचरण कर सकें, अिस दृष्टिसे पहले पहल 'जप'की योजना हुई और उसका प्रचार हुआ । मगर अितना अनियंत्रित जप बेकाम ही साबित हुआ । अिसलिअे उसपर अैसी शर्त रखी गअी कि अेकाध तीव्र साधक ही जपका अधिकारी हो सकता हे, दूसरोंके लिअे तो वह बकवास जैसा ही है । दरअसल जप अनेक साधनों — चरित्रकी योग्यताओं — को सिद्ध करनेमें मदद रूप होनेवाला अेक यौगिक साधन है । चूना अींटोंको जोड़ता है; मगर अींटोंके बिना केवल चूना क्या कर सकता है ? ज़्यादासे ज़्यादा वह सूखकर चाकका पत्थर ही बन सकता है । यही हाल जपका है ।

अिसी तरह चरखा वल्लनिर्माण तथा वल्ल, स्वावलम्बनका और अुतने अगोंमें आर्थिक समृद्धिका अुपयोगी साधन है । अिसमें जपकी अपेक्षा यह विशेषता है कि जप दूसरी गतोंके बिना कोरी बकवास साबित हो सकता है, मगर यह हाल चरखेका नहीं है; वह कमसे कम वल्लनिर्माणका काम तो कर ही देगा । अिसके बाद प्रजामे दूसरे गुण पैदा करनेके लिअे दूसरी प्रवृत्तियों और साधनोंकी तो जरूरत रहेगी ही । हमे यह नहीं मान लेना चाहिये कि चरखा हो, तभी अहिंसा सिद्ध हो सकती है । यह भले कहा जा सकता है कि चरखेके बिना अहिंसक समाजरचना होना अगर अगम्य नहीं, तो मुश्किल जरूर है ।

'अहिंसा' शब्दको भी हमने अपने ही हाथों अुलझनमें डालनेवाला शब्द बना दिया है । अुसमेंसे 'सिद्धान्त' और 'नीति', 'बहादुरकी अहिंसा' और 'कायरकी अहिंसा', 'अहिंसक प्राणहरण' और 'हिंसक प्राणहरण', 'अहिंसक प्राणरक्षा' और 'हिंसक प्राणरक्षा', 'सत्य रहित अहिंसा' और 'सत्य सहित अहिंसा', 'अहिंसा और देशरक्षा या आत्मरक्षा', 'अहिंसा और युद्ध' आदि चर्चयें खड़ी हुअी हैं । अगर हम

एक ही शब्दमें अगर सभी सुन्दर गुणों, वृत्तियों और कृतियोंका समावेश करनेका हम आग्रह न रखें और यह मान लेनेकी भूल न करें कि किसी एकको सिद्ध करनेसे दूसरा सब अपने आप सिद्ध हो जाता है, बल्कि हरएक शब्द या भावको उसकी मर्यादामें रखकर ही समझे, तो अिनमेंसे बहुत-सी चर्चाएँ और मतभेद टल जायें ।

अर्थके अुत्पादम और वृद्धिके लिअे मनुष्यमें अमुक प्रकारका चरित्र — गुण और आदते — होना चाहिये और उसके सुरत-सयम और न्याय-पूर्वक अुपयोग और अुपमोगके लिअे अमुक प्रकारका । मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य भी अपनेमे सत् — अच्छे — मनुष्यके गुणों और आदतोंकी वृद्धि करना होना चाहिये । मगर कोअी एक शब्द या कोअी एक साधन सारे ज़रूरी गुणों और आदतोंको दिखलाकर सिद्ध नहीं किया जा सकता । अेकांगी दृष्टिसे देखा जाय, तो परस्पर विरोधी दिखनेवाले साधन और गुण तथा आदतें भी ज़रूरी हो सकती हैं, और बहुत श्रेष्ठ लगानेवाले गुण भी विवेक और दूसरे गुणोंके अभावमें मनुष्यके शुभ विकासके लिअे बाधक हो सकते हैं । यह भी हो सकता है कि एक वक़्त एक गुण पर ज़ोर देनेकी ज़रूरत पड़े और दूसरे वक़्त दूसरे पर । अिसलिअे हमेशाके लिअे कोअी एक रास्ता नहीं बनाया जा सकता । हर ज़मानेमें और हरअेक समाजमें नेताओंको सावधानी और विवेकसे अपने समयकी ज़रूरतके मुताबिक ही मर्यादायें निश्चित करनी चाहियें और अुन्हें अिस तरह नहीं जकड़ देना चाहिये कि भविष्यकी प्रजाको अुन्हें बदलनेमें मुश्किल मालूम हो ।

चरित्र समृद्धिका साधन है, और समृद्धिका साध्य अुन्नत चरित्र ही है, अिस सत्यको बराबर स्वीकार न करनेसे ही आजका विज्ञान-सम्पन्न मानव-समाज अिस तरह दुनियामें घूम रहा है, मानो हाथमें आग लगानेके साधन रखनेवाले और उसकी कला सीखे हुअे वानर-समाजको खुला छोड़ दिया गया हो । अिसलिअे अर्थवृद्धिके साधनोंपर विचार करते वक़्त आदि, मध्य तथा अन्त तीनों अवस्थाओंमें चरित्रके अणोंका विचार करके ही कदम अुठाने चाहियें ।

## चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग

मनुष्यको अपनी खुदकी ओर देखनेकी दृष्टिमें साफ़ होनेकी जरूरत है। वह दूसरे प्राणियोंकी तरह अकाध निश्चित और सरल दिशामें ही विकसित बुद्धिवाला प्राणी नहीं है। अिसी तरह वह अनन्त प्रज्ञा-बुद्धि-वाला होते हुअे भी पूर्णप्रज्ञ नहीं है। अुसे दूसरे प्राणियोंकी तरह अेकप्रज्ञ नहीं बनाया जा सकता। वह अनन्तप्रज्ञ होनेकी कोशिश करता ही रहेगा। यानी सभी मनुष्योंकी अेकसी ही बुद्धि नहीं हो सकती। सब अलगा-अल्पा तरहकी बुद्धिवाले ही रहेंगे। अितना ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्तिका भी विल्लकुल अेकप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। अेकाध दिशामें किसी व्यक्तिका बुद्धि अपनी आखिरी सीमा तक मले पहुँच जाय, मगर यह सम्भव नहीं कि दूसरी दिशाओंमें अुसका विल्लकुल ही विकास न हो। और सिर्फ अेक ही दिशामें विकसित बुद्धिसे कोअी अिच्छित्त पूर्णता नहीं पा सकता, न कृतार्थताका अनुभव ही कर सकता। साथ ही किसी भी व्यक्तिका पूर्ण और अनतप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अैसा बननेकी असफल महत्वाकांक्षा रखे, मगर पूरी मानव जातिका पूर्ण और अनतप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। यानी अगर बुद्धिको मनुष्यकी छठी, अिन्द्रिय माना जाय, तो वह अिन्द्रिय अेक अैसी जातिके अनत और सूक्ष्म स्नायुओं और ज्ञानतन्तुओं रूपी पखुड़ियोंसे बनी हुअी है कि जिसकी जुदी-जुदी पखुड़ियाँ थोड़ी-बहुत खिली हुअी हैं, थोड़ी बहुत मुरझाअी हुअी है, सब अभी खिली ही नहीं, और सभीका किसी अेक वक्र्तमें खिली हुअी स्थितिमें दिखाअी पढ़ना सम्भव नहीं है।

अेक दूसरा दृष्टांत लेकर अिसपर विचार करे, तो मनुष्य समाज किसी अनजान जगलमें छोड़े हुअे अधे और वदरे मनुष्यों जैसा है। वह हाथसे छूकर रास्ता ढूँढना, दोस्तों और दुश्मनोंको पहचानना और अच्छे-बुरे साधन और स्थान निश्चित करना चाहता है। सबके अनुभव

अलग-अलग हैं। कुछने अपना जीवन अमुक साधनों और स्थानोंमें स्थिर कर लिया है, कुछको अतनेमें अच्छा नहीं लगता या अुन्हें अभी वैसी अनुकूलताओं नहीं मिलीं। कुछका जीवन दूसरोंपर विश्वास और प्रेम रखनेसे सुखपूर्वक बीता है, तो कुछका अिन्हीं कारणोंसे दुःखमय रहा है। कुछने दूसरोंके प्रति अविश्वास रखनेमें ही अपनी सफलता देखी है, तो कुछने अिसी वजहसे ठोकर खाअी है। कुछके लिये अपने हाथ-पाँवोंकी शक्ति ही मददगार साबित हुआ है, तो कुछको अपने तर्क, बुद्धि या वाणीकी शक्तिसे मदद मिली है। कुछने डर डरकर चलनेमें अपनेको सुरक्षित माना है ; तो कुछने साहसकी बदौलत ही अपनेको आगे बढ़ा हुआ पाया है। अपने-अपने थोड़े अनुभवसे हरअेकने व्यापक सिद्धान्त निकाले हैं।

फिर भी अिसमें अेक किस्मकी व्यवस्था है। हरअेकका अनुभव थोड़ा होते हुआ भी अुसको अपने अनुभवका समर्थन करनेवाले मिल जाते हैं। अिससे साबित होता है कि अिन अनुभवोंको कुछ वर्गोंमें बाँटा जा सकता है और हरअेक वर्गके अनुभवोंमें कुछ विचारने और ग्रहण करने लायक अंश होता है। लेकिन कोअी अेक अनुभव न तो सबसे श्रेष्ठ होता, न सर्वथा छोड़ने लायक ही होता है। दूसरे, यह भी कहा जा सकता है कि जुदी-जुदी कोटिके या परिस्थितिके लोगोंके लिये किसी अेक वर्गका अनुभव दूसरोंके मुक्ताबले ज़्यादा योग्य साबित हो सकता है तथा अमुक परिस्थितिमें किसी अेककी महत्ता ज़्यादा और दूसरेकी कम हो सकती है।

अिस तरह देखनेपर यह कहा जा सकता है कि नीचे लिखी हुआ योग्यताओं मामूली तौरपर हरअेक पूर्णांग मनुष्यमें हमेशा होनी चाहिये, और अिनमेंसे दो-चार हरअेकमें विशेष रूपसे होनी चाहिये, तथा विशेष परिस्थितिमें कुछ योग्यताओं बहुत बड़ी तादादके मनुष्योंमें होनी चाहिये।

### शारीरिक

- १ नीरोगी और पूरी तरहसे विकसित शरीर।
२. मेहनत करनेकी शक्ति और आदत।
- ३ सर्दी - गर्मी, भूख-प्यास वगैरा सहनेकी शक्ति और आदत।

४. ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके कामोंको स्वतन्त्रतासे और व्यवस्थित तरीकेसे करनेकी जानकारी और आदत।

५. स्फूर्ति और तेजी रहते हुअे भी व्यवस्थितता और नियमन।

### मानसिक

१. साहस— खतरेका सामना करनेका स्वाभाविक हौसला और हिम्मत।

२. धीरज— खतरेमे घबरा न जानेकी (panicky न होनेकी) ताकत।

३. समयसूचकता— परिस्थितिका मुक्ताबला करनेकी सूझ।

४. श्रमानन्द— ज़बरदस्त मेहनतके वक्त कामसे अरुचि होनेके बजाय अुसंग बढ़ना।

५. पक्की-पकड़— पकड़ी हुअी चीज़को आसानीसे न छोड़ने, बल्कि मज़बूतीसे पकड़े रहनेका स्वभाव।

६. तेज अथवा स्वाभिमान— दूसरेकी धमकी, लाल ऑखें वगैरासे दब न जानेकी ताकत।

७. आत्मनियमन— काम, क्रोधके वेगोंको रोकनेकी शक्ति।

८. हमेशा प्रगति करते रहनेकी अभिलाषा।

९. सावधानी।

### बौद्धिक

१. जिज्ञासा और शोधवृत्ति।

२. अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग करनेकी आदत।

३. अनुभव और कल्पना, वस्तुधर्म और आरोपितधर्म, आदर्श और महत्वाकांक्षा तथा हवाअी किले वॉधने, वास्तविकता और अभिलाषाके बीच भेद करनेकी शक्ति।

४. गणित और आकलन।

५. स्मृति और जाग्रति।

६. चींटीवृत्ति— जहाँसे मिले वहाँसे चींटीकी तरह छोटे और नम्र बनकर शानसंग्रह करनेकी वृत्ति।

७. अतिव्याप्ति<sup>१</sup> तथा अत्युक्ति<sup>२</sup> न करनेकी आदत।

८. पूर्वग्रहों<sup>३</sup> और साम्प्रदायिकतासे या किसी पक्षसे अपर अठकर विचार करनेकी शक्ति।

### चारित्रिक

१. विवेकपूर्ण श्रद्धा।

२. प्राणीमात्रका आदर।

३. समभाव, कृपा, दया आदि।

४. स्वजनोंके प्रति ऐसा प्रेम जिसमें दूसरोंका द्रोह या अंशके प्रति अन्याय न हो।

५. विवेकपूर्ण परोपकार, क्षमा आदि।

६. अज्ञानी और स्वजन-विरोधियोंसे सावधान रहते हुअे भी अंशके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना।

७. चैतन्यकी अपेक्षा जड़ पदार्थोंकी कम क्रीमत करना।

८. धनके व्यवहारमें प्रामाणिकता, स्वच्छता, सत्य प्रतिज्ञता, धोखा न देना, अज्ञान, गरजमन्द या गरीबकी मुश्किलोंसे फ़ायदा न अठाना आदि।

९. स्त्रीकी जिन्दगी, प्रतिष्ठा और शीलकी अपने प्राणोंपर खेल्कर भी रक्षा करना।

१०. अव्यभिचार तथा अनत्याचार

११. अस्वरनिष्ठा — यानी सारी कोशिशों और पुरुषार्थके बावजूद जिस बातको ध्यानमें रखना कि अिच्छित फल देना सिर्फ़ भगवानके ही हाथमें है और जिस सत्यको स्वीकार करते हुअे भी जगतके लिअे नम्रता-पूर्वक मंगलकामना करना, अंश मंगलकामनामें श्रद्धा रखना और अंशके लिअे आशासहित लगातार कोशिश करना।

१२. स्वच्छता, व्यवस्था और सादगीकी सुन्दरता।

१३. रोग, गरीबी, अन्याय, स्थूल तथा सूक्ष्म मलिनता और हिंसाको दूर करनेके लिअे अग्रिम करना।

१ लक्ष्यसे बाहरकी वस्तुके विषयमें कहना।

२ बातको बढ़ाचढ़ाकर कहना।

३ पहलेसे ही बने हुअे मत।

१४. समाजके हितके लिये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, ममताओं वगैराको गौण करने और अनेकोंके साथ सहयोग करनेकी तत्परता। फिर भी,

१५. अन्याय और असत्यके खिलाफ और सत्यके लिये पूरी दुनियाका अकेले मुकाबला करनेकी हिम्मत।

### ध्येयात्मक या श्रद्धात्मक

१. असत्यमेसे सत्य, हिंसामेसे अहिंसा, दैन्यमेसे अदैन्य, आसक्तिमेसे वैराग्य, अज्ञानमेसे ज्ञान, अव्यवस्थामेसे व्यवस्था, विषमता और अन्यायमेसे समता और न्याय, अधर्ममेसे धर्मकी ओर लगातार बढ़ना तथा अपनी और समाजकी पूर्ण मानवताका विकास करना।

२. पूरी मानव जातिकी एकताको स्वीकार करना और उसे सिद्ध करनेकी कोशिश करना।

३. जीवनके मूल सत्यको खोजने और समझनेका पुरुषार्थ।

अस सूचीको सम्पूर्ण नहीं मानना चाहिये। इसमें सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, सतोष, भावना, श्रद्धा, अुपासना, आत्मरक्षा, फौजी तालीम, धन्धा, कला वगैरा-वगैरा रूढ़ शब्द नहीं हैं, बल्कि वर्णनात्मक शब्दोंका अुपयोग किया गया है, जिससे योग्यताओंका निश्चित स्वरूप समझमें आ सके और अुनकी ज़रूरतोंके बारेमें विचार किया जा सके। इन बातोंका आर्थिक क्रान्तिके सवालोंने इसलिये समावेश किया गया है कि अस दुनियादके विना कोअी भी आर्थिक योजना सिद्ध ही नहीं हो सकेगी। आर्थिक योजनाओं और अलग-अलग वादोंकी रचना करते वक़्त यह मान कर चला जाता है कि यह सब तो मनुष्यमें है ही। मगर थोड़ा विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी प्रजामें या जगतमें यह सब है ही, अैसा मान लेनेका कोअी आधार नहीं है। अस पर यही टीका काफी नहीं होगी कि नाऽस्ति मूलं कृतः शाखा (मूल नहीं तो शाखा कहाँसे?), बल्कि यह कहना होगा कि सन्मूलस्याभावात् प्रसूता विषघल्लयः (अच्छे मूलके अभावमें विषकी लताये ही फैली हैं)।



## वादोंकी अलझन

आज हम सब अलग-अलग वादोंकी अलझनमें फँसे हुए हैं । पूँजीवाद, गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, यन्त्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, बड़े उद्योग, ग्रामोद्योग, यत्रोद्योग, दस्तकारी, बलवान केन्द्र, ग्राम स्वराज्य, मज़दूर राज्य, किसान राज्य, डेमॉन्ट्रेसी, ऑटोक्रेसी वगैरामें से अेकाध शब्दको हम पकड़ लेते हैं और अपनी सारी त्वचायें यह मानकर करते हैं कि जैसे किसी एक वादके मुताबिक सारा कारवार जमा देनेसे जीवनकी सच्ची और अच्छी व्यवस्था हो जायगी, मगर मानव जीवन ऐसा फिसलनेवाला है कि किसी एक व्यवस्थाकी पकड़में वह आ ही नहीं सकता, या अगर ज़बरदस्तीसे उसे पकड़ा भी जाय तो वह सड़ने लगता है और मनुष्यको सुखी और तन्दुरुस्त बनानेके बदले उसे आपत्तिमें डालता है ।

मगर जिसके अलावा हमें एक महत्त्वकी बात पर विचार करना है । ये सभी वाद एक-दूसरेसे बिल्कुल जुड़े ढगके दिखते हुए भी एक ही बुनियादका मज़बूत बनाकर या समझकर खड़े हुए हैं । सभीकी रचना धन-गणित—सोनेके तौल-गणित—के आधारपर हुआ है । आज भले ही-सोनेके सिक्कोंका चलन कहीं भी न हो, मगर अर्थविनिमयका साधन—वाहन और माप—उसके पीछे रहनेवाले सोने-चाँदीके सग्रह पर ही है । साम्यवादी भले ही मज़दूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी कोशिश करे, मगर वह भी पूँजीको—यानी सोने-चाँदीके आधारको और गणितको ही—महत्त्व देता है । आर्थिक समृद्धिका माप सोनेकी बनी हुई फुटपट्टी ही है । जिस फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज़ हर किसीको आसानीसे न मिल सके, वही अुत्तम धन है ।

पूँजीवादका मतलब है ऐसी चीज़पर खानगी कब्जा रखनेमें श्रद्धा, तथा साम्यवाद या समाजवादका अर्थ है ऐसी चीज़पर सरकारका कब्जा

रखनेमें श्रद्धा । जो चीज़ हर किसीको आसानीसे मिल सकती हो, वह जीवन-निर्वाहके लिये चाहे जितनी महत्त्वपूर्ण होनेपर भी हल्के दरजेका धन समझी जाती है । जिस तरह हवाकी अपेक्षा पानी, पानीकी अपेक्षा खाद्य व अन्नकी अपेक्षा कपास, तम्बाकू, चाय, लोहा, तौबा, सोना, पेट्रोल, युरेनियम वगैरा अत्युत्तरोत्तर ज़्यादा ऊँचे प्रकारके धन माने जाते हैं । जिस तरह जो चीज़ जीवनके लिये क्रीमती और अनिवार्य हो, उसकी अर्थशास्त्रमें क्रीमत कम, और जिसके बिना जीवन निभ सके, उसकी अर्थशास्त्रमें क्रीमत ज़्यादा है । यों जीवन और अर्थशास्त्रका विरोध है ।

अगर कोअी क्रान्ति होना ज़रूरी हो, तो जिस तरह धार्मिक वगैरा मान्यताओंके सम्बन्धमें पहले कहा जा चुका है, उसी तरह जिस विषयमें भी विचारोंकी क्रान्ति होना ज़रूरी है । कुछ ऐसा अर्थमापका साधन खोजना चाहिये, जो जीवनके लिये उपयोगी और सबको आसानीसे मिल सकने वाली चीज़ों और गक्तियोंको क्रीमती ठहरावे, तथा अन्नके अभावको दग्धिता समझे ।

अर्थशास्त्रकी दूसरी विलक्षणता यह है कि मज़दूरीका समयके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें उसके साधन अथवा यन्त्रका कोअी ध्यान ही नहीं रखा जाता । अुदाहरणके लिये, समान वस्तु बनानेमें एक साधनसे पाँच घंटे लाते है और दूसरेसे दो, तो दूसरा साधन काममें लेनेवालेको ज़्यादा कीमत मिलती है; फिर भले ही पहलेने खुद मेहनत करके वह चीज़ बनायी हो और दूसरेको उसे बनानेमें यन्त्रको दबानेके सिवा और कुछ न करना पड़ा हो । इसीको दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रमें समयकी क्रीमत नहीं है, मगर समयकी बचत करनेपर अिनाम मिलता है, और समय बिगाड़नेपर जुरमाना होता है । मगर जिसमें किस तरह समय बचा या बिगाड़ा, जिस बातकी परवाह नहीं की जाती ।

सच पूछा जाय तो जिस तरह साधन अच्छा हो, तो समयकी बचत होती है, उसी तरह अगर कुशलता, अुद्यमशीलता, वगैरा यानी मज़दूरीकी गुणमत्ता ज़्यादा हो, तब भी समयकी बचत होती है । और अगर साधन तथा गुणमत्ता अेकसे हों, तो वस्तुकी कीमत उसे बनानेमें लगे हुअे समयके प्रमाणमें आँकी जानी चाहिये । अेकसे ही यन्त्र पर अेक

व्यक्ति ऐकसी गुणमत्ताका अपुयोग करके कोअी चीज़ बनावे, तो अुसे दो घंटे ल्याते हैं। अिसकी अपेक्षा अगर वह अढ़ाअी घंटे खर्च करके कोअी चीज़ तैयार करता है, तो वह पहलीसे ज़्यादा कीमती बननी चाहिये। साधन तथा गुणमत्ताकी विशेषता अुस चीज़में अुतरनी चाहिये। अिस तरह किसी चीज़के बनानेमें जितना ज़्यादा समय, जितने अच्छे साधन और जितनी ज़्यादा गुणमत्ताका अपुयोग किया गया हो, अुतनी ही ज़्यादा अुसकी कीमत होनी चाहिये। दरअसल मूल कीमत तों अिसी तरहकी होती है। मगर आजकी अर्थव्यवस्थामें माल तैयार करनेवालेको अिस हिसाबसे कीमत नहीं मिलती। अिससे समय और गुणमत्ताको बचानेवाले साधनोंपर ही सारा जोर दिया जाता है। या कहिये कि समयके अपुयोगपर भारी जुरमाना होता है और गुणकी कीमत कजूसीसे अँकी जाती है।

गणितकी भाषामें पेश की गअी अिन सारी बातोंको सोलह आने गणितके ही रूपमें नहीं लेना चाहिये। अिसका हेतु सिर्फ अितना ही दिखाना है कि सोना, चाँदी वगैरा विरल पदार्थोंके आधारपर रची हुअी कीमत अँकनेकी पद्धतिसे वस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं अँकी जा सकती। और अिसलिये अुसके आधारपर बनी हुअी अर्थव्यवस्था, चाहे जिस वादके आधारपर खड़ी की गअी हो, अनर्थ पैदा करनेवाली ही साबित होती है और आगे भी होती रहेगी।

कुदरत सार्वजनिक है। अिसलिये अुसकी कीमत ही नहीं होनी चाहिये। ज़मीन या खाद्य पदार्थ हवाकी तरह ही कुदरतकी बख्तिगश्तें हैं। अिनकी विपुलता या कमीसे कीमतमें फर्क पड़नेका कोअी कारण नहीं है।

अिसके सिवा, आजकी हमारी धन और कीमत मापनेकी पद्धति देखनेमें मले सव्य — लभमापक (positive) हो, मगर दरअसल वह अपसव्य — हानिमापक (negative) है। आजकल अगर किसी गलीमें दगा हुआ हो, तो वहाँ रहनेवाले लोगोंपर सामूहिक जुरमाना किया जाता है। अगर दो गलियोंमें दगे हुअे हों और अेक पर पच्चीस हजारका तथा दूसरे पर दस हजारका जुरमाना किया जाय, तो सरकारी बहीमें पहली गलीवालेके खाते पच्चीस हजार रुपये जमा किये जायँगे और दूसरीके खाते

दस हजार। जिसपरसे सरकार पहली गलीको ज्यादा लाभदायक मानेगी और दूसरीको कम। और जिसलिसे अगर वह पहलीके लिसे ज्यादा सन्तोष माने, तो एक तरहसे यह सीधी बात जान पड़ती है। मगर दूसरी और सच्ची दृष्टिसे देखे, तो यह पन्द्रह हजारका अधिक लाभ सतोपकी नहीं, बल्कि खेदकी बात है। क्योंकि सरकारका हेतु दगोंको रोकना है, दगोंके जुरमाने वसूल करनेका धन्धा चलाना नहीं। जिस हेतुकी सिद्धिके लिसे ऐसी स्थिति पैदा करनी जरूरी है, जिससे किसीपर जुरमाना न करना पड़े, व दगे ही न हों।

या नीतिमे थोड़ा फेरफार करके सरकार ऐसा नियम बनावे कि जो गलियाँ सालभर तक शान्ति बनाये रखे, उन्हें अमुक हिसाबसे करमे छूट दी जाय, और जहाँ दगे हों वहाँसे पूरा कर वसूल किया जाय। जिस तरह सम्भव है कुछ गलियाँले लोग अच्छे अिनाम ले ले और जिससे सरकारका कर कम वसूल हो। अपरसे देखनेमे यह नुकसानकी बात मानी जायगी। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि सरकारका मकसद दगे रोकनेका है, जिसलिसे करमें अमुक हिसाबसे छूट देनेसे लाभ होगा। शान्तिकी दृष्टिसे सजाकी जमा रकम अपसव्य — हानिमापक सख्या है और करमे छूट सव्य — लाभमापक सख्या है।

जिसी तरह हम क्रीमतके सवालपर विचार करे। मान लीजिये हम कहते हैं कि मिलका कपड़ा हमें एक रुपये गजमे पुसाता है और वैसी ही खादी दो रुपये गजमे। और जिस हिसाबसे मिलके एक गज कपड़ेकी कीमत एक रुपया मोंडते हैं और खादीकी दो रुपया। अब एक गज कपड़ा तो एक गज कपड़ा ही है : फिर वह चाहे मिलमे बना हो, चाहे खादीका हो। जीवनकी जरूरत तो दोनोंसे एकसी ही पूरी होती है; जिससे जीवनके लिसे दोनोंकी कीमत एकसी है। मान लीजिये कि एक आदमीको अमुकी

\* जुरमानेके सम्बन्धमें यह कथन शायद आसानीसे मजूर कर लिया जाय, और यह कहा जाय कि ऐसा कोभी नहीं समझता। मगर शराब वगैरार होनेवाली आमदनीके सम्बन्धमें ऐसा भावना है या नहीं, जिसपर विचार करना चाहिये।

बडी छह महीनो तक लगातार काम देती है। यानी उसकी सच्ची कीमत छह माहकी है। फिर भी उसकी अलग-अलग कीमतेँ मॉडनेका मतलब यह हुआ कि यत्रमे छह महीनेका किराया अेक रुपया होता है, और हाथ औजारमे दो रुपये। अगर छह महीनेका किराया अेक रुपया वाज्जिव हो, तो खादीके दो रुपये लेकर आप खादी पहननेवालेपर अेक क्किस्मका जुरमाना करते हैं, या दो रुपये देकर खादी बनानेवालेको अिनाम देते हैं। और अगर छह महीनेकी कीमत दो रुपये वाज्जिव हो, तो मिलके कपडेके लिअे अेक रुपया देकर आप मिलवाले पर जुरमाना करते हैं, या मिलका कपडा अेक रुपयेमे बेचकर उसका अुपयोग करनेवालेको अिनाम देते हैं। अिस तरह लागत कीमतके हिसाब पर से वस्तुकी कीमत अँकने जायँ, तो उसकी सच्ची कीमत जाननेका कोअी ठीक-ठीक साधन ही नहीं मिलता।

अिसके सिवा अेक दूसरी तरहसे मौजूदा अर्थव्यवस्थाकी अनर्थता पर विचार करें। नैतिक न्यायकी दृष्टिसे देखें, तो जिन चीजोंके बिना जीवन ही न चल सकता हो, और अिसलिअे जिनके अुत्पादनमे ही ज़्यादासे ज़्यादा मनुष्योंका लगाना ज़रूरी हो, उनमे लो अुअे लोगोंकी मेहनतकी सबसे ज़्यादा कीमत होनी चाहिये। मनुष्यकी मेहनतमें से क्या निर्माण होता है, और वह जीवनके लिअे कितना ज़रूरी है, अिसका खयाल रखकर ही उसका मेहनताना निश्चित किया जाना चाहिये। अिस तरह देखा जाय, तो अिसमे ज़रा भी शक नहीं कि ज़्यादासे ज़्यादा मनुष्योंको अनाज पैदा करनेके काममें ही लगाना चाहिये। बाकीके सारे कामोंका स्थान अिससे गौण रखा जाय। अिसलिअे ज़्यादासे ज़्यादा मेहनताना अनाज पैदा करनेकी सीधी मज़दूरी करनेवालेको मिलना चाहिये। शेष सारे ध्ये अिससे अुतरती पक्तिके माने जाने चाहिये। अनाज पैदा करनेवालोंके वाद दूसरा नभ्यर शायद घर और कपडे बनानेवालों तथा भगी वगैरा सफ़ाअी करनेवालोंका माना जा सकता है। जिस धन्येके ज्ञान या मददके बिना दूसरे धन्ये करनेवालोंकी सारी विद्या-कला बेकाम हो जाती हो, वह धन्ये आर्थिक दृष्टिसे सबसे कीमती माना जाना चाहिये।

मगर हम जानते हैं कि आजकी अर्थ-व्यवस्थामे ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा मेहनताना राजा, वज़ीर, सेनापति, फौज, पुलिस, न्यायाधीश, वकील, वैद्य, बड़े अध्यापक, मादिर, फैशन सर्जक - वगैराको दिया जाता है, और जीवनमे जिसकी कम-से-कम ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़्यादासे ज़्यादा मेहनताना मिलता है।

ऐसा होनेका एक कारण यह है कि अज्ञान लोगोंमें जिस तरह भूत-प्रेत अथवा देवी-देवताओंके विषयमे वहम फैले हुअे हैं और उनकी पढ़े-लिखे लोग हँसी उड़ाते हैं, उसी तरह हमारे सम्य समाजियों (बुर्जुआ लोगों) मे राज्य-व्यवस्था और सुलह-शान्ति बनाये रखनेवालों तथा ज्ञान देने वालों वगैराके सम्बन्धमे वहम हैं। जिस श्रद्धासे अज्ञानी लोग भूत-प्रेत या देवी-देवताओंको रिश्तानेके लिये मुर्गे, बकरे या पाड़ेकी बलि चड़ाते हैं, उसी श्रद्धासे हम राजा-महाराजा और राजपुरुषोंको रिश्ताने के लिये उन्हें खूब मेहनताना देते हैं, उनके दरबार भरते हैं और जुलूस निकालते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने ही हाथों गढ़ी हुअी या चित्रित की हुअी देव-मूर्तिको पूजकर या प्रणाम करके कहता है कि हे भगवन, तू हमारा कर्ता और भर्ता है, उसी तरह वह अपनी मददसे खड़े किये हुअे राजपुरुषोंको पूजकर या प्रणाम करके कहता है कि आप हमारे राष्ट्रके स्वामी और पालक है। मगर अनुभव तो यह बतलाता है कि राजपुरुषों के कारण जितनी खून-खराबी, अव्यवस्था, अन्याय, लूट-मार, छुठाजी वगैरा होती है, उतनी किसी प्रकारकी व्यवस्थित राजसत्ताकी चैरहाज़िरीमे शायद न हो।

मगर अब मानव समाज ऐसी स्थितिमें है कि व्यवस्थित राजसत्ताको बनाये रखनेके सिवा उसके लिये दूसरा कोअी रास्ता नहीं है। जिसलिये वह भले रहे, मगर जिसका यह मतलब नहीं कि उस काममे लगे हुअे लोगोंकी आर्थिक कीमत भी ज़्यादा ओंकनी चाहिये। ऐसा भी एक ज़माना था, जब ऐसा नहीं होता था। आज अिनकी आर्थिक कीमत ज़्यादा

\* नोट — फैशन सर्जक शब्दको “कला सर्जकसे” भिन्न मानकर उसका यहाँ उपयोग करना हूँ। सच्चे कला सर्जकका मेहनताना तो अक्सर कम होता है, उसकी प्रतिष्ठा भले हो।

आँकनेका अेक कारण यह है कि धन और प्रतिष्ठाका हमने अैसा समीकरण किया है कि जितना धन, अुतनी ही प्रतिष्ठा । अथवा हम अैसा मानने लगे हैं कि जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, अुसका मेहनताना भी बढ़ाना चाहिये । हमने 'सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ते' वाले नीतिवाक्य को अपने जीवनमें स्वीकृति दे दी है ।

प्रतिष्ठा अनेक कारणोंसे हो सकती है और दी जा सकती है । अुसे मान्य करनेके दूसरे चाहे जितने तरीके हों, मगर पैसोंके अिनाम द्वारा वह नहीं की जानी चाहिये । बड़े व्यक्तिको अुसकी अुम्रके लिये, स्त्रीको अुसके मातृत्व, कोमलता और शीलके लिये, बालकको अुसको निर्दोषता और मधुरताके लिये, शानीको अुसके ज्ञानके लिये, सिपाहीको अुसकी बहादुरीके लिये, राजपुरुषको अुसके नेतृत्व और कर्तृत्वके लिये, सन्तको अुसके चरित्रके लिये और अधिकारीको व्यवस्था बनाये रखनेमें मददरूप होनेके लिये अगर प्रतिष्ठा मिले, तो अिसमें कोअी दोष नहीं है । मगर पैसे देकर अिस प्रतिष्ठाकी कदर नहीं की जानी चाहिये । आप अुन्हें आदर दीजिये, सबसे आगे जग्राह दीजिये, अँचा स्थान दीजिये, ठीक लो अुस तरह नमस्कार या प्रणाम कीजिये, फूलमाला और सिरपेंच दीजिये, जरूरी हो तो खिताब या पदवियाँ भी दीजिये; मगर अुसके लिये अुन्हें ज़्यादा मेहनताना या सोने-चौंदाकी या कीमती चीज़ें या धन अिकढ़ा करनेकी सहूलियतें देनेकी जरूरत नहीं है । अगर अल्ला-अल्ला कामोंके लिये अल्ला-अल्ला मेहनताना हो, तो सबसे ज़्यादा मेहनताना अनाजकी खेती करनेवाले या जलकी खेती करनेवालेको मिलना चाहिये । राजाकी भी अेक दिनकी मज़दूरी खेतीके मज़दूरकी अपेक्षा कम होनी चाहिये । फिर भले अुसके कामके लिये अुसे देगकी स्थितिके मुताबिक मर्यादित सहूलियतें दी जायँ ।

## फुरसतवाद

पिछले प्रकरणमें 'समयकी वृत्तपर अिनाम' या 'समय विगाड़नेपर जुरमाना' जैसी परिभाषाओमें चीजोंकी कीमत अॉकनेकी मौजूदा पद्धतिका अेक खुलासा पेश किया गया है। मगर सच पूछा जाय, तो अिस तरह स्पष्टता करनेमें ही गलत विचारदान होता है। हकीकत तो यह है कि गांधीवाद और दूसरे वादोंमें अगर स्वर्णके आधारपर रची हुअी वस्तुओं की कीमत अॉकनेकी पद्धतिके सम्बन्धमें समानता है, तो अेक विषयमें विरोध मी है। वह यह कि दूसरे सब वाद फुरसतवादी हैं; अुनके अनुसार अिन्सानको ज़्यादासे ज़्यादा फुरसत दी जानी चाहिये। कहा जा सकता है कि मौजूदा अर्थशास्त्री बुनियादी श्रद्धा यह है कि विद्या, कला, वगैराका— 'संस्कृति' का — कारणगरीर या मूल साधन फुरसत है। गांधीवाद प्रति-क्रियाके रूपमें शायद अिसके दूसरे छोरपर चला गया है, और वह फुरसतको ल्हाभग मानव-हितकी दुश्मन ही समझता है।

हकीकत यह है कि फुरसत शब्दमें आलस्य और विश्राम दोनोंका समावेश होता है। यहाँ मेहनतके बाद विश्राम करनेकी ज़रूरतके सम्बन्धमें विवाद करना बेकार है। यह विश्राम दो तरहका हो सकता है — अेक तो आरामसे पड़े रहकर या सोकर हो सकता है, और दूसरा अनार्थिक शौक या विनोदका श्रम करके किया जा सकता है। अिसमें खेल-कूद, कला-चातुरी, कथा-कीर्तन, ज्ञान-चर्चा वगैराका समावेश हो सकता है। यह श्रम धन पैदा करनेवाला भले न हो, फिर भी शरीर, मन, बुद्धि वगैराको स्वस्थ और अुन्नत करनेवाला होना चाहिये। यह कहना कोरी पंडितामी दिखाना है कि मनुष्यको विश्रामकी कोअी ज़रूरत ही नहीं है, या अेक प्रकारकी मेहनत करनेके बाद दूसरे प्रकारकी जो मेहनत की जाय, वह भी अर्थोत्पादक ही हो और अिसीमें विश्राम समाया हुआ है। यह स्वीकार करनेमें किसीको हर्ज नहीं होना चाहिये कि आलस्य मानव-हितका



दुस्मन है। 'निकम्मा बैठा सर्वनाश न्योते' वाला वाक्य अनुभव वाक्य है। जिस फुरसतका परिणाम जुओं, शराब, व्यभिचार, नाच-तमाशा, मलिन कला, गाली-गलौज तथा मारपीट हो, उसे असी सर्वनाश न्योतने वाली फुरसत कहा जा सकता है।

मगर आलसकी अनिष्टता स्वीकारने जाकर कहीं श्रमका बोझ न बढ़ जाय, इस दृष्टातसे फुरसतवाद पैदा हुआ। जीनेके लिये किये जानेवाले आवश्यक श्रमसे ज्यादासे ज्यादा मुक्ति पहले मिलने दी जाय; आवश्यक श्रम ही श्रान्ति (थकावट) है; और जिसमें से निकलना विश्रान्ति—फुरसत। थकावट महसूस होने लगे उससे पहले ही फुरसत या विश्रान्ति मिले, तो ज्यादा अच्छा। ऐसा हो तभी दूसरे प्रकारके ज्ञान-कला वगैरका अपाजन-सर्जन हो सकता है। थकावट-रहित फुरसत विताने न आता हो, तो हर्ष नहीं, 'निकम्मा बैठा सर्वनाश न्योते' का खतरा अठार भी मनुष्योंको पहले फुरसत दी जानी चाहिये। वादमें धीरे-धीरे फुरसतके समयको अच्छी तरह वितानेकी तालीम दी जा सकेगी। यह फुरसतवाद है।

विचार करने पर मालूम होगा कि श्रम-फुरसतका सम्बन्ध त्याग-भोग, अहिंसा-हिंसाके सम्बन्ध जैसा है। जिस तरह मनुष्य सर्वथा भोगके बिना नहीं रह सकता, सर्वथा हिंसाके बिना नहीं रह सकता, उसी तरह फुरसत निकाले बिना, मेहनत बचानेकी कोशिश किये बिना भी वह नहीं रह सकता। भोगको मर्यादित करने या घटानेकी कोशिश करते हुअे भी मनुष्य बहुत कुछ भोग करता ही है। मगर जिससे अगर वह भोगको ही जीवनका सिद्धान्त बना ले, तो सर्वनाशके रास्ते जाता है। इसी तरह हिंसाको मर्यादित करने—घटानेकी कोशिश ही अहिंसा है। अहिंसक होनेकी कोशिश करते हुअे भी अविन्यासे कुछ हिंसा हो ही जाती है। मगर जिससे अगर वह हिंसाको ही जीवनका नियम बना ले, तो उसका परिणाम यादवस्थली निर्माण करनेके सिवा और क्या हो सकता है। यही बात श्रम और फुरसतके सम्बन्धमें कही जा सकती है। अविन्या फुरसत तो निकालेगा ही। श्रम करते हुअे भी उसकी नज़र फुरसत पर रहेगी।

मगर फुरसतको ही अगर वह अर्थशास्त्रकी या जीवनकी फिलॉसफी या ज्ञान-कलाका साधन समझ ले, तो उसके परिणाम स्वरूप अनर्थोंकी परम्परा ही उसके हाथ लग सकती है ।

एक ऐसी मान्यता है कि संस्कृतिका विकास फुरसतमेसे हुआ है और होता है । फुरसत हो तो मनुष्य गाना सीख सकता है, नाचना सीख सकता है, चित्रकला, मूर्तिकला वगैरा सीख सकता है, शरीर, घर वगैराको सजाना, पढ़ना और मनन करना सीख सकता है, विज्ञान और तत्त्वज्ञानपर विचार कर सकता है । मगर जिसका सारा दिन और जीवन पेटका गढा भरनेकी मेहनतमे और जीवनको जैसे-तैसे टिकाये रखनेमें ही चला जाय, वह जिस सारी विद्या-कला-ज्ञान वगैरा का किस तरह विकास कर सकता है ? आज तक दुनियामे जो-जो महान सस्कृतियाँ पैदा हुयी हैं, भव्य नगर, अिमारतें, साहित्य, सगीत, कला, तत्त्वज्ञान आदि रचे गये हैं, वे सब फुरसत निकाल सकनेवाले लोगोंके ही प्रतापसे हैं । पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थामे थोड़े मनुष्य किसी तरह खूब धन अिकट्टा कर सकते थे, और जिससे सिर्फ़ मुन्हें खुदको ही खूब फुरसत नहीं मिलती थी, बल्कि वे दूसरे योग्य व्यक्तियोंको भी फुरसत दिलानेमे मददगार हो सकते थे । मुझे शरीरश्रम करके जीवन निर्वाह नहीं करना पड़ता, थोड़ी मेहनतसे ज़्यादा कमा सकनेवाले कुछ लोगोंमे पुस्तकें खरीदनेकी शक्ति होती है, जिसलिअे 'नवजीवन प्रकाशन मदिर' पुस्तके छापनेका धन्धा चला सकता है, और जिससे मेरे जैसे लेखक निश्चिन्त होकर साहित्यसर्जन कर सकते हैं और महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर जैसे नररत्न भी पैदा कर सकते हैं । इसीकी बदौलत शकराचार्य जैसे अनेक तत्त्वज्ञानी तत्त्वज्ञान बढ़ा सके हैं और साधु-सन्त भक्तिका प्रचार कर सके हैं । इसीके कारण पिरामिड, ताजमहल, देल्वाइके मन्दिर, नालन्दा, मोहन-जो-दरो बने हैं । अणुमे रहनेवाली अद्भुत और प्रचण्ड शक्ति, विजली तथा किरणोंकी वैज्ञानिक खूबियाँ, हैरतमे डालनेवाले प्रचण्ड शुद्योग और पुल वगैराके बौधकाम करनेमे वे ही लोग शक्तिमान् हुअे हैं, जिन्हें अर्थोत्पादक श्रममेसे फुरसत मिली है । अगर फुरसतकी शक्यता न होती, तो विज्ञान का विकास न होता । अठारहवीं सदी तक जो सुख-सुविधाअे बहुत बढ़े

चक्रवर्ती राजाको भी नसीब नहीं थीं, वे आज बम्बयीमें रहतेवाले मिल-मज़दूरको या मामूली मुनीमको भी मिल सकती हैं। शाहजहानने जैसी वारीक मलमल पहनी होगी, वैसी ही या उससे भी वारीक मलमल आजका मामूली मज़दूर पहन सकता है, और 'असकी स्त्री औसी साड़ी पहनकर वर्तन साफ' करने बैठ सकती है, जैसी दो सौ बरस पहलेके नगरसेठकी बहूने भी रातदिन पहननेके काममें नहीं ली होगी। पचास बरस पहले अगर लड़केके पॉवकी रेखा देखकर ब्राह्मण कहता था कि उसके नसीबमें गाड़ीघोड़ा है, तो उसकी मोंकी खुशीका पार नहीं रहता था। आज पॉवकी उस खास रेखाके बिना ही आदमी अक आना खर्च करके त्रिजलीके वाहनमें बैठकर आधी बम्बयीकी सैर कर सकता है। राम जैसोंको भी विभीषणकी मददसे पुष्पक विमानमें बैठनेका लाभ मिला। आज शंकरराव 'देव' जैसे निश्चिन्चन सेवक भी महीनेमें दो बार अड़ सकते हैं और हिजरत करनेवाले गरीब किसानोंको भी विमानमें स्थानान्तर कराया जाता है। अितने बड़े विकासका श्रेय फुरसतको ही है। अभी तक यह फुरसत पूँजीपतियोंके ही अेकाधिकार में थी। अब उसे यन्त्रोद्योगों द्वारा और समाजवादी रचनाके द्वारा समाजब्यापी बनाया जा सकता है। पूँजीवाद स्वार्थी और अल्पब्यापी होनेसे वह हटा देनेके फ्राविल है, मगर उसका नवनीत — फुरसत तो ज़रूर बढ़ाने और सम्हालकर रखनेकी चीज़ है। औसी है फुरसतकी महिमा !

मगर अिन विचारोंमें सत्य, अर्धसत्य और भूलसे भरी हुअी बातोंका अितना सारा मिश्रण कर दिया गया है कि अउनकी गहराअीमें अुतरकर विचार करनेकी ज़रूरत है। पहलेसे कअी गुनी ज़्यादा सुख-सुविधाके साधन आज ब्यापक तरीकेसे जनताको सुलभ होते हुअे भी और समयकी बचत करनेवाले अितने सारे साधनोंका निर्माण होते हुअे भी यह कैसी विचित्र बात है कि जिस फुरसतके लिये हम अितने ज़्यादा तरसते हैं, वह हमारे पूर्वजोंको जितनी मिलती थी, अुतनी भी हमें नहीं मिलती ? जिस निश्चिन्ततासे सौ वर्ष पहलेका किसान जीवन निर्वाह करता था और अपने बड़े भारी परिवारको पालता था, उस निश्चिन्ततासे अगर आजका किसान बरते तो पामाल ही हो जाय। कच्चे रास्तेपर तेजीसे दौड़नेवाला घोड़ा

या सॉइनी ही जत्र मुसाफिरी या सन्देश लाने-लेजाने के वेगवान साधन थे, तब मनुष्यको जितनी फुरसत थी, उतनी रेलगाड़ी मिलनेके बाद नहीं रही; और रेलगाड़ी मिलनेपर जो फुरसत थी, वह हवाजी जहाज मिलनेके बाद नहीं रही। महाभारतके युद्धने हमारे मगज पर पुराने जमानेमें होनेवाले बड़े से बड़े युद्धका संस्कार डाला है। दोनों तरफसे मिलकर अठारह अक्षौहिणी\* सेनाने—अठारह ही दिनोंमें अउस समयकी सारी—‘आर्य’ जातियोंने—आपसमें अेक दूसरेका क्रल किया। मगर अिस बड़े युद्धमें भी आजकी अपेक्षा कितनी निश्चिन्तता और फुरसत थी? सुहूर्त पृछा जाता था, सेनायें अिकट्ठी होती थीं; बीचमें ग्रहण पड़ता था तो दोनों पक्षोंके बीच सुलह घोषित हो जाती थी, अउस वक्त दुस्मन भी अेक दूसरेसे मिलते और आमोद-प्रमोद करते थे; लड़ाअीके दरमियान मामूली तौरपर सूर्यास्तके बाद लड़ाअी बन्द रहती थी, तब दुस्मनकी छावनीमें भी जाया जा सकता था; रातको कथा-कीर्तन होता था और वह ‘ब्लैक आशुट’ के बिना ही चलता था। भयकर युद्धोंके बीच भी फुरसत और ‘शान्ति’ रहती थी, जैसे हाअी कोर्टमें कोअी ‘लॉग कॉज़’ (बड़ा केस) दायर किया गया हो। मगर आज तो यह हालत है कि दो माह पहलेसे अिसकी तारीख जाहिर हो चुकी हो, अैसी किसी विचार-परिषदमें भी कोअी शान्त चिन्तसे नहीं पहुँच सकता। कुछ लोग तो अैसे निकल ही आयेंगे, जो बड़ी मुश्किलसे समय निकालकर विमान द्वारा वहाँ पहुँच सके हों। फिर वहाँ पहुँचकर सभीको अिस बातकी जल्दी पड़ जाती है कि कैसे तीन दिनोंके निश्चित कामको दो ही दिनमें निपटा दिया जाय। कुछ लोग अुसमेंसे भी जल्दी निकल जानेवाले मिल जायेंगे। कुछ स्वयं न पहुँच सकनेकी वजहसे आखिरी घड़ीमें ‘अर्जेण्ट फोन’ से सन्देश भेज देंगे। अिन दिनों छह-छह महीनोंमें डाक पहुँचती थी, तब अीस्ट अिण्डिया कम्पनीने छह हजार मील दूर हिन्दुस्तान जैसे देशमें राज्य कायम किया और चलाया। अकबरने ल्हाभग पूरे देश पर हुक्मत की। आज फोन, रेडियो और विमान जैसे साधन होते हुअे भी अैसा करना असम्भव हो गया

\* २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े तथा १,०९,३५० पैदल सिपाहियोंसे बनी हुअी अेक फौजी डकड़ी।

है। अगर चौमीस घण्टेकी देर हुआ होती, तो काश्मीरकी क्या दशा होती, यह हमें प० जवाहरलालजीने बतलाया ही था। यत्र-युगमे जिस फुरसतके लिये हम तरसते हैं, उसकी यह हालत हो गयी है। हम ज्यादा फुरसत पानेके लिये प्रयत्न करते हैं, मगर वह तो गधेकी नाकके सामने बंधे हुए प्याजकी तरह हमसे दो अगुल दूर की दूर ही रहती है। जिस तरह गधेका घ्येय प्याज पाना है, उसी तरह हमारा घ्येय फुरसत पाना है, और इसमे हमारी श्रद्धा है।

खैर, अब हम फुरसत और सस्कृतिके सम्बन्धपर विचार करें। सस्कृतिमें हम भक्ति, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, ललित कलाये, शरीर, मन, बुद्धि वगैरा की असाधारण शक्तियों, या सुख-सुविधाके साधनोंकी सुलभता— चाहे जिसे शामिल करें—सबके सम्बन्धमें हमे दो भेद करने होंगे। एक तो किसी खास किस्मकी सस्कृतिकी विशेषताका निर्माण करनेवालोंका और दूसरा उसके कदरदानों और उपभोग करनेवालोंका।

जब हम अपने मित्रोंके साथ मिलकर छुट्टीके दिनोंमे (यानी फुरसतके वक़्त) अपना ही शौक पूरा करनेके लिये अपने हाथों मालपुआ, कचौड़ी, कढ़ी, भात, दो-चार चटनियों वगैरा तैयार करके, भोजनके स्थानको फूलों और चित्रोंसे सजाकर, अगरखत्ती वगैरासे सुगन्धित करके गाते और आनन्द करते हुये भोजन करते हैं और बादमे शानचर्चा करते हैं, तब पाककला, चित्रकला, संगीतकला, तत्त्वज्ञान वगैराके हम खुद ही निर्माता, कद्रदों और भोक्ता होते हैं। यह फुरसत अपनी है, और सर्जन भी खुदका ही है।

मगर जब हम अपनी और अपने मित्रोंकी फुरसतके वक़्त किसी स्त्रीको या रसोअियेको या होटलवालेको हुक्म देकर खाना तैयार करवाते हैं तथा किसी गवैये, नाचनेवाली या हरिकीर्तनकारको बुलाकर या ग्रामोफोन बजाकर वन-भोजनके कार्यक्रमकी योजना करते हैं, तब उसमें कलाका निर्माण करनेवाले दूसरे होते हैं और उनके आश्रयदाता तथा उपभोग करनेवाले दूसरे। जो लोग अिन कलाओंका निर्माण करते हैं, वे अपनी फुरसतका वक़्त उनमें नहीं लगाते, बल्कि पराधीनता या अपना पेट पालनेके लिये ही मेहनत करते हैं। वे उसका उपभोग भी नहीं करते, अथवा अपने आश्रयदाताओंके उपभोगमेंसे जो बच रहता है, उसीका

अुपभोग कर सकते हैं। रसोअिये, होटलवाले या गवैये अपने कलामय व्यवसायको पेटके लिअे मजदूरी करना ही समझते हैं, अिसके लिअे वे ज़्यादा ग्राहकोंकी तलाशमें रहते हैं और ये भी ग्राहकके फुरसतवादको ही माननेवाले होनेके कारण अैसी युक्तियाँ ढूँढते हैं, जिनसे अिस मेहनतको कम किया जा सके और अपने कलासर्जक व्यवसायमेसे फुरसत हासिल की जा सके। अपने व्यवसायमे अिन्हें कलाकी अुपासना नहीं मालूम होती। अिसलिअे फुरसत निकालकर वे दूसरी कलाओंके अुपासक बनना चाहते हैं और अुनमे भी वे बहुत करके कलाके निर्माता नहीं बनते, बल्कि किसी दूसरे पेशेवर कलाकारके आश्रयदाता ही बनते है। रसोअिया अपनी फुरसतका वक्त सिनेमामें बिताता है, सिनेमाका नट होटलमे या वेश्याओंके यहाँ पड़ा रहता है, कीर्तनकार 'ब्रह्मभोजन'की खोज करता है और ब्रह्मज्ञानी साधु गोंजे-भगके सेवनमें विश्राम पाता है। ज़्यादातर सभी लोग सिनेमा-नाटक, घुड़दौड़, क्रिकेट या अैसी ही कलाओंके आश्रयदाता बनते हैं, जिनमे थोड़े लोगोंकी मेहनतका अुपभोग बहुतसे लोग अेक साथ कर सकें और बहुतसी अिन्द्रियोंको रिझाया जा सके। आज तो बहुतसी कलाओंका अन्तिम स्थान सिनेमाघर है। वहाँका पहनावा, नृत्य, संगीत, घरकी सजावट, श्रगार, चित्र वगैरा समाजकी कलाके आदर्श बनते हैं। अिसमें सभी कलासर्जकोंका सहयोग होता है। चित्रकार, शिल्पी, कथालेखक, कवि, गायक, वैज्ञानिक सबको वहाँ स्थान मिलता है, और वे सब वहाँ कला द्वारा जीवननिर्वाह करते हैं, और पैसा देनेवाले सयोजकके हुक्मके मुताबिक कलाका प्रदर्शन करते हैं।

ललित कलायें सस्कृतिका नवनीत—माखन—मानी जाती हैं। शालायें अपने वर्षभरके शिक्षणका प्रदर्शन नाट्यप्रयोगों द्वारा करती हैं, अितिहासकार प्रजाकी सस्कृतिके अुदाहरण स्वरूप भव्य नगरियों और अिमारतों तथा श्रेष्ठ काव्य, नाटक वगैराकी सूची देते है। अिन कलासर्जकोंके जीवनमें फुरसतके लिअे कितनी जगह थी, अपनी कलाका कितना आनन्द था, चित्तमें कितनी प्रसन्नता थी, अपने साथी कलाकारोंके लिअे कितना सद्भाव और कद्रदानी थी, अपने आश्रयदाताओंकी खुशामदके लिअे अुन्हे अपनी कलाको कितना बिगाड़ना या गिराना पड़ता था, और शौक्रसे



करने पर हमें विश्वास हो जायगा कि आज हम कलाके नाम पर ज़्यादातर नाज़ुक कुरूपताको ही सौंदर्य मानने लगे हैं । जितनी ज़्यादा अल्पवीर्यता होती है, अतने ही ज़्यादा श्रृंगार, हाव-भाव वगैरासे उसे ढँकनेकी कोशिश की जाती है । और देखनेवाले उस बाहिरी रंगपर ही मुग्ध होकर रह जाते हैं, उसके पीछे रहनेवाली कुरूपताको नहीं देख पाते ।

मगर यह थोड़ा विषयांतर हो गया-। मूल बात फुरसतकी है । और उसमें कहनेकी बात यह है कि फुरसत-पूजामेसे निकले हुअे कला-साहित्य-काव्य वगैरा अथले, विन्द्रियोंको आकर्षित करने वाले, रागद्वेषसे भरे हुअे और ज़्यादातर बाजारू वृत्तिके होते हैं । अपने जीवनके नित्य नैमित्तिक कार्योंमें, सम्बन्धोंमें, श्रममें जिस कृतार्थता और प्रसन्नताका अनुभव हो, उसके परिणामस्वरूप अउन कामोंको सुशोभित करने, अउन सम्बन्धोंमें भक्ति, मिठास और रसिकता लाने और उस श्रममें पारंगतता प्राप्त करने तथा सुन्दरता भरनेकी जो प्रवृत्ति हो, उससे निर्माण होनेवाली कला वगैरा अलग ही किस्मकी होगी । उसकी कीमत पैसोंमें ओकी ही नहीं जा सकती । उसकी कदर करनेके लिये जो कुछ दिया जाय, वह देनेवालेको फूल नहीं, बल्कि फूलकी पंखुरी जैसा ही लगेगा और लेनेवालेकी नज़र उस चीज़पर नहीं, बल्कि देनेवालेके भावपर ही रहेगी ।\*

अिस बातसे कोअी अिनकार नहीं कर सकता कि मानवकी अुन्नतिके लिये फुरसत ज़रूरी चीज़ है । शान्तिसे खाने या सोनेका भी समय न मिले, जीवनमें हमेशा 'वन्नत नहीं' का ही स्वर प्रधान हो अुठे, यह स्थिति कभी भी अिष्ट नहीं है । मगर अिसका नाम फुरसत नहीं है कि दिनमें कुछ घटे खूब दौड़धूप करके भूतकी तरह काम करना, बादमें कुछ घटे मौज-शौकके

---

\* स्वामी महजानदके जीवन चरित्रमें मैंने अुनके जीवनकी अेक घटनाका वर्णन किया है । आरमाराम नामके अुनके अेक दरजी शिष्यने अुन्हें भेंट करनेके लिये अेक सुन्दर अँगरखा सोया । भावनगरके दरवार अिस अँगरखेको देखकर अितने खुश हुअे कि अैसा ही अुनके लिये सी देनेपर सौ रुपये सिलाअी देनेको तैयार हो गये । मगर दरजीने कहा, "अैसा दूसरा अँगरखा तो मुझसे नहीं सीते वनेगा । अिस अँगरखेमें तो प्रीतके टाँके पड़े हैं, अैसे टाँके भापके अँगरखेमें डालनेके लिये दूसरी प्रीत कहाँसे लाअें ?" सच्ची कलाका सर्जन अिस तरह होता है ।



कार्यक्रममें विताना और फिर नींद लानेके लिये कोआी दवा-दारू लेकर सवेरे सात-आठ बजे तक न पूरी नींद, न पूरी जाग्रतिकी हालतमें विस्तरपर करवटें बदलते रहना । फुरसतका जो सच्चा सुख जीवनके सारे कामोंको शान्तिसे कर सकनेकी स्थितिमें मिल सकता है, वह कामका वेग बढ़ाकर फुरसत निकालनेकी कोशिशसे नहीं मिल सकता । सुख तो अेक तरफ़ रहा, अभी तक तो यह फुरसत ही मिलनेकी आशा नहीं दिखायी पड़ती ।

वेगवान यंत्रों द्वारा हमने समयको धोखा देनेकी कोशिश प्रारम्भ की है । बहुत तेज़ीसे चीज़ें तैयार करना, तेज़ीसे जगहें बदलना, अिस तरह वेगके प्रति हमारा मोह पागलपनकी सीमातक पहुँच गया है । फिर भी समय—काल—को धोखा देनेकी स्थितिसे हम अभी कितनी दूर पड़े हैं ? अभी जैसे विमान नहीं बने, जो हवामें आवाजकी गतिसे होइ लगा सकें, पर अिस तरहकी कोशिश अवश्य जारी है । मगर प्रकाश और विजलीकी गतिके सामने अिस वेगकी कोआी कीमत ही नहीं । जब आठ घटोंमें बम्बजीसे लन्दन पहुँचानेवाले विमान वनंगे, तब हम बड़ी मुश्किलसे आवाजकी गतिकी बराबरी कर सकेंगे । डुः सेकडमें पहुँचानेवाले विमान बनानेपर हम प्रकाशकी बराबरी कर सकेंगे । कहीं डुः सेकड और कहां आठ घटे ! समयका कितना विगाड़ ! और मनकी गतिके सामने तो प्रकाशकी गति भी घोड़ेके सामने बीरबहूटीकी गतिके बराबर है । सच्चा वेग तो तब हासिल होगा, जब हम मनके वेगसे अिच्छित स्थानपर देह सहित पहुँचने और चीज़ें बना लेनेकी स्थितिको पहुँच जायेंगे । मगर अुस समय यह फुरसत—शान्ति—सुख—विश्रान्ति हम भोग सकेंगे या नहीं, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । बहुत करके तो नहीं ही भोग सकेंगे, हाँ, जीवमात्रके नाशके परिणामस्वरूप क्रयामतकी राह देखते हुअे क्रममें या अन्तरिक्षमें पड़े रहनेकी फुरसत मिल सकती हो, तो मले मिल जाय ! या फिर सभी लोग सतयुगके सत्यसकल्पी और शुद्ध चित्तवाले अिन्सान बन जायें, तब मिल सकती है ।

बचपनकी अेक बात मुझे याद आ रही है । अेक सुखलमान किसानका हमारे परिवारके साथ स्नेह-सम्बन्ध था । अुसके जवान लड़केको बम्बजी देखना था । हमारे कुटुम्बमें किसीकी शादी थी । मेरे पिताजीने विचार

किया कि जिस बहाने अगर यह लड़का बम्बयी जाकर शहर भी देख ले और वहाँकी शादीमे भी शरीक हो जाय, तो क्या हर्ज़ है। उसे तैयार होकर आनेकी सूचना भेजी गयी और वह अपने गाँवसे आ पहुँचा। किस गाड़ीमे बम्बयी जाना है, जिसपर चर्चा हो रही थी। उन दिनों अक्रोलासे बम्बयी जानेके लिये दो गाड़ियाँ थीं। एक पैसँजर थी, जो लगभग अठारह घंटोंमे पहुँचती थी और मुसावलमे गाड़ी बदलनी पड़ती थी। दूसरी मेल थी, जो चौदह घंटोंमे और बिना बदले पहुँचती थी। उस लड़केने देखा कि मेलका किराया ज़्यादा होता है, बीचमे वह बहुतसे स्टेशन छोड़ देती है, और गाड़ीमे बैठना भी कम मिलता है। जिसके सिवा बहुतसे स्टेशन रातमे निकल जाते हैं। पैसँजरका किराया कम, दो गाड़ियोंमे बैठनेको मिले, दिनमें खाना हो, अक-अक स्टेशन दिखे और गाड़ीमें चार घंटे ज़्यादा बैठनेको मिले। उसने जब सुना कि मेरे पिताजी वगैरा कुछ लोग मेलमे जानेवाले हैं और दूसरे कुछ लोगोंको पैसँजरसे भेजना तय हुआ है, तो उसे यह बात विचित्र लगी। ये रेलवेवाले कैसे हैं, जो ज़्यादा समयतक गाड़ीमें बैठनेवालों और उसका ज़्यादा उपयोग करनेवालोंको तो सस्तेमें ले जाते हैं, और कम समय बैठनेवालोंसे ज़्यादा किराया लेते हैं; और मँहंगा सौदा पसन्द करनेवाले ये सेठ लोग भी कैसे हैं? मेरे पिताजीके भोले और भले होनेकी शोहरत तो पहलेसे ही थी, मगर उसे लगा कि यह तो भोलेपन और भलमनसाहतकी हद हो गयी। रेलवेपर अितना उपकार करनेका क्या कारण हो सकता है ?

यह किसान स्वाभाविक अर्थशास्त्रको समझता था। आधुनिक अटपटे अर्थशास्त्रमें अभी उसका प्रवेश नहीं हो पाया था। स्वाभाविक अर्थशास्त्रमे सिर्फ समयकी या समयकी बचतकी कीमत नहीं होती। उसमे समयके साथ मेहनत, तथा वस्तुकी उपयोगिता वगैरा कितनी बढ़ती है, जिसकी कीमत है। उसके जीवनकी व्यवस्था ही ऐसी थी कि अगर उसे गाड़ीमे चार घंटे ज़्यादा बैठना पड़े, तो जिससे उसका कोई काम नहीं बिगड़ता था, अल्टे प्रवासका आनन्द ही बढ़ता था। उसकी नज़रमें तो हमारे भी कोई काम जिससे बिगड़नेवाले नहीं थे। जिस हालतमे चार घंटे कम बैठकर ज़्यादा किराया देना उसके लिये नुकसानका/सौदा

या । उसके मजबूत, गठीले शरीरके लिये चार घंटे ज़्यादा बैठने या गाड़ी बदलनेकी मेहनत कोअी विसातमे नहीं थी ।

अससे अिनकार नहीं किया जा सकता कि समय, वेग, समयकी बचत, फुरसत, शक्तिकी बचत वगैराका योग्य परिस्थितियोंमे महत्त्व है । मगर हम लगभग मूल्योंकी तरह अिनकी निरपेक्ष रूपसे स्वतन्त्र ही कीमत समझने लगे हैं, बल्कि कभी कभी अुनकी कीमत पैसेसे भी ज़्यादा समझ लेते हैं । हमारा कोअी भी काम न बिगड़ता हो, अुल्टे वज्रत वेकाम जाता हो या अुसका दुस्पयोग ही होता हो, शरीरमे काम करनेकी शक्ति भी हो, अुल्टे कामके अभावमें शरीर ढीला बनता हो, फिर भी हम समय, वेग आदिकी अधपूजा करते हैं । हमने देखा कि चरखेकी अपेक्षा मिलसे ज़्यादा तेजीसे कपड़ा तैयार हो सकता है । बैलगाड़ीमें बैठकर या पैदल यात्रा करनेकी अपेक्षा बस द्वारा ज़्यादा तेज़ीसे कहीं पहुँचा जा सकता है, और रेलगाड़ीकी अपेक्षा विमान जल्दी पहुँचा देता है । असलिये गप्पें मारने या ताश-गतरज खेल्नेके सिवा दूसरा कोअी काम न हो, बेकारीके कारण कोअी कमाअी भी न हो, फिर भी अगर कोअी चरखा चलानेकी बात कहे, तो ये दलीलें दी जाती हैं — “अिस तरह कत्र तो कपड़ा बनेगा और कत्र पहनेंगे ? चरखेसे आखिर कितना सूत निकलेगा ? अिस यत्रके ज़मानेमे चरखा कैसे चल सकता है ? असमे कितना मेहनताना मिलेगा ? यह तो वज्रत और पैसेकी बरबादीके सिवा और कुछ नहीं है । अितने समयमें तो दूसरा बहुतसा काम हो सकता है ।” चरैरा चरैरा । अगर अुनसे कहे कि “आपके गप्पों और ताशके समयके आधे भागमें आप अपने कपड़े तैयार कर सकते हैं, चरखा दुनियामें चले चाहे न चले, वह आपकी ज़रूरत तो पूरी कर ही सकता है,” तो यह बात अुनके गले नहीं अुतरती । यही हाल तेज़ीसे यात्रा करनेके सम्बन्धमें है । क्योंकि, समयकी या अुसकी बचतकी या फुरसतकी कीमत अुसके अुपयोगके तरीके पर निर्भर है, यह न समझते हुअे अुसकी निरपेक्ष कीमत माननेकी हमारी आदत पड़ गअी है ।

अगर फुरसत, समयकी बचत, वेग वगैरा जीवनको समृद्ध करते हैं तथा निश्चिन्तता और सुख-शान्ति लाते हैं, तो वे सब शोभते हैं और

फायदेमन्द भी हैं, नहीं तो उनका कोआ कीमत नहीं समझनी चाहिये । मगर यह सब तभी गले उतर सकता है, जब चरित्र और नीतिकी समृद्धिका महत्त्व हमारी समझमे आ जाय । जबतक हमे सिर्फ वाह्य वैभव बढ़ानेकी ही चिन्ता लगी है, जबतक बड़े बड़े शहर, जबरदस्त कारखाने, प्रचंड विमान, सर्वविनाशी अल्ल-शाल्ल, सुख-सुविधाके अकसे अक बढ़िया साधन और भोगोंकी अति वृद्धि ही हमें विज्ञान और सभ्यताकी विजय पताकायें मालूम होती हैं, तबतक जीवनकी ही नहीं, बल्कि पदार्थोंकी भी कीमत आँकनेका सच्चा माप हमे नहीं मिलेगा ।

८

## आर्थिक क्रान्तिके मुद्दे

मुझे अितना अधिक ज्ञान तो नहीं है कि मैं ठीक-ठीक बतला दूँ कि किस निश्चित योजना और विनिमयके साधन द्वारा अिन सबको इस तरह व्यवहारमें अुतारा जा सकता है कि जीवनके लिये ज़्यादा महत्त्वकी चीज़ोंकी कीमत ज़्यादा आँकी जाय और कम महत्त्वकी चीज़ोंकी कीमत कम । मगर इस विषयमे मुझे कोआ सन्देह नहीं कि हमारे विचार और व्यवहारमें नीचे लिखी क्रान्तियाँ होनी ही चाहियें :

१. प्राणोंकी—खास करके मनुष्यके प्राणोंकी कीमत सबसे ज़्यादा आँकी जानी चाहिये । किसी भी जड़ पदार्थ और स्थानकी प्राप्तिको मनुष्यके प्राणोंसे ज़्यादा महत्त्व नहीं देना चाहिये ।

२. अन्न, जलाशय, कपड़े, घर, सफ़ाअी व तन्दुरुस्ती वयैरासे सम्बन्ध रखनेवाली चीज़ें और अुन्हें सिद्ध करनेवाले धन्ये दूसरी सब चीज़ों और धन्योंकी अपेक्षा पैसैके रूपमे ज़्यादा कीमत अुपजानेवाले होने चाहियें । दुश्मनीके कारण अिनका नाश करना अन्तरराष्ट्रीय नीतिमे अत्यन्त हीन काम मान जाना चाहिये और वैसा करनेवाले मानव-जातिके दुश्मन समझे जाने चाहिये ।

३. किसी चीज़की विरलता, तथा ज्ञान, कर्तृत्व, शौर्य वयैराक विरलताके कारण वह चीज़ तथा अुसे सिद्ध करनेवाले धन्योंकी प्रतिष्ठा भले ज़्यादा हो; मगर वह प्रतिष्ठा पैसैके रूपमें नहीं आँकी जानी चाहिये ।

४. देशकी महत्त्वकी सम्पत्ति उसकी अन्न पैदा करनेकी शक्ति और मानव सख्याके आधारपर निश्चित की जानी चाहिये; उसकी खनिज सामग्री, विरल सम्पत्ति या यंत्रोंके आधारपर नहीं। अगर एक आदमीके पास सोना या पेट्रोल पैदा करनेवाली पांच एकड़ ज़मीन हो और अन्न पैदा करनेवाली पांचसौ एकड़की खेती हो और उसे जिन दोनोंमेंसे एकको छोड़ना पड़े, तो आजके अर्थशास्त्रके मुताबिक वह पांचसौ एकड़की खेतीको छोड़ देगा। सच्ची कीमत-गणितके मुताबिक उसे पांच एकड़की खदान छोड़नेके लिये तैयार होना चाहिये। यानी ऐसा तरीका काममें लाना चाहिये जिससे सम्पत्तिकी कीमत स्वर्णपट्टीसे नहीं, बल्कि अन्नपट्टीसे और उपयोगिताकी शक्तिसे आँकी जाय।

५. एक रुपया या एक रुपयेका नोट कहीं रखे हुअे अमुक ग्रेन सोने या चांदीका प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अमुक सेर या तोले अनाजका प्रमाणपत्र होना चाहिये। पैसा यानी अमुक ग्रेन धातु नहीं, बल्कि अमुक मापका 'ग्रेन' (धान्य) ही होना चाहिये। पाउण्डका मतलब अक्षरशः पाउण्ड—(रतल—अमुक हजार 'ग्रेन' धान्यके दाने) ही समझा जाना चाहिये।

६ सोनेका भाव अमुक रुपये तोला है और चावलका भाव अमुक रुपये मन है, जिस भाषामें अब कोअी अर्थ नहीं रह जाना चाहिये। सच पूछा जाय, तो जिसमें कोअी अर्थ रहा भी नहीं। क्योंकि रुपया खुद ही स्थिर माप नहीं है। सोनेका भाव फी तोला अमुक मन गेहूँ या चावल है, ऐसी भाषा काममें लानी चाहिये (वेशक, तोले तथा मन दोनोंके वज़न पहलेसे निश्चित हो जाने चाहिये)।

७ नोट या सिक्के द्वारा ही कर्ज़ चुकाना लाज़मी नहीं होना चाहिये। अनाजके मालिकको यह अधिकार होना चाहिये कि वह नोट या सिक्केके पीछे रहनेवाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कर्ज़ चुकाये। अगर अनाज पैदा करनेवालोंसे अनाजके ही रूपमें कर या महसूलकी वसूली की जाय, तो सरकार और (खास करके शहरी तथा गैरविशान) प्रजाकी अन्न सक्तके समय काले बाज़ार, नफ़ाखोरी वरैरासे अच्छी



## कुआँ और हौज

अब मैं राजकीय क्रान्तिके प्रश्नोंपर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। जिस सम्बन्धमें भी पुराने ज़मानेसे ही मानव-समाज कभी प्रकारके राजकीय तंत्रों और वादोंका विचार और प्रयोग करता आया है। अक व्यक्तिका राज, गणराज, प्रजाराज, गुरुशाही, राजाशाही, सरदार-मडलशाही, महाजन-शाही, पचायतशाही, तानाशाही (डिक्टेटरशिप), बहुमतशाही (मेजॉरिटी राज), वगैरा अनेक प्रकारके तंत्रोंकी चर्चयें चलती ही रहती हैं, और शायद भविष्यमें भी चलती रहेंगी।

जिसका मतलब सिर्फ़ अतना ही है कि सभी लोग मनुष्य जीवनको सुखी बनानेके लिये किसी न किसी तरहके राजतंत्रका होना आवश्यक समझते हैं, मगर उसका (राजतंत्रका) आदर्श विधान अभी तक कोसी खोज नहीं सका है। मानव-समाज जिस सम्बन्धमें विचार और प्रयोग करता आया है, अनुभव लेता आया है, मगर अभी तक कोसी प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ, और न कोसी लम्बे अरसे तक सन्तोषजनक रूपसे काम देनेवाला साबित हुआ।

कहा जा सकता है कि आज दुनियाके समझदार व्यक्ति और उनका अनुसरण करनेवाले देश तीन मुख्य वर्गोंमें बँटे हुए हैं। प्रजाकीय बहुमत-शाही (डेमोक्रेसी), फौजी तानाशाही (फासिस्ट डिक्टेटरशिप) और मज़दूरोंकी तानाशाही (साम्यवादी डिक्टेटरशिप)। फिर, जिस तरहके आर्थिक वादमें श्रद्धा हो उसके मुताबिक़ अिनमें पूँजीवादी, समाजवादी वगैरा भेद पड़ते हैं, और हरअक देशकी प्रत्यक्ष परिस्थितिके विचारसे हरअक 'शाही' के व्यावहारिक स्वरूपके बारेमें कभी तरहके विचार बनते हैं जैसे, जातिवार मताधिकार, अकत्र मताधिकार, सर्वजन मताधिकार, विशिष्ट जन मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दो धारासभायें, अक धारासभा, मज़बूत केन्द्र, मर्यादित केन्द्र, वगैरा वगैरा।

अगर हरअेक मतकी प्रामाणिकताको स्वीकार करें, तो अिन सब पक्षोंका सिर्फ अितना ही अर्थ होता है कि मनुष्यको सुखी बनानेके अुपाय खोजनेमे हम अभी भी अधोंकी तरह ही टटोल रहे है ।

अिन वादोंकी सूक्ष्म नुक्ताचीनी करनेका मेरा अिरादा नहीं है । हमारे देशके ज़्यादातर विद्वानोंका मत है कि हमारे अपने देशके लिअे अेक प्रजाकीय बहुमतगाठी अनुकूल हो सकती है, और आज तो यह बात अेक तरहसे तय है कि जो कुछ भी प्रयोग करने हों, वे सब अिस शाठीके अनुकूल रहकर ही किये जाने चाहियें ।

मगर अिस मूल चीज़को स्वीकार कर लेनेके बाद भी मताधिकार, चुनाव, राजकीय पक्ष वगैराके सवाल कुछ कम झगड़ा और कम खून-खराबी करानेवाले तथा अुल्लङ्घनमे डालनेवाले नहीं हैं । काना, मात्रा, डिङ्गे, व्याकरण, विराम चिह्न, वगैराकी चाहे अेक भी भूल न हो, और बहुत साफ अक्षरोंमें लिखा गया हो, फिर भी कानून चीज़ ही अैसी है कि जिसके अप्रामाणिक अुपयोग करनेके रास्ते निकल ही आते है । क्योंकि कानून अुन लोगोंके बनाये हुअे रहते हैं, जिनकी दड-शक्तिपर श्रद्धा होती है और फिर अिस दंड-शक्तिपर ही कानूनकी विधियोंका नियमन होता है । अिसलिअे जिस हद तक यह दड-शक्ति कमज़ोर सात्रित होती है, अुसी हद तक कानून तोड़नेके रास्ते भी निकल ही आते हैं ।

यह दंड-शक्ति कअी तरहसे कमज़ोर साबित होती है । मगर अिन सारी कमज़ोरियोंका अेकमात्र कारण अगर बतलाना हो, तो वह शासित प्रजाका चरित्र ही है ।

यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ कुअेमे हो अुतना हीज़मे आवे ” । ‘अुतना’ के साथ ‘वैसा’ शब्द भी रखा जा सकता है । यानी कि “ कुअेंमें हो अुतना और वैसा हीज़मे आवे ” । यह हो सकता है कि कुअेकी अपेक्षा हीज़मे कम आवे, और अैसा होता ही है । मगर यह स्पष्ट है कि अुससे ज़्यादा नहीं आ सकता । फिर कुअेंका पानी साफ होते हुअे भी वह हीज़में जाकर त्रिगड सकता है, मगर कुअेंका पानी दूषित हो और हीज़में साफ पानी आवे यह नहीं हो सकता । अिसलिअे कुअेके बाद हीज़की सफ़ाअीपर ध्यान देनेकी ज़रूरत अवश्य



है, मगर यह नहीं हो सकता कि कुर्आँ खराब हो और हौज़ साफ रहे। हौज़ शासकवर्ग है और कुर्आँ समस्त प्रजा है। चाहे जैसे कानून और विधान बनाविये, मगर यह कभी नहीं होगा कि पूरी प्रजाके चरित्रकी अपेक्षा शासकवर्गका चरित्र बहुत ऊँचा हो, और प्रजा अपने चरित्रके बल्पर जितने सुख-स्वातन्त्र्यके लायक होगी, उससे ज़्यादा सुख-स्वातन्त्र्य वह भोग नहीं सकेगी। जिस राजप्रणालीमें शासकवर्गको सिर्फ दण्ड देनेका ही अधिकार नहीं मिलता, बल्कि साथ साथ धन और प्रतिष्ठा भी मिलनी है, उसमें वे सारी अनुकूलतायें तो देती हैं, जिनसे शासकवर्गका चरित्र प्रजाके चरित्रसे ज़्यादा हीन बने, मगर चरित्रके शुद्ध होनेकी अनुकूलतायें नहीं देती। और आखिरमें शासितोंमेंसे ही शासकवर्ग पैदा होता है। यानी धीरे धीरे यह नतीजा होता है कि शासित प्रजाके हीनतर भागके हाथमें शासन चला जाता है। सभी प्रकारकी राजप्रणालिकायें थोड़े ही समयमें जो सड़ने ल्हाती हैं, उसका यही कारण है।

यह सच है कि कुर्आँसे हौज़ छोटा होता है, मगर शासकवर्गका हौज़ अितना छोटा नहीं होता कि अपूरका थोड़ा हिस्सा साफ हो, और नीचेके हिस्सेमें सख्त कानूनकी शोधक दवा (डिस अिन्फेक्शन्ट) डाल दें, तो सब ठीक हो जाय। क्योंकि प्रजाका प्रत्यक्ष सुख-स्वातन्त्र्य अपूर् दरजेके शासकोंके हाथमें नहीं, बल्कि नीचेके शासकोंके हाथमें होता है और शोधक दवाअियाँ चाहे जितनी तेज़ हों, वे खराबीका बहुत थोड़ा अश्व ही दूर कर सकती हैं।

अिसपरसे, प्रजाके हितचिन्तकों, विद्वानों और खुद प्रजाको भी समझना चाहिये कि सुख-स्वातन्त्र्यकी प्राप्ति सिर्फ राजकीय विधान और कानूनोंकी सावधानीसे की हुअी रचना या अुद्योगों वगैराकी योजनाओं द्वारा सिद्ध नहीं होगी, न शासकवर्गमें थोड़े अच्छे लोगोंके रहनेसे ही होगी, बल्कि समस्त प्रजाकी चरित्रवृद्धि तथा शासकवर्गके बहुत बड़े भागकी चरित्रवृद्धि द्वारा ही होगी। अच्छे कानून और योजनायें मदद कर सकती हैं, मगर सिर्फ साधनके रूपमें। वे मूल कारण नहीं बन सकतीं। अगर प्रजाको दुःखी करनेके लिये उसी प्रजाके लोगोंकी ज़रूरत पड़ती हो, तो दुष्टसे दुष्ट विजेता भी बलवान चरित्रवाली प्रजाको लम्बे

अरसे तक परेशान नहीं कर सकता । और सुखी करनेके लिये भाँ अगर उसी प्रजाके लोगोंकी जरूरत रहती हो, ( और वह तो हमेशा ही रहती है ) तो धर्मात्मा राजा और महान् प्रधानमंडल भी चरित्र-शून्य प्रजाको लम्बे अरसे तक सुखी नहीं रख सकेगा ।

मगर जाँच करनेपर पता चलेगा कि हम जिससे अल्टी श्रद्धाको लेकर काम करते हैं । हम मानते हैं कि सामान्य वर्ग भले बहुत ज्यादा चरित्रवान न हो, मगर बहुत अच्छी तनखाहें वगैरा देकर हम शासकवर्गके लिये उससे अच्छे चरित्रवान व्यक्ति जरूर पा सकते हैं और उनको मार्फत जनहितकी योजनायें और कानून बनाकर प्रजाको सुखी कर सकते हैं । यह ऐसी ही बात है जैसे कोसी कहे कि गंदले पानीमें थोड़ासा साफ पानी मिला देनेसे सारा पानी साफ हो सकता है । ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर सब जगह प्रचलित इस श्रद्धाका नतीजा यह होता है कि शासित वर्ग अपनी सारी सुख-सुविधाओंके लिये राज्यकी तरफ ही देखता है, खामियोंके लिये उसीको दोष देता है और जुदे जुदे पक्षोंके आन्दोलनोंका तथा दगे करानेवालोंका शिकार बनता है । मानो चुनाव और जुलूस, परिषदें, समितियों, भाषण, हड़तालें और दगे ही प्रजाकीय शासनके अंग हों । अतना होते हुअे भी अगर प्रजाओंके जीवनमें व्यवस्था रहती है, तो उसका कारण राज्यके कानून या व्यवस्थाशक्ति नहीं, बल्कि अिन सारी धाँधलियोंके बावजूद प्रजाके मध्यम वर्गोंमें रहनेवाली स्वाभाविक व्यवस्थाप्रियता और शान्तिप्रियता है ।

## राजकीय हलचलें और प्रथायें

यह सब पढ़कर अब पाठकका जी शायद अुकता गया होगा । उसे लगता होगा कि एक ही बातको मैं बारबार क्यों दोहराया करता हूँ ! चरित्रकी आवश्यकताके सम्बन्धमें किसीका मतभेद ही कहाँ है, जो मुझे बारबार यह बात कहनेकी जरूरत पड़ती है ? जिसे मानकर तथा जिसे मदद करनेके लिये ही सारी राजकीय पद्धतियोंपर विचार होता है । कोअी समझदार आदमी सिर्फ राजकीय पद्धतियोंपर ही जोर नहीं देता । चरित्र हो तो, तथा चरित्र-निर्माणमें मददरूप होनेके लिये कौनसी राजव्यवस्था और प्रथायें अच्छी हैं, इसी पर विचार करनेकी जरूरत है ।

यह विचार ही धोखेमें डालनेवाला है । जब चरित्रका पारा बहुत अुतर जानेसे मनुष्यके दुःख अुत्पन्न हुअे हों, और राजकीय हलचलें तथा अुनमेंसे पैदा होनेवाली खुले रूपमें हिंसक या दिखाने भरके लिये अर्हिसक लड़ाअियाँ अिस चरित्रकों हीनतर बनानेका ही काम करती हों, तब यह कहना कि चरित्रके महत्त्वको मानकर चला गया है, खुदको और दूसरोंको धोखा देना है, या कहिये कि अुसमें मानवके द्वेषभावसे पैदा होनेवाले चरित्रको मानकर चला गया है, सद्भावको नहीं । अुल्टे सद्भावकी कीमतके सम्बन्धमें सन्देहकी दृष्टि रही है । सारी राजकीय हलचलों और पद्धतियोंका प्रयत्न द्वेषका सगठन करनेके लिये होता है, सद्भावका नहीं ।

पिछली सदीकी शुरूआतके अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे कि हरअेक मनुष्य अर्थचतुर (अपने आर्थिक हितोंको बराबर समझनेवाला और संभाल सकनेवाला — economic man) होता है । अिसपरसे अुन्होंने देश-देश तथा मालिक नौकर वगैराके आपसी अर्थ-व्यवहारोंमें अदखल-गीरी (Laissezfaire)का वाद चलाया । आगे चलकर धीरे धीरे समझमें आया कि यह मान्यता गलत है, और अुसमेंसे विविध अर्थ-

व्यवहारोंमें राजकी दखलअन्दाज़ी करनेकी योग्यताका वाद अत्यन्त हुआ । यह अब इस हद तक बढ़ा है कि आर्थिक सम्बन्धोंमें मनुष्यके वर्तन-स्वातन्त्र्यका विलकुल अन्त ही हो जाता है । पहले वादने मान लिया कि मनुष्यमात्र अपने फायदेको समझता है और उसे संभालनेकी उसमें स्वाभाविक शक्ति होती है; दूसरे वादकी मान्यता है कि बलवान पक्षमें ज्ञान और शक्ति तो होते हैं, मगर चरित्रका (यानी सद्भाव, न्याय वगैराका) अभाव होता है तथा कमजोर पक्षमें चरित्र होता है और ज्ञान तथा शक्तिका अभाव रहता है । ये सारी मान्यतायें चलत होनेसे ही मनुष्यके दुःख जैसेके तैसे ही रहे हैं ।

अिसी तरह हम डेमोक्रेसीकी, चुनावोंकी, राजकीय पक्षसंगठनकी, तथा अनुपक्षोंके-कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा नुक्ताचीनी करते हैं । मगर मूलमें रहनेवाली कमी पर कभी भी विचार नहीं करते । हमारी हलचलोंमें 'परस्पर शिक्षाकर परम श्रेय हासिल करने' का नहीं, बल्कि 'परस्पर शिक्षाकर परस्पर श्रेय हासिल करने' का प्रयत्न होता है । सबको फायदा पहुँचानेके लिये अेकत्रित होना हमारे संगठनोंका ध्येय नहीं होता, बल्कि विरोधीको हराने-गिराने-छूटने-हैरान करनेके लिये ही हम अिकट्टे होते हैं और लोगोंको भी उसमें शामिल करनेकी कोशिश करते हैं । विचार, वाणी, सभा, सस्था-रचना वगैरा सबकी स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके पीछे हमारा हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके प्रति द्वेषभाव बढ़ाना होता है । कभी ये विरोधी पक्षवाले देशी या विदेशी शासकवर्ग होते हैं, कभी प्रतिद्वन्द्वी कोअी राजकीय पक्ष होता है और कभी प्रतिद्वन्द्वी अपने ही पक्षका राजकीय उपपक्ष होता है ।

हममें रहनेवाले अिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों और कानूनोंमें दिखायी पड़ता है । कहा जाता है कि औरगज़ेबका अैसा स्वभाव हो गया था कि वह किसीपर विश्वास ही नहीं कर सकता था । मगर सेनापति, मंत्री, सूबा वगैरा अधिकारियोंके बिना काम तो चल नहीं सकता था, अिसलिये वह 'अ'को सेनापति बनाकर 'ब'को सुपपर

\* परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ । (गीता)

जासूसी करनेके लिये उपसेनापति नियुक्त करता था । जिस तरह उसने हरएक विभागमें एक दूसरेके प्रतिपक्षियोंके जोड़ रख दिये थे । नतीजा यह हुआ कि कोअी भी पूरे आत्मविश्वास और हिम्मतसे काम ही नहीं कर सकता था, सभीको अपने काममें ढील करने और एक दूसरेकी भूलें देखनेकी आदत पड़ गयी थी ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी सभी राजकीय व्यवस्थाये औरगज़ेबी ही हैं । हम राजा रखते हैं, मगर वह सिर्फ शोभाका पुतला ही होता है; गवर्नर नियुक्त करते हैं, मगर वह अपने मन्त्रिमंडलकी मर्जीके खिलौना कुछ भी नहीं कर सकता; केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ज़्यादासे ज़्यादा सत्ता असीके हाथमे रहे, प्रांतीय सरकार चाहती है कि केन्द्रीय सरकारकी सत्ता निश्चित मर्यादामे ही रहे; हरएक व्यक्ति सत्ताका लालची और दूसरेकी सत्ताके प्रति आर्ष्या रखनेवाला होता है ।

ऐसे मानससे उत्पन्न होनेवाली व्यवस्थायें अगर खर्चीली, दीर्घसूत्री, 'रेड टेपी', बोझिली और सिर्फ बाहरी शोभा रखनेवाली, छलकपट-निन्दा-आर्ष्या-चुगलखोरी-रिश्वत-वैरभाव वगैरामे भरी हुअी हों, तो जिसमे कोअी अचरजकी बात नहीं है । इनके 'चुनावोंमें सारी प्रजाका मताधिकार हो, चाहे थोड़ोंका, सीधा हो चाहे टेढ़ा; जैसे किसी ढगका हो, जिसमे सभी वर्गोंके प्रतिनिधि योग्य प्रमाणमें चुने जा सकें, या सीधा सादा हो, हर हालतमें ये प्रतिनिधि सिर्फ हाथ ऊँचे करनेका ही काम दे सकते हैं, राजतंत्रको सुधारनेका काम इनसे नहीं हो सकता । ये चाहे जैसे ज्ञान या चरित्रवाले हों, मगर जो थोड़े-बहुत अति चतुर व्यक्ति होते हैं, व्यवहारमे वे ही सारी सत्ता भोगते हैं । ये अगर अच्छे हुअे तो प्रजाका सुख पैसे दो पैसेभर बढ जाता है, और हीन वृत्तिके हुअे तो दुःखकी झड़ी लगा देते हैं ।

डेमॉक्रेसीका व्यावहारिक अर्थ सिर गिनना ही रह गया है । कोअी यह तो कह ही नहीं सकता कि ज़्यादा सिर यानी ज़्यादा समझदारी; जिसलिये जिस तरफ ज़्यादा सिर ऊँचे हों, उस तरफ़का निर्णय ज़्यादा समझदारीभरा होगा । सिर किस कामके लिये ऊँचे हुअे हैं, यही महत्त्वका

है, सिर्फ कितने सिर ऊँचे हुअे यह नहीं । गंदले पानीके पाँच तालावोंकी अपेक्षा साफ पानीकी अेक छोटी-सी झीरी ज़्यादा महत्त्वकी है ।

मतलब यह है कि सिर्फ ज़्यादा सिरोंके, ऊँचे अुठनेसे सुख नहीं बढ़ जाता । ऊँचे अुठनेवाले सिर योग्य गुणवालोंके होने चाहिये । अेक चॉद जितनी चॉदनी फैलाता है, अुतनी करोड़ों तारे मिलकर भी नहीं फैला सकते ।

अिसके सिवा, डेमॉक्रेसीमे सिर्फ धारायें बनानेवालों और हुकम निकालनेवालोंका ही चुनाव होता है । धाराओं और हुकमोंपर अमल करनेवाले तो चुनावके क्षेत्रसे बाहर ही रहते हैं और अुनकी भरती अल्ला ही ढगसे होती है । अगर अमलदारोंकी भरतीका तरीका अैसा न हो कि अुनमें सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही लिये जा सके, तो प्रतिनिधियोंके अच्छे होनेपर भी शासन-प्रबन्धमे ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ सकता ।

अिसलिये यह विचारना जितना महत्त्वपूर्ण है कि किस तरह अच्छे ही प्रतिनिधि और अच्छे ही अमलदार नियुक्त किये जा सकते हैं, अुतना यह नहीं कि किस तरह अमुक राजकीय पक्षका बहुमत हो सकता है और न यही कि सभी बातोंमे बहुमतसे ही निर्णय करना चाहिये ।

## चुनाव

चुनावों द्वारा हमारी डेमोक्रेसी चलती है और सरकारी नौकरों द्वारा शासन चलता है। प्रतिनिधियोंके मुकाबले सरकारी नौकर राज्यतंत्रके ज्यादा स्थिर अंग होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रजापर अनुका ज्यादा प्रत्यक्ष काबू होता है, और राज-कारवारका ज्यादा अनुभव भी अन्हींको होता है। यह सच है कि प्रतिनिधियोंकी अन्के अपूर सत्ता होती है, मगर अन्की नियुक्ति अस्थायी और बारबार बदलनेवाली होनेसे, तथा नौकर ही अन्के हाथ-पाँव तथा आँख-कान होनेसे, प्रतिनिधियोंके वाद और सिद्धान्त बहुत बार अपनी जगह धरे रह जाते हैं और प्रत्यक्ष कारवार नौकरोंकी सलाह और मतके सुताविक ही चलता रहता है। अन्में भी फिर सबसे छोटे नौकर और सबसे बड़े नौकरके बीच जितने ज्यादा दरजे होंगे, सुधारके प्रयत्नोंका असर प्रजातक पहुँचनेमे अतनी ही ज्यादा कठिनायी होगी।

अिसलिये अगर हमें सु-राज्य कायम करना है, तो चुनाव और भरती, दोनोंके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण साफ होना जरूरी है।

चुनावों द्वारा हम प्रजाके प्रतिनिधि पसन्द करनेकी कोशिश जरूर करते हैं, मगर यह चुनाव करनेमें हमारा जो दृष्टिकोण होता है, अन्की योग्यताके सम्बन्धमें हमने कभी पूरी तरह विचार नहीं किया।

विचार करनेपर हमें पता चलेगा कि चुनावमें हरअेक मतदाता 'अपने' व्यक्तिको मत देता है। अित्त व्यक्तिके 'अपना' होनेके विविध कारण होते हैं; जैसे कि वह अपना आश्रयदाता या अन्का नियुक्त किया हुआ हो, या अपनी जातका, गाँवका, प्रान्तका, धर्मका, पक्षका, धन्धे वगैराका हो, तो वह 'अपना' व्यक्ति बन जाता है। अन्से चुनकर भेजनेमें मतदाताकी अपेक्षा यह होती है कि वह सारी जनताके

नहीं, बल्कि उसके वर्गके हित-या स्वार्थकी रक्षा करनेमें ज्यादा सावधान रहेगा। और जिस कड़ीके योगसे वह 'अपना' कहलाता है, उस कड़ीको और उसके सभी व्यक्तियोंको दूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा फायदा पहुँचायेगा।

चुने जानेका अुम्मीदवार प्रतिनिधि भी अपने मतदाताओंको उसी तरहकी आशायें बँधाता है। 'मुझे भेजोगे, तो आपके लिये मैं अमुक-हासिल करनेकी कोशिश करूँगा, और आपके विरोधियोंको अमुक ढगसे चित्त करूँगा।'

अस तरह प्रतिनिधि तथा मतदाता अपने पक्षके स्वार्थका ही विचार करके सु-राज्य कायम करनेकी आशा रखते हैं। यह मध्यकालीन श्रद्धा अभी भी हमारे चुनावोंमें काम कर रही है कि अगर सभी मनुष्य अपने अपने स्वार्थ सँभालें, तो सबका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है।

दरअसल यह श्रद्धा ही अनर्थों और झगड़ोंकी जड़ है। चुनावकी यह प्रथा पंचनियुक्त करनेकी पद्धतिका नहीं, बल्कि वकील नियुक्त करनेकी पद्धतिका अनुसरण करती है। 'अ' और 'ब' के बीच अगर झगड़ा हो, तो दोनों अपने वकील नियुक्त करते हैं। वे न्यायाधीशके सामने अपने मुक्किलोंके स्वार्थोंको पेश करते हैं। इसमें वे अपने विरोधीके हितोंका विचार नहीं करते। दोनोंके विरोधी स्वार्थोंपर विचार करके अिन्साफ करनेकी ज़िम्मेदारी न्यायाधीश पर होती है। अस न्यायाधीशको अगरचे अ और ब ने ही नियुक्त किया हो, फिर भी उससे यह आशा नहीं की जाती कि वह किसी अेकके ही स्वार्थका खयाल रखेगा; बल्कि उससे यही अपेक्षा रखी जाती है कि वह किसी अेकका व्यक्ति नहीं बनेगा और दोनोंके स्वार्थों और विरोधोंका विचार करके ही अिन्साफ देगा।

अस तरह यह सच है कि अदालतमें पार्टियोंके अपने अपने प्रतिनिधि होते हैं; मगर निर्णय देनेका अधिकार अिन प्रतिनिधियोंको नहीं, बल्कि अिन दोनोंसे भिन्न किसी अेकका प्रतिनिधित्व न करनेवाले सबके मान्य प्रतिनिधिको होता है। यह सर्वमान्य प्रतिनिधि अेक ही व्यक्ति हो चाहे बहुतसे हों, हरअेकसे गैर-तरफदार होनेकी आगा रखी जाती है; अगर वह किसीके पक्षका हो या किसीकी तरफदारी करे, तो यह उसको दोष माना जाता है।



ऐसा होनेके बदले अगर किसी मुकदमेमें सभी वादी-प्रतिवादियोंको अपने-अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा हो और उन वकीलोंपर अपने अपने मुवक्किलोंका हित साधनेकी जिम्मेदारी होते हुअे भी, वे बहुमतसे जो निर्णय दें वही अन्तिम फैसला माना जाय, तो अिन्साफ़की शकल क्या होगी ? स्पष्ट है कि अगर वादी-प्रतिवादी अेक अेक ही हो, तो (जैसा कि पञ्जाब और बंगालके पञ्च-बैटवारेमे हुआ) ज़्यादातर गतिरोध ही होगा; और अगर उनकी तादाद कम-ज़्यादा हो, तो जिस पक्षकी तादाद बढ़ जाय, उसके हकमें फैसला होगा । फिर गतिरोध हटानेके लिये किसी तीसरे रैडक्लिफ़को सरपच नियुक्त करना पड़ेगा और अगर वह बुरा अिन्साफ़ करे तो भी सबको कबूल करना होगा ।

। ऐसी न्याय-पद्धति बुरी होती है, अिसे स्वीकार करनेमें किसीको देर नहीं लगेगी, मगर विचार करने पर मालूम होगा कि हमारी सभी प्रतिनिधि सभायें अलग अलग पक्षोंके वकीलोंकी मजल्लिसे ही होती हैं, गैरतरफदार न्यायाधीशोंकी बैठके नहीं । क्योंकि प्रतिनिधि भेजनेवालोंको हम यही कहते हैं कि हरअेक मतदाता 'अपने' आदमीको मत दे, यह नहीं कहते कि सब मिलकर लगभग सर्वमान्य या लगभग किसीको अमान्य न हो अैसे ही निष्पक्ष, चरित्रवान और व्यवहार कुशल आदमियोंको पसन्द करें । अिसेसे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे सबके पंच नहीं, बल्कि अेक या दूसरे पक्षके वकील ही होते हैं और पक्षोंके नियमोंके मुताबिक उनपर अपने पक्षके खिलाफ कोअी भी निर्णय (मत) न देनेकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है । ऐसी सभा जो कुछ निर्णय करे या कानून वगैरा बनाये, वे वकीली अदालतके हुकमनामे जैसे माने जा सकते हैं, न्यायालयके हुकमनामे जैसे नहीं । क्योंकि अिन प्रतिनिधियोंको अपने पक्षको छोड़नेकी ज़रा भी स्वतंत्रता नहीं होती । ये अध्यक्ष हों, चाहे मंत्री, अपने पक्षके बन्धनोंसे कभी छूट नहीं सकते ।

ऐसी हालतमें भी अगर स्थिर सु-राज्य थोड़ा बहुत रह सकता है, तो उसका कारण 'डेमोक्रेसी' नहीं, बल्कि यह सत्य है कि मनुष्य अपनी मनुष्यताको पूरी तरहसे छोड़ नहीं सकता ।

जिस तरह बड़े मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, बल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, उसी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षों या द्वितीके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की, हुआ निष्पक्ष, व्यवहारकुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अलग होनी चाहिये। मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे बाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, जैसे) लोगोंसे जिन्हें चैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुशल और चरित्रवान। समझते हों, उनसे मत दें; और अन्तिम निर्णय करने और उनपर अमल करनेकी सत्ता उनके हाथोंमें रहे। यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, बल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है। जिसलिये निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "वदतो व्याघात" जैसा है। प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा संचालित राज्य — ज़रूर होगा।

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको रग ।  
तुलसी लउ भोजन करी, जियत मानके रग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुमे कभी तर्कके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जोंच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अुंची नौकरी पानेसे हम कअी कित्मके आर्थिक लाभ और सुख सुविधायें मिलती हैं। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बड़े सरकारी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे तरचने पडते ह, न असुविधायें भोगनी पडती ह। सौमसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द राजगार ही बनता है। अैसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक सत्थायें गुटबन्दीके अखाड़े बनें और ग्रासन रिड्यतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो असमं आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह जासान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। अैसी सत्कारिता शुभन्न होनी चाहिये जिससे अुंचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्गार, नाच नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्मेलन वगैरासे होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालेके लिये सादे जीवनका नभूना और भार रदित होना चाहिये: वह आडम्बर बढ़ानेवाला,

दौड़घूप करानेवाला, और खर्चीला न बने। एक चारसौ-पाँचसौ रुपये माहवारकी आमदनी पर गुज़र करनेवाला तथा बालबच्चोंवाला मध्यम श्रेणीका गृहस्थ शहरमे जिस दरजेका जीवन बिता सकता है, उससे किसी बढ़ेसे बढ़े अधिकारीके जीवनका और रहन-सहनका दर्जा ऊँचा नहीं होना चाहिये। अिसे मध्यमश्रेणीका एक माप कहा जा सकता है। पेशवाजी ज़मानेके प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशास्त्री जैसे विरल पुरुषका दर्जा तो अिसे नहीं ही कहा जा सकता, मगर यह मर्यादा निभानेवाले दुनियावी आदमीका दर्जा ज़रूर है। अिसकी निजी तथा सार्वजनिक सेवाके चर्दोंसे होनेवाली आमदनी ऐसी मर्यादित रहनी चाहिये कि वह अितना ही खर्च निभा सके। अिसका जीवन अिस दर्जेसे ऊँचा जाय अथवा सेवाके दरमियान अिसकी मिल्कियत बढ़े, अुसके विषयमे यह सन्देह होनेका कारण है कि अुसे दूसरी भी कोअी आमदनी होती होगी। अगर यह आमदनी व्यक्तिगत भेटके बढ़नेसे होनेवाली खर्चकी बचतकी बढौलत हो, तब भी अुसे अनुचित ही समझना चाहिये। राष्ट्रमे चाहे जितना ऊँचा दर्जा हो, अुसके जीवनका दर्जा एक मध्यम मर्यादासे अुपर नहीं जाना चाहिये। सरकारी ओहदेदारोंकी अुच्चतम आमदनी तथा मिल्कियतकी मर्यादा राष्ट्रके लिअे व्यक्तिगत आमदनी तथा मिल्कियतकी सामान्यरूपसे ठहराअी हुअी अुच्चतम मर्यादासे नीची होनी चाहिये। तथा ऐसी परम्परा कायम होनी चाहिये कि अिसकी व्यक्तिगत मिल्कियत तथा आमदनी पहलेसे ही अिससे ष्यादा हो, वह बिना तनखाह लिये सेवा करना अपना फर्ज समझे।

अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके ज़मानेसे लेकर आज तक 'भत्ता' बहुत बढ़ी आमदनीका एक साधन बना हुआ है। खर्च न किया हो, अुल्टे प्रजाने ही खर्च किया हो, फिर भी ठहराये हुअे दरसे 'भत्ता' लेनेमे किसीको भी अप्रामाणिकता नहीं मालूम होती। और सरकारके हिसाबी विभागोंने भी हिसाब रखनेमे मेहनत न बढ़े अिस खयालसे निश्चित दरसे कम भत्ता न देनेकी प्रथा डाल दी है। अगर दिल्लीकी लोकसभामे जानेके लिअे पहले दरजेका किराया और तीस रुपये प्रतिदिनका भत्ता ठहराया गया हो, तो हरअेक सदस्यको यह रुपया ज़रूर ही लेना होगा, फिर अिसके मुताबिक अुसका खर्च हुआ हो, चाहे न हुआ हो। अगर किसी

सदस्यको जिसमेंसे निजी लाभ न लेना हो, तो वह जिस वचतका कहीं दूसरी जगह भले दान कर दे, मगर सरकारी तिजोरीमें तो अतना वाअुचर अवश्य ही कटेगा । जिसका मतलब यह हुआ कि भाड़े-भत्तेके नामपर जिस व्यक्तिको निजी आमदनी करनेका मौका दिया जाता है । जिस तरह एक काम करनेके लिये सौ रुपयोंका ठेका दिया गया हो, तो उस ठेकेदारको जिस बातकी छूट होती है कि वह अपनी होशियारीसे वचत करके जितनी कमायी करना चाहे उतनी कर सकता है, उसी तरह ओहदेदार मानो देशकी सेवा करनेवाले ठेकेदार हों और अन्हे अपनी तनखाह, भत्ते और किरायेमेंसे अपनी होशियारी और काटकसरसे वचत करके कमायी करनेकी छूट हो !

जिस प्रथाका परिणाम सुराज्य नहीं हो सकता, फिर भले जिसमें दसपाँच अत्यंत त्यागी और निःस्पृह व्यक्ति अकस्मात् आ गये हों । मगर दूसरे ओहदेदार जैसे व्यक्तियोंको आदर्श या आदरणीय माननेके बजाय अल्टे अनुकी हँसी और निरादर करते हैं ।

हमारी जाति-भाषा-संप्रदाय पर रची हुयी समाज-व्यवस्थाका एक बड़ा अनिष्ट फल सार्वजनिक नौकरियों और ओहदोंमें 'वर्ग-प्रतिशत-विवाद' (rule of communal proportion) है । हरएक वर्गको हरएक महत्वकी नौकरी और ओहदेमें अमुक प्रतिशत भाग (परसेण्टेज) मिलना चाहिये, यह आग्रह सुराज्य कायम करनेमें बाधक है । मगर एक लम्बे अरसेसे हमारे समाजका गठन ही ऐसा हो गया है कि अगर जिस मॉगपर विलकुल विचार ही न करें, तो वर्गके कभी भागोंको कभी बड़ी जवाबदारी उठानेका मौका ही न मिल सके और कभी जगहें अमुक वर्गके अजारे जैसी ही बन जायँ । यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जबसे ये परिणाम निकलने प्रारम्भ हुअे हैं, तभीसे ये मॉग भी पैदा होने लगी हैं ।

जिस सम्बन्धमें थोड़े समयके लिये भले ही कोअी 'समाधान' स्वीकार कर लिया गया हो, मगर यह वस्तु अनिष्ट है । सारे ओहदों तथा नौकरियोंके लिये व्यक्तियोंका चुनाव करनेमें दो ही बातें ध्यानमें रखनी चाहियें — एक तो यह कि उस व्यक्तिका चरित्र कैसा है और दूसरे उसको श्रुस कामकी कितनी जानकारी है । जो वर्ग चरित्र और शिक्षण

वयैरामे पीछे रह गया हो, उसे अन्हें, हासिल करनेकी खास सुविधायें देना और दूसरोंकी बराबरीमें लाना अेक बात है; मगर जिस कामके लिये वे अयोग्य हों, उसमे भी अन्हें कृत्रिम फी-सदीके नियम (परसेप्टेज) के आधार पर लेना ही पड़े, तो अिसे कुराज्यका ही अचूक साधन कहा जा सकता है ।

यह नहीं भूलना चाहिये कि अूँचे ओहदे तथा नौकरीके साथ ज़्यादा धन और सुख-सुविधाओंका मिलना भी 'परसेप्टेज-विवाद'का अेक कारण है । भगीकी नौकरीमें भगियोंका ही अिजारा है, मगर अिसके लिये किसी दूसरे वर्गके लोग यह माँग नहीं करते कि 'हमे हमारी तादादके मुताबिक परसेप्टेज मिलना चाहिये' ! भगियोंके 'अिन्स्पेक्टरकी जगहके लिये ज़रूर ढोड़ लत्रा सफ़ती है' ! भगीकी नौकरीका अिजारा अिसलिये सुरक्षित है कि अिसके साथ न तो अधिकार जुड़ा हुआ है, न प्रतिष्ठा जुड़ी है और न आकर्षक आर्थिक लाभ या जीवनकी सुख-सुविधायें ही जुड़ी हे । या अगर कहे कि ये सब है, तो सबेरेसे अैसी आज्ञायें (!) देना कि 'दादा, पानी डालना', 'दादा, दूर रहना' अुनका अधिकार है, ग्रहणके दिन 'सोनादान, रूपादान, वल्लदान' वगैरा बेशकीमती चीज़ें माँगकर फटे-टूटे-मैले-अुतरे हुअे चीथड़े अिकट्टे करना प्रतिष्ठा है, कोअी भी करनेकी अिच्छा तक न करे अैसी सेवा ब्रजाकर महीनेमे फी सडास चार आनेसे लत्राकर रुपये-दो रुपये तक पाना अुनका आर्थिक लाभ है और फी आदमी आठ आने या अेक रुपया किराया 'देकर अेक छोटीसी कोठरीमे दस बारह आदमी अिकट्टे रहना सुख-सुविधा है ।

अैसे कअी दूसरे भी — हलकारे, हमाल वयैरामीकी नौकरियोंके स्थान असुक वर्गके अिजारे जैसे होंगे, मगर अुनके लिये दूसरे वर्गवाले 'परसेप्टेज' की आवाज़ नहीं अुठाते ।

अुपरके अिजारे हिन्दू समाज-न्यवस्था द्वारा स्वयं निर्माण किये हुअे अत्यजों — भगियों — के लिये सुरक्षित (?) हैं । अेक मतके अनुसार अत्यज प्रतिलोम वर्णसकरतासे (अूँची जातिकी स्त्रीका नीची जातिके पुरुषसे विवाह होनेसे) अुत्पन्न हुअी प्रजा हैं । अग्रजोंने भी यहाँ आकर वर्णसकर प्रजा निर्माण की और हिन्दुओं जैसे ही अूँचेपनके अभिमानसे अुन्हें अपनेमेंसे

निकले हुअे अत्यज माना । यह अँग्लोअिण्डियन प्रजा कहलायी । हिन्दुओंकी ही तरह अुन्होंने अिनके लिअे कुछ नौकरियाँ सुरक्षित कर दीं । अग्रजोंमें अिनका स्थान अद्धतों जैसा ही है । मगर वे चाहे जैसे अत्यज नों, फिर भी आखिर राज करनेवाली प्रजाके अन्त्यज ठहरे, अिसलिअे मुनरी खास नौकरियाँ अैसी तो हैं ही कि जिनके लिअे कुलाभिमानी गोंके मुँहमें भी पानी छूटे ! अिससे भंगीका अिजारा जिस् तरह सुरक्षित हा अुस तरह अुनका नहीं रह पाया और अब तो वह खतम ही हो गया । अगर भंगीकी नौकरी करनेवालेको सौ रुपयोंसे चारसौ रुपयों तककी तनखाह, फी कुटुम्ब तीनसे छः कमरोंका ब्लॉक, खास वरदी (युनिफॉर्म) और प्रजासे सफाअीके नियमोंका पालन करानेके लिअे कुछ अधिकार दिये जायँ, तो अिस धन्धेके बारेमें भी 'परसेप्टेज'का सवाल अुठ खड़ा हो !

अेक दूसरी ब्यावहारिक दृष्टिसे भी यह प्रश्न विचारने लायक है । प्रजाके अर्थ-अनर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले जुदे जुदे विषयोंपर ज्यों ज्यों ध्यान जाता है, और अुनका खास अम्यास और काम करनेवाले मनुष्य पैदा होते जाते हैं, तैसे तैसे अेक अेक विषय अेक अेक अलग खाता बनता जाता है, और गॉवसे लगाकर अखिल भारतीय सरकारी तत्र खड़ा करना पड़ता है । अैसे हरअेकके लिअे अखिल भारतीय, प्रान्तीय वगैरा जुदे जुदे खास अधिकारी नियुक्त करनेकी जरूरत पड़ती है । आज अधिकार और तनखाहका जैसा मेल है, अुसके परिणाम स्वरूप अेक अेक खाता खड़ा करनेमें खर्चका आँकड़ा अितना बढ जाता है कि सिस्से पगड़ी भारी हो जाती है, और ज़्यादातर सिर्फ पत्र-व्यवहार, फाइलों, कमेटीकी बैठकों, ठहरावों और वाअुचरोंके कागज ही बढते हैं । अिनके सिवा प्रत्यक्ष प्रगतिमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आती । फिर भी, यह सब किये बिना नहीं चलता । अिसकी अुपयोगिता और जरूरत रहती ही है । और जैसे जैसे प्रजाकीय प्रगृतियाँ बढती जायँगी, वैसे वैसे अैसे सैकड़ों खाते बनते जायँगे । अिस कामको अगर बड़े अधिकारके साथ बड़ी तनखाह, बड़ा बगला वगैरा द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो, तो हम समाजवादकी चाहे जितनी बातें करें, यह विषमता, भूख, गरीबी, बेकारी और अुनके परिणाम स्वरूप होनेवाले नये नये रोग, और रिश्वत, कालाबाजार, लूटमार,

चोरी तथा किसी न किसी बहाने छुरेबाज़ी, दगो, आपसी युद्ध (सिविल वार) वगैरा हुआ बिना नहीं रहेंगे; और न्युक्तियोंमें कुशलताकी नहीं, बल्कि पक्ष, सिफारिश, जातपाँत वगैराकी ही मुख्यता रहेगी। यह ऐसी ही बात है, जैसे अनाजकी तगी कम करनेके लिये कोअी दूध-घी, पेड़े-बरफी, अनार-मोसम्बी खाकर अकालका सामना करनेके लिये कहे। और यह इस बातका सबूत है कि आज सचमुच ही ऐसी सलाह दी जाती है।

कलाअिवके ज़मानेसे ही सार्वजनिक नौकरियोंमेंसे रिश्वत वगैराकी बुराअियाँ दूर करनेके अुपायोंपर विचार किया जाता रहा है। फिर भी ये बुराअियाँ कम नहीं हुआँ, अुल्टे प्रगति ही करती रहीं। इसका कारण यह है कि 'अिसके अुपाय अिस मान्यतापर रचे गये हैं कि आगमें भरपूर घी डालनेसे अुसकी भूख बुझ जायेगी या अिन्द्रियोंको भरपूर विषय-सेवन मिलनेपर वे शान्त हो जायेगी। या फिर लोगोंका यह खयाल है कि ज़िन्दगी भर चूहे मारनेके बाद ढलती अुम्रमें तीर्थ करनेके लिये निकलनेवाली या बच्चोंको निरामिष भोजनका अुपदेश देनेवाली बिल्लीकी तरह अुपदेश दे देनेसे ही यह काम हो जायगा। अेक बनिये व्यापारीके यहाँ बनिया ही मुनीम है, व्यापारी सटोरिया है और सट्टेके सौदे अिस मुनीमकी मारफ्त ही होते हैं। मुनीम हर दिन देखता है कि बाज़ारमेंसे जो भाव सुन-सुनकर वह सेठके पास पहुँचाता है, अुसपरसे खरीद-बिक्री करके सेठ लखपती बनता है। मुनीम खुद भी सेठका ही जातिभाअी है। अुसकी रगोंमें भी वही खून बहता है। अुसके मनमें क्यों न हो कि थोड़ा सट्टा करके मैं भी तेज़ीसे रुपया बनाऊँ? मगर नसीब अुसका साथ नहीं देता, और वह नुकसानमें पड़ जाता है। सेठके पैसे अुठा लेता है, और वह मुनीमके असन्तोष और अप्रामाणिकतापर तिरस्कार भरा प्रवचन करता है। अब सोचिये कि मुनीमके दिलपर अिस बातका कितना असर पड़ेगा? यही हाल रिश्वतकी बुराअी दूर करनेकी कोशिश करनेवालोंका है। वे तीन तरहके अुपाय काममें लाते हैं। अेक तो सज़ा के कानूनोंको और भी सख्त कर देनेका; दूसरा, रेड-टैप तथा जासूसीका



जाल बिछाकर निगरानी रखनेका, और तीसरा, तनखाह, भत्ता वगैरा बढ़ाकर अन्हे सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करनेका ।

मगर कायदे जितने ही सख्त होते हैं, अन्हे निष्फल करनेके अतने ही रास्ते भी निकल आते हैं, उसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा रिश्वत वगैराके कानूनोंपर अमल करवाना वैसा ही है, जैसे डबलिया कैदी द्वारा किये गये जेलके किसी कसूरका न्याय डबलिया कैदियोंकी पचायतसे ही कराया जाय ।

दूसरा अुपाय अितना खर्चीला, अितना ढीला, शिथिलता बढ़ानेवाला और प्रजाके लिये अितना असुविधाजनक है कि प्रजा खुद ही रिश्वतको अुत्तेजन देने लगती है । अगर चार आनेकी रिश्वत देनेसे अेक काम पाँच मिनटमें हो सकता है और ये चार आने बचानेसे पाँच महीने तक रोजाना चक्कर खानेसे भी कोअी सुनवाअी नहीं होती, और रेड-टेपिंग बढ़ता ही जाता है, डाकखर्च भी बढ़ता है, तो साधारण प्रजा अगर रिश्वतका रास्ता न ले तो क्या करे ? चार आनेकी रिश्वत अगर पाँच मिनटमें काम करा सकती है, तो अिसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादा रेड-टेपिंग अनावश्यक ही होता है, मगर कानून अुसे बढ़ानेकी सुविधायें देता है, और अधिकारी जानबूझकर अपनी सत्ताका अुपयोग नहीं करते ।

तीसरा अुपाय तो घी डालकर आग बुझानेकी कोशिश करने जैसा है । अुसमें भी फिर खूबी यह होती है कि यह अुपाय सबसे छोटे और सपसे बड़े नौकरके बीचका अन्तर आर्थिक रूपमें बढ़ाता ही रहता है । मान लीजिये कि अधिकारियोंकी तनखाह वगैरामे अुचित बढ़ती करनेसे अुनका खलत रास्तेसे कमानेका लोभ कम होगा और अिस मान्यताके साथ अुनकी तनखाहें नीचे दिये अनुसार बढ़ा दी जाती हैं ।

ग्रेड	मूल तनखाह	बढ़ती प्रतिशत	नयी आखिरी तनखाह	पुराना फ़र्क	नया फ़र्क
१	५० तक	२०	६०	—	—
२	५१-२००	१५	२३०	१५०	१७०
३	२०१-१०००	१०	११००	८००	८७०
४	१००१-३०००	५	३१५०	२०००	१९५०
५	३००१-६०००	२	६१२०	३०००	२९७०

अिसमे अूपरसे तो जान पड़ता है कि ज्यों ज्यों ग्रेड बढ़ता जाता है, त्यों त्यों बढ़तीका प्रतिशत तेजीसे घटता जाता है ; मगर हरअेक ग्रेडके आखिरी आदमीकी और उसके बादके ग्रेडके आखिरी आदमीकी आमदनीके बीचके पुराने और नये फर्ककी जांच करे, तो पता चलता है कि बिलकुल अन्तिम दो ग्रेडोंमें ही दो ग्रेडके आदमियोंकी आमदनीका फर्क थोड़ा कम हुआ है । यह तो अेक काल्पनिक अुदाहरण है । दरअसल तो ज्यों ज्यों ग्रेड बढ़ता जाता है, त्यों त्यों अेक या दूसरे अलाअुन्सके रूपमे आमदनीका सच्चा आंकड़ा हरअेक सुधारके साथ बढ़ता ही जाता है । अूचे ग्रेडके अधिकारियोंको बहुत बार दो-तीन खतोंके अधिकार सौंप दिये जाते हैं । अुस वक्त अुन्हें अुनके ग्रेडकी तनखाहके अलावा खातेवार खास अलाअुन्स भी मिलते हैं । अुदाहरणके लिये सिविल सर्जन अगर जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट भी हो, डॉक्टरके अिन्सपेक्टर जनरलको जेलोंका बड़ा अधिकारी भी बना दिया जाय, तो अुसे अपनी तनखाहके अलावा दूसरे पदोंके खास अलाअुन्स भी मिलते हैं । अगर अैसी मान्यता न हो कि सारे काम अर्थविनिमयसे ही कराने चाहियें, तो अिस बातको समझना ही कठिन जान पड़े । अिक्रारके कायदेका यह सिद्धान्त है कि बदले (consideration) के बिना अिक्रार रद्द माना जाता है, अिसी तरह भत्तेके बिना अधिकार रद्द है । अिसलिये चीफ सेक्रेटरी अगर चार दिनोंके लिये गवर्नरका ओहदा सँभाले, तो अुन चार दिनोंके लिये अुसे खास भत्ता देना चाहिये । जैसे अिन चार दिनोंमे वह पैसेसे ज़्यादा धिस जानेवाला हो ! अधिकार और तनखाह-भत्तेके सम्बन्धकी कल्पना 'जीव और श्वासकी सगाअी' की तरह की गअी है । अिस कल्पनामेसे छूटना जरूरी है, और यह सिर्फ नियम बदलनेका सवाल नहीं है, बल्कि पुरानी परम्पराये बदलने और चरित्र-शुद्धिका सवाल है ।

# जड़मूलसे क्रान्ति

भाग चौथा

तालीम



## सिद्धान्तोंका निश्चय

साफ है कि क्रान्तिका विषय अन्तमें जाकर तालीमसे जुड़ा हुआ है। प्रजाके धार्मिक विचार, सामाजिक आचार-विचार, भाषा-साहित्य-कला-अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाला पुरुषार्थ, राजकीय सस्यार्थें वगैरा चाहे जिसे लें, हरएकके अुद्देश्योंके अनुसार प्रजाकी व्यवस्थित तालीमकी योजना की जानी चाहिये। तालीममें चाहे केवल लेखन वाचन और गणितका ही समावेश किया जाय, फिर भी उसमें भाषा और लिपिका निश्चय पहले होना चाहिये। भाषा यानी सीखनेवालेकी घरेलू भाषा (मातृभाषा या स्वभाषा) को ही लें और उसीका आग्रह रखें, तो उसमेंसे भी अनेक कठनाभियाँ खड़ी होती हैं। हर प्रान्तमें बोलचाल — व्यवहारकी अनेक भाषाओं (बोलियों) और साहित्यिक — शिक्षणकी भाषाका फर्क करना ही पड़ता है। दूरके अेकांध छोटेसे शहरमें भी दो चार गुजराती, दो चार मारवाड़ी, दो चार विविध प्रादेशिक बोलियाँ बोलनेवाले हिन्दी, दो चार दक्षिण भारतकी कोअी भाषा बोलनेवाले, और दो चार मराठीभाषी परिवारोंका मिल जाना असम्भव नहीं है। और यह भी सम्भव है कि शहरकी सामान्य जनताकी बोली कोअी साहित्यिक भाषा न हो (जैसे कि, मालवा या निमाड़ — खडवा, बुरहानपुर वगैरा, या गया, भागलपुर वगैरामें देखा जाता है।)। मारवाड़ी, कोंकणी वगैरा कुछ भाषायें आज अैसी मध्यम स्थितिमें हैं कि अुन्हें साहित्यिक भाषाओंमें स्थान देने न देनेके सम्बन्धमें ज़बरदस्त खींचतान मची हुअी है।

फिर विविध भाषाओंका सम्बन्ध जुदी जुदी लिपियोंके साथ जुड़ा हुआ है। भले ही लिखना-पढ़ना जाननेवाले सौ पीछे आठ दस ही हों, और कहीं कहीं तो अितने भी नहीं होंगे, फिर भी जो थोड़ेसे लोग लिख-पढ़ सकते है अुन्हें जिस लिपिका मुहावरा और ममत्व है, तथा

जिसका साहित्य अउके पास सग्रहीत है, वही लिपि अउस भाषाके साथ जोड़ दी जाती है ।

अिस तरह हम सिर्फ अक्षर-ज्ञान और अक-ज्ञानको ही तालीम समझ लें, फिर भी अुद्देश्यके निश्चयके बिना अुसकी योजना नहीं की जा सकती । किस भाषा और किस लिपिको चलाना है, अिसका निर्णय किये बगैर यह नहीं हो सकता । फिर अगर 'जीवनके विविध पहलुओंपर विचार करें, तो जीवनका अेक भी विषय अैसा नहीं है, जो तालीमके क्षेत्रमे न आता हो । अिस तरह तालीमका सवाल जीवन जैसा ही विशाल बन जाता है । अिसमे यह तो होगा ही कि अनेक विषयोंपर सयके अेकसे मत न हों, कअीके सम्बन्धमे यह निश्चयके साथ कहते न बनता हो कि अेक यही सच है और बाकी सब गलत ही है, कअी बार दो परस्पर-विरोधी विचारोंमे भी हरअेकमे सचाअीका अंश हो, और किसकी कितनी मर्यादा समझी जाय यही महत्त्वका सवाल हो, कअी विषयोंका महत्त्व स्थानीय और अमुक समयके लिअे ही हो, फिर भी अुतने स्थान और समयमें अुनकी अवगणना न की जा सकती हो, और कअी बातें लोगोंके राग-द्वेषके साथ अितनी घुल-मिल गअी हों कि अुनके सम्बन्धमे बुद्धिका प्रवाह अँधे घड़ेपर पानीकी तरह बह जाता हो । अिससे नेताओंमें भी मतभेद रहेंगे और अिसलिअे शायद ही अैसा होगा कि सबको सन्तोष देनेवाली तालीमकी योजना या पद्धति कभी गढ़ी जा सके । फिर भी चाहे जितने राग-द्वेष या ममत्वके बावजूद जिस तरह  $५ \times ३ = १५$  को स्वीकार करना ही पड़ता है, अिसमें १४ या १६ के लिअे गुजाअिश्च नहीं रहती, अुसी तरह अगर हम विवेकबुद्धिका निरादर न करें, तो कुछ महासिद्धान्त सर्वमान्य होने लायक लगने चाहिये ।

ये सिद्धान्त नीचे दिये अनुसार हैं :

१. मनुष्यसे मनुष्यको अलग करनेवाले कारण चाहे कुदरती हों, या मनुष्यके बनाये हुअे हों, टाले जा सकने लायक हों या न टाले जा सकते हों, तालीमका सिद्धान्त कहिये या अुत्तम जीवनका सिद्धान्त कहिये, यह होना चाहिये कि ये कारण तथा भेद अ्यादा जड़ और पक्के करनेके बजाय कम और कमजोर किये जाने चाहिये । जीवनकी अनेक

वातोंके लिये मनुष्यमें 'अस्मिता', 'अभिमान', 'ममत्व' वगैरा तो रहेंगे ही, मगर शिक्षणशास्त्रीका प्रयत्न अिन्हें सकुचित क्षेत्रमें रोक रखने और मजबूत करनेके बजाय अिनका क्षेत्र भरसक विशाल बनाने और अुसकी पकड़को ढीली करनेवाला होना चाहिये ।

२. भूतकालको जैसेका तैसा या कुछ बदले हुअे रूपमे फिरसे लाना-जीवनका ध्येय नहीं होना चाहिये । अुसी तरह तालीमका यह प्रयत्न भी नहीं होना चाहिये कि द्वेषत्रुद्धिसे भूतकालके किसी भागकी याददास्त या निशानीको मटियामेट कर दे । अुसे तो भविष्यके नये अुज्ज्वल चित्र निर्माण करके, ध्येयके रूपमे अुन्हें प्रजाके सामने रखनेकी कोशिश करनी चाहिये । यह मान्यता अनेक भ्रमभरी मान्यताओं जैसी ही है कि किसी समय मानव जातिका बहुत बड़ा भाग सुख-गान्ति और अुच्च नैतिक युगमें रहता था, या किसी प्रजाके बहुत बड़े भागने लम्बे अरसे तक कभी रामराज्य या धर्मराज्यका सचमुच अनुभव किया था । यह तो नहीं कहा जा सकता कि भविष्यमें सचमुच ही किसी विशाल क्षेत्रमें रामराज्य या धर्मराज्य कायम किया जा सकेगा या नहीं, मगर यह सच है कि मानव जीवनका अुत्कर्ष अिस दिशामें प्रयत्न करनेमें ही है । यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अिस रामराज्य या धर्मराज्यका चित्र रामायण या महाभारत वगैरामेंसे नहीं लिया जा सकता । अिसका आदर्ग तो हमें अपनी ही सत्य, शिव, सुन्दरकी श्रेष्ठ कल्पनाओंमेंसे गढना है । अिस विषयमें अगले परिच्छेदमें थोड़ी ज़्यादा चर्चा की गयी है ।

३ अनेक जगहोंपर मैं कह चुका हूँ कि मनुष्य सिर्फ प्राकृत ( प्रकृति — कुदरतकी गोदमें रहनेवाला ) प्राणी नहीं है । वह प्राकृत, सस्कृत तथा विकृत यों तीन तरहका प्राणी है और रहेगा । अुसका हरअेक पुरुषार्थ प्रकृतिको बदल्ला है, और हरअेकसे कुछ सस्कृति और कुछ विकृति दोनोंका निर्माण होता है । चारों पुरुषार्थोंमेंसे अेक भी पुरुषार्थ, या अेक भी पुरुषार्थमेंसे कृत्रिमरूपमें ( यानी ज़बरदस्ती ) लायी हुयी निवृत्ति या अुसका सकोच या विकास — सस्कृति और अिष्ट परिणाम ही अुपजावे, अथवा विकृति और अनिष्ट परिणाम ही लावे, या प्रकृतिसे अिसे विलकुल अलग कर दे, अैसा नहीं हो सकता । कभी पुरुषार्थोंका अनिष्ट

परिणाम अगर आज नहीं दीखता, तो बादमे मालूम पड़ता है; यही बात अिष्ट परिणामोंके सम्बन्धमे भी कही जा सकती है। इसलिये पुरुषार्थ चाहे अध्यात्मज्ञानके किसी क्षेत्रका हो, धर्म (यानी प्राकृतिक विज्ञान और मानव व्यवहारोंकी व्यवस्था) से सम्बन्ध रखता हो, अर्थ सम्बन्धी हो, या काम (सुख) सम्बन्धी हो, हरएक अगर किसी एक ही दिशामें और एक ही ढंगसे बढ़े, तो उसमेंसे कुछ विकृतियाँ निर्माण हुअे विना नहीं रहतीं। अनिष्ट परिणाम उत्पन्न होनेसे अगर किसी दिशाके पुरुषार्थको बिल्कुल छोड़ दिया जाय या उसे ३० दिशामे मोड़ दिया जाय, तब भी कुछ विकृतियाँ तो निर्माण होती हैं। ऐसी कोअी दिशा नहीं है जिसे पकड़कर कोअी एक ही रास्तेसे आगे बढ़ता चला जाय और उसे केवल सस्कृति, सुख और अुन्नति ही मिलते रहें। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक दिशाके पुरुषार्थको बिल्कुल छोड़ दिया जा सकता है। जितने वक्त तक एक मोटर-ड्राइव्हर गतिनियामक दाब और दिशा बदलनेवाले चक्रको छोड़कर बेफिक्रीसे मोटर दौड़ाते हुअे सलामत रह सकता है, उतने ही वक्त तक मानव-पुरुषार्थ भी एक ही दिशामें बढ़ता रहकर सलामत रह सकता है। शिक्षण-शास्त्रीका कर्तव्य मानव-पुरुषार्थकी दिशा और गतिको बार बार जाँचते रहकर, उसे रास्तेपर बनाये रखना और अनिष्टोंसे बचाना है। पिछले 'चरित्रके स्थिर और अस्थिर अग' के प्रकरणमे (२-५) मानवके पूर्ण विकासके सम्बन्धमें जो अलत्रा अलग लक्ष्य बतलाये गये हैं, वे सब मिलकर मानव-पुरुषार्थकी मोटरके दाब, चक्र और चाबियाँ हैं। तालीमके द्वारा ये लक्ष्य योग्य परिमाणमें सिद्ध होने चाहियें, और किस हद तक वे सिद्ध होते हैं, इसकी जाँच करते हुअे उसके विविध गति बढ़ानेवाले और रोकनेवाले दावों वयैराका उपयोग करते रहना चाहिये। ऐसा किये बिना एक भी पुरुषार्थ सुरक्षित नहीं रह सकता।

४. तालीममे भाषा और लिपिका प्रश्न महत्त्वका है। इसके विषयमे ज्यादा चर्चा अन्य परिच्छेदोंमे की गयी है। यहाँ इस सम्बन्धमें मैं सिर्फ अितना ही कहना चाहता हू कि भाषा और लिपि—शिक्षण या ज्ञान नहीं, बल्कि अुनके वाहन है। तालीम अथवा ज्ञानकी वृद्धिके लिये



सीखनेवालोंकी (न कि सिखानेवालोंकी) भाषा और जिस लिपिमें उस भाषाका साहित्य उपलब्ध हो, वह लिपि अच्छेसे अच्छा वाहन बन सकती है। सच पूछा जाय, तो मनुष्यकी कोअी कुदरती स्वभाषा—मातृभाषा या पितृभाषा— है ही नहीं। बचपनमें वह जितनी भाषाओंके बीच पलता है, वे सारी भाषायें उसकी स्वभाषा जैसी हो सकती हैं और उनमेंसे किसीके भी द्वारा उसकी तालीम आसानीसे चल सकती है। सम्भव है, अिनमेंसे अेक भी भाषा उसके माता पिताकी भाषा न हो। हमारे विशाल देशमें सच्ची स्थिति तो यह है कि अनेक बच्चे जिस साहित्यिक भाषा द्वारा तालीम लेना प्रारम्भ करते हैं, वह उनके घरोंमें बोली जानेवाली भाषासे भिन्न ही होती है। विहारका आदमी जो हिन्दी सीखता है, उसे वह घरमें कभी नहीं बोल्ता। यही हाल मालवेका है। साहित्यिक मराठी नागपुर या बरारकी जनताकी मराठी नहीं है। यही हाल गुजरातीका है। उसकी अेक निश्चानी यह है कि शहरके अच्छे विद्वान् यदि साहित्यिक भाषामें गाँवके लोगोंसे बातें करते हैं, और स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो वे अेक दूसरेकी बात पूरी तरहसे समझ नहीं सकते। उनके व्याकरण, रूढ़िप्रयोग, उच्चार और शब्दभंडार भी जुदे पड़ जाते हैं। कुछ मिलता-जुलतापन होनेसे सिर्फ अितना होता है कि सार समझमें आ जाता है। असलिये बिलकुल अपनी भाषा द्वारा तालीम दी जानेपर भी स्वभाषाकी तालीम नहीं दी जाती, और बहुत बार्स तो स्वभाषा द्वारा तालीम देना ही असम्भव होता है।

अिसका यह मतलब नहीं कि स्वभाषा द्वारा दी जानेवाली तालीमका कोअी महत्व ही नहीं है, या उसकी माँग गलत है। बल्कि असका मतलब यह है कि (१) हमे अक्षरज्ञान अथवा पुस्तकों द्वारा ज्ञानप्राप्ति और मौखिक तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्तिके बीचके भेदको समझना चाहिये। (अिस विषयको नीचे ज़्यादा साफ किया गया है)। (२) पुस्तकज्ञानके क्षेत्रमें भाषाओंकी तादाद बढ़ानेका प्रयत्न करना ठीक नहीं है। (३) (अगर परदेशमें जाकर पढ़नेका सवाल न हो, तो) स्वभाषा द्वारा शिक्षण लेनेके बजाय बचपनसे लूँकर आखिरतक अेक ही भाषा द्वारा शिक्षण लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षणके वाहनको बारबार बदलना

अिष्ट नहीं है । प्राथमिक शिक्षण अेक भाषामें, माध्यमिक दूसरीमें और अुच्च शिक्षण किसी तीसरी ही भाषामें लेना अुचित नहीं है । अिसके वजाय यह ङ्यादा अच्छा है कि अपनी भाषा न हो, तब भी जिस भाषामे शिक्षण पूरा होना है, अुस भाषासे ही अुसकी शुरुआत की जाय । (४) अगर शिक्षणको सार्वत्रिक करनेका वेग बढे और पूरे प्रान्तको भी किसी प्रचलित बोली या भाषाको भूलनेका प्रसंग आवे तथा शिक्षणके वाहनके रूपमे निश्चित की हुअी भाषा ही बोलनी पड़े, और अगर वह प्रजा राजी खुशीसे अिसे स्वीकार करनेके लिये तैयार हो जाय, तो अिसमें कोअी दोष नहीं है । (५) कमसे कम अेक प्रान्तमें अेक ही भाषा द्वारा शिक्षण दिया जाना अिष्ट है ।

लिपि तो सिर्फ सुविधाकी ही चीज़ है । वह अगर पूर्ण हो यानी अिस तरह लिखी जा सके कि अुच्चारणोंमें गड़बड़ी न हो, तो जो लिपि आसान और सुविधापूर्ण हो, वही अच्छी मानी जानी चाहिये । अिस बातसे डरनेकी ज़रूरत नहीं कि कोअी लिपि दुनियासे लुप्त हो जायगी । दुनियामेसे अनेक भाषाये और लिपियाँ लुप्त हो गयी हैं, बहुतसे ग्रथ लुप्त हो गये है या अैसे हो गये हैं कि अुन्हें पढ़ा ही नहीं जा सकता । पढ़ लेनेपर भी समझमें नहीं आनेवाला बहुतसा प्राचीन साहित्य है, कअी मानव जातियोंका सिर्फ नाम ही बचा है — या नाम भी नहीं बचा । तो फिर भाषा, लिपि व साहित्यके बारेमे क्या कहा जाय ? बहुत कम आदमी अैसे होंगे जो अपने बापके दादासे पहलेके पूर्वजोंका नाम ठाम जानते हैं । वे कैसे थे, कहाँसे आये थे, कैसी भाषा बोलते थे, क्या पहनते थे, वगैरा किसी भी बातका अुन्हें पता नहीं है । मध्यकालमे हम गुजराती, महाराष्ट्री, बगाली, विहारी वगैरा बने । मगर हमारे पास सस्कृत साहित्य रह गया है, और अुसमे अिस देशके प्राचीन निवासियोंकी बातें है । अब हमे अपने सच्चे पूर्वजोंसे भी ङ्यादा ये पौराणिक तथा अैतिहासिक पुरुष तथा जिस भाषामे वे बातें सुरक्षित है वे ही ङ्यादा सच्चे लगते हैं । हरअेक हिन्दूको लगता है कि वह राम, कृष्ण, पांडव, राणा प्रताप, शिवाजी वगैराका वंशज है; मुसलमानको लगता है कि वह अरबस्तान और अीरानकी सस्कृतिका

प्रतिनिधि है। गुजरातीको ल्घाता है कि वनराज चावड़ा और सिद्धराज सोल्कीसे उसका सम्बन्ध है। तिसपर हम जातपातके भेद भूलनेकी, खूनमें सकरता आवे, तो उसकी अपेक्षा करनेकी बातें करते हैं, मगर जिस बातकी चिन्ता करते हैं कि कहीं हमारी भाषामें अरबी या फारसी या अंग्रेजीका मिश्रण न हो जाय। जिसके लिये भीतर ही भीतर झगड़नेके लिये भी हम तैयार हैं और पुरानी बातोंको नवजीवन देना चाहते हैं।

कुदरती कारणोंसे या मनुष्य द्वारा मनुष्यपर किये गये अत्याचारोंकी वजहसे भाषा, लिपि, वर्णोंका लोप या सकर कभी बार हुआ है। अगर जिसके वजाय मनुष्य अकेला और ज्ञानवृद्धिके लिये अिरादतन अैसा होने दे, तो जिसमें ज्यादा बुद्धिमानीकी बात होगी। धर्मकी तरह शिक्षा भी मनुष्यको मनुष्यसे अलग करनेवाली नहीं, बल्कि अेक करनेवाली होनी चाहिये, वह मनुष्योंको अपने बीचके पूर्वजोंकी याद दिलानेवाली और उनके प्रति प्रेम पैदा करनेवाली नहीं, बल्कि सबके अेकमात्र पूर्वज अथवा आदिकारण — परमेश्वरका ही स्मरण करानेवाली और उसके लिये प्यार पैदा करनेवाली होनी चाहिये।

## २

### भाषाके प्रश्न - सुत्तरार्थ

संस्कृतिकी दृष्टिसे पहले खण्डमें जिस विषयपर कुछ विचार किया गया है। यहाँ मैं उसपर शिक्षणकी दृष्टिसे ज्यादा विचार करूँगा। अपूर पुस्तकों द्वारा ज्ञानप्राप्ति और वाणी तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्तिके बीचके भेदका अुल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि शिक्षाका अच्छेसे अच्छा और सफल वाहन शिक्षण देनेवालेकी नहीं, बल्कि शिक्षण लेनेवालेकी अपनी भाषा है। वह असंस्कृत, अशुद्ध व अनेक भाषाके शब्दोंकी खिचड़ी हो, फिर भी शिक्षण लेनेवाला उसे ही ज्यादासे ज्यादा समझ सकता है। जिसकी मारफत दिया जानेवाला ज्ञान प्राथमिक हो, चाहे अुच्च हो — भले ही वह खिचड़ी भाषा द्वारा क्यों न हो — मगर वह शिक्षण लेनेवालेकी भाषा द्वारा ही होना चाहिये।

वाणी और कर्मों द्वारा दिये जानेवाले ज्ञानकी तुलनामें पुस्तक द्वारा दिया जानेवाला ज्ञान अेक तरहसे कम कीमतका है । मगर आज ज्ञानका अितना बड़ा भंडार पुस्तकों रूपी पेटियोंमें बन्द है कि बहुत बड़ी हद तक अुसने वाणी और कर्मों द्वारा मिलनेवाले ज्ञानसे भी ज्यादा महत्वका स्थान ले लिया है । भाषा और लिपि अिन पेटियोंको खोलनेवाली चावियों जैसी हैं । जिनको ये चावियाँ मिले, अुनके लिअे ज्ञानका बहुत बड़ा भंडार खुल जाता है । अिसलिअे बड़े पैमानेपर और बड़ी तेजीसे अक्षर-ज्ञान फैलानेकी जरूरत आ पड़ी है ।

जिस तरह रास्तेपर सार्वजनिक अुपयोगके लिअे खड़े किये गये नलकी टोंटी अैसी नहीं होनी चाहिये कि अुसे खोलनेके लिअे खूब ताकत या हिकमत या खास तालीमकी जरूरत पड़े, अुसी तरह पुस्तकोंको खोलनेकी चावियाँ भी अैसी होनी जरूरी हैं कि वे जैसे बने तैसे सबको सुलभ हो सकें और अुनके अुपयोगका तरीका सबको तुरन्त ही आ जाय । अिन चावियोंकि अनेक अटपटे 'पेट्ट' होना अिष्ट नहीं है । जिस तरह साअैकल जैसी सार्वजनिक अुपयोगकी चीजें बनानेवाले कारखाने सैकड़ों हों, फिर भी अुनका ढाँचा और विविध भाग कुछ निश्चित कद और निश्चित मापके ही बनानेकी ओर हमारा झुकाव रहता है, अुसी तरह भाषा और लिपिके सम्बन्धमे भी होना चाहिये ।

भाषा और लिपिमेंसे भाषाकी विविधताको टालना ज्यादा कठिन है, लिपिकी विविधताको टालना कम । सारी दुनियाकी बात तो अेक तरफ रही, हिन्दुस्तान जैसे विशाल देशकी, या अिसके किसी अेक, टी भाषावार प्रान्तकी भाषामे भी विविधताका अुत्पन्न न होना असभव है । पहले बोलनेमे फर्क पड़ता है, वही धीरे धीरे लिखनेमे अुतरता है । लिपिकी विविधताको बिलकुल टाला भले न जा सके, फिर भी अुसे ज्यादा आसानीसे कम किया जा सकता है ।

मगर विविधता रहते हुअे भी अगर हमारे सकुचित दुराग्रह कम हों, तो नीचे बतलाये हुअे व्यावहारिक रास्ते अख्तियार किये जा सकते हैं :

भाषाके सम्बन्धमें—(क) मौखिक व्याख्यानोंमें सुननेवालेकी या शिक्षण लेनेवालेकी भाषाको ज़्यादा महत्त्व दिया जाना चाहिये : यानी जिस भाषाको वह आसानीसे समझ सकता हो, उसी भाषामें बोलना वक्ताका पहला कर्तव्य है। बोलनेवाले शिक्षक या वक्ताको सुननेवालेकी भाषा सीखनी चाहिये, न कि सुननेवालेको वक्ताकी। इसका यह मतलब नहीं कि सुननेवालेकी भाषाकी व्याकरण या उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी उसे रखनी ही चाहियें, मगर अतना ध्यान रहे कि बोलनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा ज़्यादा महत्त्वकी चीज़ है। कुछ हदतक सम्यता भी इसी नियमके पालनमें है। मान लीजिये कि मेरे साथ बात करनेके लिये आनेवाला कोई ऐसा मद्रासी या पारसी है, जो आसानीसे हिन्दी या (पारसी होते हुअे भी) गुजराती नहीं बोल सकता। वहाँ अंग्रेज़ी पराधी भाषा होते हुअे भी उसीमें बातचीत करना सम्यता है। इसी तरह जिस विषयपर मुझे बातचीत करनी हो, उस विषयके खास शब्द, जिस भाषामें बातचीत चल रही हो, उससे भिन्न भाषाके होनेपर भी उन्हें ही काममें लेना चाहिये। अगर हम इस नियमको समझ लें, तो हिन्दी, अर्द्ध, हिन्दुस्तानी वगैराके विवाद कम हो जायें। और भाषाका विकास किसी खास प्राचीन वाणीमेंसे ही करनेका गलत आग्रह दूर हो जाय। तब हम मामूली तौरपर 'सोना' शब्द भी बोलेंगे और खास जगह पर 'स्वर्ण' या 'हिरण्य' जैसा शब्द भी काममें लेंगे, रसायनविद्यामें 'ऑरम' शब्द और 'Au' सजाफा भी उपयोग करेंगे। अल्युमिनियम या निकल्के लिये नये शब्द गढ़नेकी ज़रूरत नहीं समझेंगे। अक ओर अगर मारगेज शब्द काममें लाते हैं, तो मारगेजर, मारगेजी भी लेने ही चाहियें, ऐसा आग्रह नहीं रखेंगे। कन्ट्राक्ट शब्दका उपयोग करते हैं, इसलिये अिक्रार और अिक्रारनामा शब्द छोड़ देने चाहियें और कन्ट्राक्ट और कन्ट्राक्ट-डीड ही कहना चाहिये, ऐसा भी आग्रह नहीं करेंगे। 'सिग्नेचर' के लिये सही या हस्ताक्षर शब्दका अिस्तेमाल करना सुननेवालेकी सहूलियतपर निर्भर रहेगा; और हस्ताक्षरका उपयोग किया इसलिये signed का हस्ताक्षरित या signatory का हस्ताक्षरी करना ज़रूरी नहीं होगा, और 'सही किया हुआ', 'सही करनेवाला' शब्द ऐसे नहीं होंगें, जिन्हें छोड़ ही देना चाहिये।

(ख) पुस्तककी भाषाके सम्बन्धमें अनेक स्थानीय बोलियों और शब्दोंकी अपेक्षा व्यवहारमें आगी हुई व्याकरण-शुद्ध भाषा और ज़्यादासे ज़्यादा प्रचलित शब्द काममें लेने चाहियें । मौखिक व्याख्यानमें भले सुननेवालेकी सहूलियतको ज़्यादा महत्त्व दिया जाय, मगर पुस्तकीय लेखनमें लेखक, पाठक और पुस्तकका विषय तीनोंकी परस्पर सुविधाका खयाल रखना ज़रूरी है । लेखक अगर अपनी ही सहूलियत और सन्तोषकी दृष्टिसे लिखे, तो जिसे गरज़ होगी वही पढ़ेगा । मगर लेखक पाठकके फायदेके लिये और पुस्तकके विषयको अच्छेसे अच्छे ढंगसे पेश करनेके लिये लिखता हो, तो उसे भाषाकी योजनामें बहुत कुछ खुलापन और स्वतन्त्रता भी लेनी होगी । मगर इसके साथ ही तालीमके क्षेत्रमें आनेवाली और उसके लिये ही लिखी गयी पुस्तकोंमें भाषाकी जिस प्रकारकी योजना शिक्षण लेनेवालेके लिये योग्यसे योग्य वाहन हो सकती हो, वैसी ही होनी चाहिये । इसमें ऐसा करनेकी जरूरत नहीं है कि शिक्षण लेनेवालेको इसकी भाषा समझनेमें कुछ भी मेहनत न उठानी पड़े । मगर वह योजना ऐसी भी नहीं होनी चाहिये कि भाषा समझने पर ही बहुतसा ध्यान देना पड़े । इसमें इस बातका भी खयाल रखा जाय कि शिक्षाका विषय कितना सार्वजनिक है । अुदाहरणके लिये खेती, ग्रामोद्योग, व्यापार, स्वच्छता वगैराकी व्यावहारिक तालीमका एक तरफ तो स्थानीय महत्त्व है और दूसरी तरफ वह समूचे देश या पूरी दुनियाके लिये व्यापक है । डॉक्टरी विद्यायें, विज्ञानकी विविध शाखायें, बड़े बड़े उद्योग और उनसे सम्बन्धित विद्यायें वगैरा जगद्ब्यापी विषय हैं । सामान्य राजनीति, अर्थशास्त्र वगैरा राष्ट्रीय महत्त्वके विषय कहे जा सकते हैं । संस्कृत, फारसी, अरबी, द्राविड़ी वगैरा भाषाओंका प्रान्तों तथा पूरे हिन्दुस्तान और अशियाके अधिकांश भागकी भाषाओंके साथका सम्बन्ध मूल तत्त्व और उनमेंसे निकले हुए विविध रसायनों जैसा है; अंग्रेजी तथा अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिभाषा अिन भाषाओंमें अपरसे पढ़े हुए मसालों जैसी मानी जायेगी । हिन्दुस्तानकी प्रान्तीय भाषायें अिन सभी भाषाओंसे पोषित हैं । इसमें यह विषय बहुत महत्त्वका नहीं है कि किस भाषाका कितना 'परसेप्टेज' है । किसी भाषाके चाहे पाँच फी सदी शब्द भी न

हैं, फिर भी जिस तरह क्षार और विटामिनके 'परसेप्टेज' शरीरके स्वास्थ्य और गठनमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं, वैसे ही अिनका भी महत्व हो सकता है। अिसलिअे अिन भाषाओंकी तरफ अिस तरह देखना अनुचित है कि वे कोअी रोग पैदा करनेवाले ज़हर हों, या हमे भ्रष्ट करनेके लिअे आअी हों।

अिन सारी दृष्टियोंसे विचार करनेपर मुझे लगता है कि (१) प्राथमिकसे लगाकर अुच्च शिक्षण तकके मौखिक शिक्षणमें जहाँतक हो सके स्थानीय भाषाका ही अुपयोग होना चाहिये, फिर भले अुससे सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकें अुस भाषामें न हों, और भले विशिष्ट परिस्थितिमें अपवाद रूपसे किसी अध्यापकको हिन्दुस्तानीमें सिखानेकी छूट हो, (२) प्रान्तीय महत्वके विषय और शुरुआतकी पुस्तकें प्रान्तीय भाषामें लिखी जायें, (३) अन्तरप्रान्तीय महत्वके विषयोंका लेखन, हिन्दुस्तानीमें हो और यथासम्भव प्रान्तीय भाषाओंमें भी हो। अंग्रेजी भाषाकी पुस्तकोंका अुपयोग कामचलाअू हो, और जैसे बने तैसे अुसे कम करनेकी तरफ झुकाव हो, (४) अन्तरराष्ट्रीय महत्वके विषयोंके लिअे अंग्रेजी पुस्तकोंका अुपयोग तथा लेखन हो, और (५) अन्तिम मगर महत्वकी बात यह है किं बोलने या लिखनेकी भाषा चाहे जो हो, मगर सभी भाषायें अपने अुन शब्दोंको निकालकर नये बनानेका रख न रखें, जो अुनमें प्रचलित हो गये हैं, फिर भले वे किसी भी भाषासे क्यों न आये हों। पारिभाषिक शब्द अगर पाश्चात्य विद्याओं, धन्धों और सस्थाओंसे सम्बन्ध रखते हों, और अिन विद्याओं वयैरामें प्रचलित हों, तो जहाँ तक बने अुन्हे ही रहने दिया जाय, फिर भले वे सज्ञायें हों, क्रियायें हों, गुण हों, मूल हों, या साधित हों, या व्याकरणके दूसरे कोअी अग हों; और जहाँ अैसे गब्द नये ही बनाये जायें, वहाँ सारे प्रान्तोंमें अनिवार्य रूपसे अेक ही रहें। किसी नये विषयका लेखक या नया शोधक अलवत्ता अुसे योग्य लो, वैसे शब्द बना सकता है, और जहाँ तक हो सके, वे ही शब्द सारे प्रान्तोंमें स्वीकार किये जायें।

हिन्दुस्तानीके नामसे मैं जिस भाषाका सुझाव रखता हूँ, वह किसी बनावटी, वेसिक अंग्रेजीकी तरह अमुक ही शब्द-भंडारवाली या व्याकरणकी

मर्यादासे बंधी हुआ भाषाका नहीं, बल्कि ऊँचेसे ऊँचा, अच्छेसे अच्छा, लेखककी भाषाशक्तिको क्षेत्र देनेवाला साहित्य उत्पन्न कर सकनेवाली भाषाका है। उसका शब्दभंडार, वाक्यरचना, शैली वगैरामे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या दूसरी किसी भी भाषाका अपुयोग किया जा सकता है। उसका व्याकरण तथा रूढ़िप्रयोग साहित्यिक हिन्दी तथा साहित्यिक उर्दू दोनोंके आधारपर रचे जा सकते हैं और किसी दूसरी भाषाका भी अपुयोग कर सकते हैं, मगर इसमें किसी शास्त्रीय विषयकी पुस्तकें लिखनी हों, और शिक्षण सस्थाओंके लिये तथा रोजानाके सामाजिक नियमों या व्यापार या दूसरे क्षेत्रोंके व्यवहारके लिये अपुयोगी विषयोंका निरूपण करना हो, तो उसमें प्रचलित शब्दोंका तथा अन्तरप्रान्तीय व अन्तरराष्ट्रीय परिभाषाका ही अपुयोग करना चाहिये। साहित्यिक निबन्ध, काव्य, कथा वगैरामे लेखकको अपनी रुचिके अनुसार चाहे जैसी भाषा लिखनेकी आज्ञादी होती ही है। जितनी ही वह भाषा समाजको प्रिय होगी, उतनी ही दूसरे क्षेत्रोंमें तथा व्यवहारमें दाखिल होती जायगी, और भाषाको समृद्ध करती जायगी।

भाषाओंके सम्बन्धमें हमारे देशमें एक शोक ज़रूरतसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसपर मैं शिक्षणकी दृष्टिसे कुछ कहना चाहता हूँ। विविध कारणोंसे हमारे देशके ब्राह्मण और व्यापारी वर्गको जुदी जुदी भाषायें सीख लेनेकी हथौटी जैसी सध गयी है। अलबत्ता, दोनों वर्गों की सीखनेकी रीति और उसपर क्राव व विद्वत्ता जुदे प्रकार की है। मगर अकाध ज़्यादा भाषा सीख लेना उनके लिये आसान बात हो गयी है, और ऐसा होनेसे उन्हें इसका शोक भी लग गया है। बारह-तेरह भाषाये जाननेवाले विद्वान हमारे यहाँ मिल सकते हैं। शिक्षणका तत्र ज़्यादातर अर्द्धिके प्रभावमें रहनेसे शिक्षणमें भाषाओंकी तादाद बढ़ानेकी ओर ही उनका झुकाव रहता है। स्वाभाविक होनेसे मातृभाषा, देशवासीकी हैसियत से—हिन्दी, उर्दू दोनों शैलियोंसे युक्त—हिन्दुस्तानी, स्वभाषाकी जननी होनेसे संस्कृत या फारसी, धर्मके कारण संस्कृत-प्राकृत, या अरबी या ज़द भाषा, पड़ोसी धर्मकी रूसे पड़ोसी प्रान्तकी भाषा, अकाध द्राविडी कुलकी भाषा, और अन्तरराष्ट्रीय होनेसे तथा पाश्चात्य विद्याओंका द्वार रूप



होनेसे अंग्रेजी भाषा — जिस तरह सुझावकी सीमा छह-सात भाषायें सीखने तक पहुँच जाती है ।

हिन्दुस्तान जैसे बड़े देशमें जैसे अनेक भाषायें जाननेवाले पाँच-दस हजार भाषा-पंडितोंके होनेमें कोअी बुराअी नहीं है । अपनी हीस या शौकसे भले कोअी आदमी अेकके बाद अेक नयी नयी भाषा सीखता चला जाय । जिस तरह सीखनेकी अिच्छा रखनेवालेको वैसे सुविधा मिलती रहे तो बस है । फिर ब्यापारी या बाजारू पद्धतिसे—यानी किसी दूसरे प्रान्तके लोगोंके बीच बसकर और अुनके प्रत्यक्ष सहवासमें रहकर—अगर कोअी आदमी जुदी जुदी भाषायें सीख लेता है, तो जिसमें कोअी दोष नहीं है । मगर शिक्षणके तन्त्रमें भाषा ज्ञानको स्थान देनेका सवाल हो और फिर अुन भाषाओंके साथ विविध लिपियाँ भी हों, तो भाषाओंकी तादादपर कुछ मर्यादा रखनी चाहिये । दूसरे अनेक अुपयोगी विषयोंको कम करनेपर ही विविध भाषाओंको जगह दी जा सकती है । जिस दृष्टिसे मेरी रायमें सिर्फ दो ही भाषाओंका व्यवस्थित शिक्षण आवश्यक हो सकता है : अेक प्रान्तकी साहित्यिक भाषा और दूसरी हिन्दुस्तानी । ये दोनों भाषायें खूब अच्छी तरहसे सिखाअी जानी चाहियें । दूसरी सारी भाषाओंका शिक्षण ज़रूरत पड़नेपर और आवश्यकताके अनुसार ही दिया जाय । अुदाहरणके लिये, अुच्च शिक्षणमें विज्ञानकी विविध शाखाओंमें अंग्रेजी और जर्मनमेंसे अेक या दोनों भाषाओंकी ज़रूरत पड़ सकती है । राज्यतन्त्रके विषय सीखने-वालेको अंग्रेजी और दुनियाकी कोअी दूसरी अेक या ज़्यादा भाषायें भी सीखनी ज़रूरी हो सकती हैं, दर्शनशास्त्रोंके अम्यासी, भाषाशास्त्री वगैराके लिये अेक या ज़्यादा प्राचीन भाषायें सीखना आवश्यक हो सकता है । प्राय सभी विषयोंमें अंग्रेजीकी समान ज़रूरत होनेसे मौजूदा जमानेकी ज़रूरतके अनुसार अुसका अितना शिक्षण सबके लिये लाजमी किया जा सकता है, जिससे अुच्च शिक्षणमें पुस्तके वगैरा समझमें आ सकें । मगर, जिसके अलावा दूसरी भाषाओंको सिर्फ भाषाके खास विद्यार्थी ही सीखें, और वह भी अुच्च शिक्षण लेना आरम्भ करनेके बाद ही ।

धार्मिक वृत्ति तथा चरित्रकी अुन्नति या आत्मज्ञानके लिये प्राचीन भाषाओंका ज्ञान आवश्यक नहीं है, न व्यवहार चलानेके लिये ही अनेक

भाषाओंके व्यवस्थित — व्याकरणवद्ध शिक्षणकी जरूरत है। कभी भाषाओंका सिर्फ समझना और पढते वन जाना काफी होता है, उनको लिखते या बोलते आना जरूरी नहीं है। किसी प्रान्तीय भाषाके या हिन्दुस्तानीके व्यवस्थित शिक्षणमें उन प्राचीन या अर्वाचीन भाषाओंके आवश्यक अर्गोंका समावेश होना चाहिये, जिन्होंने उस भाषाके व्याकरणके रूपमें उसकी रचनामें अर्ध-वृत्त-रेती वगैराका काम किया है। मगर उसके लिये हरअेकको वे प्राचीन या अर्वाचीन भाषाये सीखनी ही चाहिये ऐसा जरूरी नहीं है।

अगर भाषाज्ञानकी महिमा और उससे सम्बन्धित वहम कम नहीं होंगे, तो अुद्योगपरायण, व्यवहारकुशल और प्रसन्न बुद्धिकी प्रजाका निर्माण होना कठिन है। कोअी चाहे जितनी हॉक-पुकार करे, शिक्षणमें पढिताअी और तर्क-कुशलताका ही प्रथम स्थान रहेगा।

## ३

## लिपिका प्रश्न — उत्तरार्ध

लिपिके सम्बन्धमें भी मैं पहले खडमें कह चुका हूँ। यहाँ हमें शिक्षणकी दृष्टिसे उसपर विचार करना है।

स्वर-व्यञ्जन वगैराकी व्यवस्थित जमावट (वर्णव्यवस्था या वर्णानुक्रम) और वर्ण (जुदी जुदी लिपियोंमें ध्वनियों दिखानेवाली आकृतियाँ और मरोड़) दोनों अेक ही चीज़ नहीं हैं। अिस बातसे कोअी अिनकार नहीं कर सकता कि सस्कृत भाषाका वर्णानुक्रम बहुत व्यवस्थित है। अिसमें भी सन्देह नहीं कि अलिफ-वे या अे-बी-सीके क्रममें कोअी व्यवस्था नहीं है। और यह भी सच है कि स्पष्ट अुच्चारण दर्शानेके लिये कमसे कम जितने स्वतंत्र अक्षर चाहिये, अुतने अिन दो लिपियोंमें नहीं हैं। अिन दो की अपेक्षा भी सस्कृत वर्णानुक्रमवाली लिपियोंमें बहुत ज़्यादा अक्षर हैं।

अरबी-फारसी लिपिके, सवालपर जिससे ज्यादा चर्चा करनेकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस लिपिको जिस देशकी या जगतकी अकामत्र लिपि बनानेका कहीं भी सुझाव नहीं है। जिसलिसे सवाल सस्कृत वर्णमालावाली विविध लिपियों और अ-बी-सी के बीच ही है।

अक्षरोंकी तादाद और अनुक्रम-व्यवस्थाकी दृष्टिसे सस्कृत कुलकी लिपियोंकी विशेषता अपूर बतलायी गयी है, मगर आकृतियों, स्वर-व्ययजनके योगों और सयुक्ताक्षरोंकी सरलता और जिसलिसे उनको सीखने तथा लिखनेमें आसानीकी दृष्टिसे विचार करें, तो अ-बी-सीके गुण सस्कृत कुलकी किसी भी लिपिसे बढ़ जाते हैं और जिस बातसे अिन्कार करना मूढाग्रहेके सिवा और कुछ नहीं है। जिसकी आकृतियोंकी सरलता के लिसे दो कसौटियों काफ़ी' हैं। अ-बी-सी के छन्वीस अक्षर और ध्वनियोंको अपुजानेवाले सस्कृत कुलकी किसी भी लिपिके छन्वीस अक्षर अेक ही मापमें (मान लीजिये अेक वर्गाअिचके चौकठमें) लिखें और फिर नापकर देखें कि अग्रेजी अक्षरोंमें कुल कितने अिच लम्बी रेखायें खींचनी पड़ती हैं और हमारी लिपियोंमें कितनी। पता चलेगा कि अग्रेजी लिपिमें कुल मिलाकर कम लम्बी रेखायें हैं। जिसका कारण यह है कि विविध अक्षरोंमें हमारी लिपियोंके मुकाबले अ-बी-सी में कम मरोड़ और गोंठें बग़ैरा आती हैं।

दूसरी जाँच यह है कि अेक बालक तथा अेक निरक्षर प्रौढ़को आध-आध घंटे हमारी लिपिके मूलाक्षरों तथा अग्रेजी लिपिके मूलाक्षरोंका परिचय देना प्रारम्भ कीजिये और देखिये कि वे किस लिपिके अक्षरोंको ज्यादा तेज़ीसे याद कर सकते हैं। जिसके बाद उन्हें लिखना सिखाविये और देखिये कि किन अक्षरोंको वे जल्दी लिखना सीख जाते हैं।

हमारा वर्णानुक्रम तो अच्छा है, मगर वर्णोंके मरोड़ — आकार — सरल नहीं हैं, और उन्हें स्वरोंके साथ मिलाने व सयुक्ताक्षर लिखनेकी पद्धति भी सुविधाभरी नहीं है। जिससे अिन्हें सीखने तथा लिखनेमें ज्यादा मेहनत पड़ती है और गति भी धीमी रहती है।

फिर भी, अगर हम अितने तीव्र देशाभिमानी हो सकें कि प्रान्तीय लिपियोंको छोड़कर देवनागरीमें ही सारी प्रान्तीय भाषाये

लिखना मजूर करे, तो अंग्रेजी लिपिका सवाल अक तरफ छोड़ा जा सकता है और अर्द्ध लिपिका सवाल भी बहुत गौण हो सकता है। देवनागरीको सुधारना तो होगा ही, मगर जो प्रजाये अपनी अपनी प्रान्तीय लिपियाँ छोड़नेकी अँचाअी तक अुठँगी, अुन्हे देवनागरीको सुधारनेके बारेमे सम्मत होनेमे ज़्यादा कठिनाअी नहीं महसूस होगी।

अगर प्रान्तीय लिपियोंका सवाल अिस तरह बिलकुल हट जाता है, तो अर्द्ध लिपि लिखनेवाले प्रान्तोंको तथा ( हिन्दू-मुसलमान जो हों अुन सब ) जातियोंको समझाया जा सकता है कि आप चाहे जैसी अरबी — अर्द्ध गढ़िये, चाहे जितनी अुसे अरबी-फारसी भरी बनाअिये, मगर अुसे देवनागरीमे ही लिखिये और देवनागरीमे ही सीखिये। अिससे आपकी भाषाको भी फायदा है और देशकी दूसरी भाषाओंको भी फायदा ही होगा।

मगर यदि हम अपने प्रान्तीय अभिमानको न छोड़ सकते हों, तो मान लीजिये कि सिर्फ मुसलमान ही अर्द्धवाले हों, फिर भी वे अगर अर्द्धका आग्रह न छोड़ सके तो अुन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।

मगर प्रान्तीय लिपियोंका आग्रह छूट सकना आज मुश्किल मालूम होता है। तब फिर यह देखना बाकी रहता है कि शिक्षण और राजतन्त्रकी दृष्टिसे अिस समस्याको कैसे हल किया जा सकता है। वहाँ रोमन लिपि भी अपनी अुम्मीदवारी पेश कर रही है। लेखन, छपाअी वगैराकी दृष्टिसे अिसकी सुविधाके सम्बन्धमें मैं अूपर कह चुका हूँ। कोअी भी दो लिपियाँ जाननेवालोंकी अगर मर्दुमशुमारी करें, तो दूसरी लिपिकी तरह रोमन लिपि जाननेवाले सबसे ज़्यादा निकलेंगे। देशकी कुछ भाषायें रोमनमे लिखी भी जाती हैं। तारों व चिट्ठी-पत्रीमे सभी भाषाओंके व्यक्तियों तथा स्थानोंके नामोंके लिअे रोमन लिपिका ही अुपयोग होता है। देशके बाहर जगतमे यही लिपि सबसे ज़्यादा महत्त्वकी है। अिसके दोषोंको थोड़े फेरफारसे दूर किया जा सकता है।

अिन सब बातों पर विचार करनेके बाद मैं नीचे लिखे नतीजों पर पहुँचा हूँ :

१. रोमन लिपिका- अैसा स्वरूप निश्चित किया जाय, जिससे वह प्रान्तकी विविध भाषाओंके अुच्चारोंको पूरी तरहसे और ठीक ठीक पेश कर सके, जिसे निश्चित की हुअी रोमन लिपि कहा जाय ।

२. सबके लिअे दो लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो, प्रान्तीय लिपिका और निश्चित की हुअी रोमनका ।

३. किसी भी रूपमें हिन्दुस्तानीको मातृभाषाकी तरह बोल्नेवालेके लिअे जो दो लिपियाँ हैं, वे हैं देवनागरी और अुर्दू । यानी मातृभाषाकी तरह हिन्दुस्तानी सीखनेवालेके लिअे देवनागरी तथा रोमन, अथवा अुर्दू तथा रोमन लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो ।

४ हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाकी तरह सीखनेवाला अुसे अपनी प्रान्तीय लिपिमे तथा रोमन लिपिमे सीखे, और अुन दोमेंसे किसीभी अेकका अपनी सुविधाके अनुसार अुपयोग करे । प्रान्तीय सरकार अुन दोनोंको मान्य रखे । प्रान्तकी भाषाके सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है ।

५. केन्द्रीय सरकारके कारवारमे अुपयोगमें आनेवाली हिन्दुस्तानीमे प्रजा 'निश्चित की हुअी' रोमन, देवनागरी तथा अुर्दूमेंसे किसी भी लिपिका अुपयोग करे । प्रजाकी जानकारीके लिअे प्रकाशित किये जानेवाले लेखन वगैरामें रोमन तथा जिस प्रान्तके लिअे वह लेखन प्रकाशित हो वहाँकी लिपि दोनोंका अुपयोग किया जाय ।

जिस ब्यवस्थासे देशकी हरअेक भाषाके लिअे कमसे कम अेक सामान्य लिपि — और वह भी जगद्ब्यापी लिपि—प्राप्त हो सकेगी, और रोज्ञानाके भीतरी ब्यवहारोंमें तथा साहित्यमे प्रान्तीय लिपियाँ भी रह सकेंगी । और कोअी भी भाषा सीखनेका रास्ता आसान हो जायेगा ।

## अतिहासका ज्ञान

पिछले पचास बरसोंसे विद्वानोंने अतिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गाओ है, और अनेक दिशाओंमें ऐतिहासिक शोध करने तथा अनेक विषयोंका अतिहास लिखनेकी काफी कोशिश हुआ है। अपने देश, जगत तथा जीवनकी अनेक बातोंका पिछला अतिहास जानना मनुष्यकी सर्वांगीण और सामान्य तालीमका आवश्यक अंग माना गया है। अर्थशास्त्रियोंमें अतिहासवादियोंका एक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको ऐतिहासिक सत्योंपर ही आधारित मानते हैं और उस परसे मानव जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। ऐतिहासिक ज्ञानकी महिमासे अतिहासको 'सुरक्षित रखनेका' भी एक आग्रह पैदा हुआ है और वह इस हद तक बढ़ा है कि मानवके आदियुगका नमूना लुप्त न हो जाय, इसलिये कुछ पुरातत्त्ववादियोंका विचार है कि जंगली व पिछड़ी हुई जातियोंको अनुकी आदि दशामे ही रहने दिया जाय। जैसे लोग भी हैं, जो अनेक रूढ़ियों तथा सस्थाओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और असुविधाजनक होते हुआ भी अतिहासको सुरक्षित रखनेके लिये बनाये रखना चाहते हैं।

जब अतिहासका अितना ज्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे यह कहनेमें धृष्टता मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग वहमकी कोटिकी है। मगर बड़ी नम्रतासे मैं कहना चाहता हूँ कि अतिहासके ज्ञानका जितना महत्त्व माना जाता है, उतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। जिसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूल की जाती है।

सच बात तो यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा अतिहास हमें भाग्यसे ही मिलता है। खुदकी ही की हुआ और कही

हुआ बातोंकी भी याददास्त अतनी तेजीसे फीकी पड़ जाती है कि योड़े समय बाद अउसमें सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किसी मानस-शास्त्रीने अेक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोंकी सभामें अेक नाट्य-प्रयोग किया गया। अउसमें अेक वारदातका प्रदर्शन किया गया। प्रयोगके साथ ही अउसकी फिल्म भी अुतार ली गयी। प्रयोग कुछ मिनटोंका ही था। प्रयोग होनेके आधे घण्टे बाद श्रोताओंसे कहा गया कि अुन्होंने जो देखा अउसका ठीक ठीक वर्णन लिखें। नतीजा यह आया कि तीस साक्षियोंमेंसे सिर्फ अेक दौके वर्णन तो फिल्मके साथ ८० फीसदी मिलते थे। शेष सत्रके वर्णनोंमें ४० फीसदीसे ६० फीसदी तककी भूलें निकलीं।

अिसमें आश्चर्य करने जैसी कोअी बात नहीं है। जत्र तय्य और सावधान साक्षी भी घटनाओंको यों तेजीसे भूल जाते ह, तत्र फिर जिनमें घटनाके अुत्पन्न करनेवाले तथा लिख रखनेवाले लोगोंका कोअी रागद्वेष — पक्षपात वगैरा हो, अुनके वर्णनोंमें अगर सचाओका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय, वैसे वैसे ज़्यादा ज़्यादा कम होता जाय, तो अिसमें आश्चर्यकी क्या बात है? वर्तमान घटनायें भी अेक ही दिनमें अैसी सशयास्पद बन सकती हैं कि सच सच घटना क्या घटी, यह कभी भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कल तक कलकत्तेकी 'काल कोठरी'की बातको सभी विद्यार्थी और शिक्षक सच्ची घटना समझते थे। वही अब गप साबित हुयी है। अभी हाल ही में प सुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमें आश्चर्यचकित कर दिया है कि सोमनाथको लूटनेकी बात भी सच नहीं है। अगस्त १९४६के बाद देशभरमें होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारों और दगोंका सोलह आने सच्चा इतिहास कभी भी नहीं मिल सकेगा। कृष्णका सच्चा जीवन-चरित्र कौन जान सकता है? रामका ही नहीं, अीसा मसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं, और अुसे क्रॉस पर चढ़ाया गया था या नहीं, अिसपर भी शका की गयी है। शेक्सपीयरके नाटकोंके सम्बन्धमें प्रेमानन्दके नाटकों जैसा ही विवाद है। अिधर विद्वानोंमें अिस सम्बन्धमें चर्चा है कि कालिदास कितने हो गये हैं।

अस तरह जिस अतिहासके ज्ञानकी हम महिमा गाते हैं, वह भले ही अतिहासके नामसे और सेन्ट्रियेटके दफ्तरों तथा प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोंके मुँहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह अपुन्यास या सम्भाव्य घटनासे ज़्यादा कीमती नहीं होता। असका वाचन और पिछली कड़ियोंको खोजने और जोड़नेकी बौद्धिक कसरत मनोरंजक अवश्य है, मगर शेक्सपीयर, कालिदास, बर्नार्ड शॉके उत्तम नाटकों, या पौराणिक वार्ताओं तथा परम्परागत दत्तकथाओंसे न तो असकी ज़्यादा कीमत करनी चाहिये न उनसे ज़्यादा असके ज्ञानका मोह ही रखना चाहिये।

अतिहास पढ़कर भूतकालके सम्बन्धमे हम जो कल्पनायें करते हैं, वे योग्य मात्रासे बहुत ज़्यादा व्यापक रूपलिये होती हैं। और उनपरसे हम जो अभिमान या द्वेष अपने दिलोंमे पालते हैं, वे तो बेहद अनुचित होते हैं। प्रजाजीवनके वर्णनोंमे प्रजाके बहुत ही थोड़े भागके जीवनकी जानकारी उसमे दी हुअी रहती है; मगर हम समझ लेते हैं कि वह पूरी प्रजाकी हालतका वर्णन है। भूतकालमे भी समृद्धि थी। बड़े बड़े नगर, नालदा जैसे विद्यापीठ वगैरा थे, अस ज़मानेमें भी हैं। मगर हमे ऐसा नहीं ल्हाता कि आजकी तरह तब भी थोड़े ही लोग उस समृद्धिका अपभोग करते होंगे, ज़्यादातर लोग गरीब ही होंगे; गुरुकुलोंका लाभ गिने चुने लोग ही लेते होंगे, गार्गी जैसी विदुषी कोभी हर ब्राह्मणके घरमे नहीं होगी, अनेक ब्राह्मणियों तो आज जैसी ही निरक्षर होंगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुरुष भी आज जैसे ही होंगे। मगर हम समझते हैं कि उस समय तो सभीकी हालत अच्छी ही थी, बादमे बदल गयी। लेकिन बहुत बड़े प्रजा-समूहके लिये ऐसा कहाँ तक कहा जा सकता है, असमे शक ही है।

शिवाजीने उस ज़मानेके मुसलमान राज्योंके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, असपरसे मराठे मात्रको ल्हाता है कि मुसलमानोंसे द्वेष करना उनका कुलधर्म है; इसी न्यायसे शिवाजीने सूरतको लूटा था, असे पढ़कर मेरे अेक बचपनके साथीको, जिसके पूर्वज सूरतमें रहते थे, ऐसा ल्हाता था कि शिवाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रियोंके प्रति घृणा रखनेमें असे कुलाभिमान मालूम होता



या । अगर इतिहास जैसी कोसी चीज़ न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोसी स्मृति ही न रहती हो, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके बीचकी दुश्मनियोंको पोषण न मिले । अभी तक ऐसी कोसी प्रजा या व्यक्ति नहीं हुआ, जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोसी शिक्षा ली हो और समझदार बने हों ।

सच पूछा जाय, तो इतिहास स्मृति या याददास्तका ही दूसरा नाम है । क्योंकि ज़्यादातर इतिहास लिखनेकी प्रवृत्ति उस समय नहीं होती, जब कि स्मृति ताज़ी होती है, बल्कि उस समय होती है, जब वह घुघली पड़ जाती है और सच्चे हालचाल जाननेके साधन भी छूट होने लगते हैं । मगर ताज़ी और सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ वरदान ही नहीं, बल्कि शाप भी है । दो गायोंके बीच सहानुभूति — प्रेम सदा रहता है । उनके बीच हुआ झगड़ा क्षणिक होता है, क्योंकि उनकी याददास्त बहुत कमजोर होती है । और जब झगड़ा न हो, उसकी याद भी न हो, तब उनकी आपसकी सहानुभूति स्वभावसिद्ध ही होती है । मगर मनुष्य स्मृतिको ताज़ी रखकर ज़्यादातर द्वेषको ही जीवित रखता है, यानी सहानुभूतिको — प्रेमको घटाता है । स्वभावसिद्ध सहानुभूति या प्रेम अगर किसी खास कर्म द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहे और पुष्ट हो, मगर उसके अभावमें या उसे भुला सकनेवाला झगड़ा कहीं अकाध बार भी हो जाय, तो वह स्मृतिद्वारा लम्बे अरसे तक टिकता है ।

यह सब देखते हुअे मुझे नहीं लगता कि इतिहासका शिक्षण, काव्य-नाटक-पुराण-अुपन्यास वगैरा साहित्यके शिक्षणसे ज़्यादा महत्त्व रखता है । इतिहासका अज्ञान अकाध प्रसिद्ध नाटक या काव्यके अज्ञानसे ज़्यादा बड़ी खामी नहीं है । उसे मनोरञ्जक साहित्यका ही-अेक विभाग समझना चाहिये ।

आजका मानवजीवन इतिहासका ही परिणाम है । हमे वर्तमान मानव-जीवनका अच्छी तरहसे निरीक्षण करना चाहिये और इतिहासकी कैदमें पड़े वगैर उसकी समस्याओंका हल खोजना चाहिये । ऐसा भय रखनेका कोसी कारण नहीं है कि इतिहास टूट जायगा या उसकी परम्परा नहीं निभेगी ।

क्योंकि उसके संस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमें दृढ हो चुके हैं। इसलिये चाहे जितना कीजिये, उसकी कारण-कार्य-श्रृंखला तो टूट ही नहीं सकती। जो उपाय हम सोचेंगे, वे हमें भूतकालके किसी संस्कारमेंसे ही सूझेंगे, यानी त्रिन-पट्टे अतिहासमेंसे ही सूझेंगे। पढ़े हुए अतिहासका, अल्ट्रे असमें विघ्नरूप होना ही ज़्यादा संभव रहता है।

अगर अतिहास न होता, तो झंडेके चक्रकी अशोकके धर्मचक्रसे या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी अच्छा न होती; और चौद-तारेके झंडेको भी महत्त्व न मिलता। अतिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमें हिन्दुस्तानमें आये हुए शक, हूण, यवन, बर्बर, असुर वगैरा लोगों तथा अनेक धर्मों और आर्योंके बीच आज कोसी स्वदेशी-परदेशीका भेद नहीं करता या हिन्दूकी 'साबरकरी' व्याख्या पढ़ने नहीं बैठता, उसी तरह आज मुसलमान, आर्या, पारसी वगैराके सम्बन्धमें भी हुआ होता। पौराणिक चतुःसीमाके अनुसार अरबस्तान, तुर्कस्तान, मिश्र, ब्रह्मा, वगैरा सब देश भरतखण्डके ही देश माने जाते। जिस तरह अतिहासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते हैं कि सारे पुराण अके ही कालमें और अके ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, उसी तरह सारे धर्म सनातनधर्मके ही भेद समझे जाते। अतिहास पढ़नेके परिणाम स्वरूप हम दूसरोंसे अलग होना सीखे हैं, मिलना नहीं।

शिक्षणमें अतिहासको गौण स्थान देनेकी ज़रूरत है। उसकी कीमत भूतकाल सम्बन्धी कल्पनाओं अथवा दन्तकथाओंके बराबर ही समझनी चाहिये।

## अपसंहार

अब इस लम्बे विवेचनको पूरा करना चाहिये ।


अस विषयमें कहीं भी मतभेद नहीं है कि जगत आज अतिशय अस्वस्थ है । विज्ञान और अद्योगोंमें बहुत कुछ विकास हुआ और हररोज बढ़ता जाता है । मानव जातिके प्रारम्भसे लेकर सन् १८०० अस्वी तकके लम्बे समयमें भी कुल जितना अुत्पादन नहीं हुआ, अतना और अनन्त प्रकारका अुत्पादन पिछले दो सौ बरसोंमें हुआ होगा । पुराणों तथा योगशास्त्रोंमें वर्णित सिद्धियाँ हम प्रत्यक्ष होती देखते हैं और विना योग साधे अुनका अुपभोग कर सकते हैं । फिर भी तगीका पार नहीं, दुःखोंका अन्त नहीं, शांति-सुलह-सतोषका नाम नहीं । अिन्सान अिन्सानको देखकर खुश नहीं हो सकता । वह राघ और सॉपसे भी ज़्यादा घातक और ज़हरीला बन गया है । कोअी देश या कोअी प्रजा अैसी नहीं रही, जो मानवताके अभावकी दृष्टिसे दूसरे किसी देश या प्रजासे कम हो । यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान, गरीबी या जगली जीवनकी अपेक्षा विद्वत्ता, विज्ञान, तत्त्वज्ञान या सभ्यताके साथ अमानवताका कम मेल बैठता है ।

हमारे जीवनमें कहां खराबी है ? सुखके साधन हमारे लिअे दुःख रूप — शाप जैसे क्यों हो पड़े हैं ? असका मुझे जो कारण मालूम होता है, सो कहता हूँ

गगीचेका माली लताकी जड़में पानी डालता है, वहां खुरपी चलाता है, मिठी चढ़ाता है, अुसकी नीरोगताकी जाँच करता रहता है । जब अुसपर फूलोंकी बहार आती है, तो क्षणभर खुश हो लेता है, कुछ गुच्छे तोड़कर मालिकको दे आता है । अुसे फूलोंको देखते हुअे खड़े रहनेकी ज़्यादा फुरसत नहीं होती । मगर गगीचेका मालिक गड़ीमें घूमने निकलता है, तो फूलोंको देखनेमें ही लीन हो जाता है । फूलको अुपजानेवाली लता और सुखके मूलको देखनेकी बात अुसे सूझती ही नहीं । दतीन जैसे लता और फूल-पत्तोंने शक्ति मूलकी तरफ भला अुसका


कैसे आकर्षण हो सकता है? उसका दिल तो फूलोंके रंग और गंधमें ही रमता है। इस तरह वह पूरे बगीचेमें घूम लेता है, मगर उसकी नज़र झाड़ोंके अपूरी वैभवपर ही घूमती रहती है; नीचे झुककर उनके मूल नहीं देखती। उसमें रसिकता है, मगर वह कार्यको ही समझ सकता है, कारणकी कदर नहीं कर सकता।

अथवा, ठेक दूसरा दृष्टांत लें : शंकु आकारके नीचे जैसे एक बहुत लम्बे पोंगेकी कल्पना कीजिये। उसके बीचमें खड़ा हुआ मनुष्य



अगर ख की ओर अपना मुँह रखकर चलता है, तो उसे विकास और विस्तार ही दिखायी पड़ते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वैसे वैसे प्रदेशकी अनन्तता ही मालूम पड़ती है। कहीं भी उसके आदि, अन्त या मूल नज़र नहीं आते। सभीकुछ आगे और आगे बढ़ता हुआ और एक दूसरेसे दूर व दूर जाता हुआ ही जान पड़ता है। ऐसा लगता ही नहीं कि उसका कभी अन्त भी आयेगा। उसे लगता है मानो अनन्तमें भटकते भटकते वह खुद ही खो गया हो। मगर वही मनुष्य जब क सिरेकी ओर मुड़ता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे संक्रामन और सकोच बढ़ते जाते हैं। सभी कुछ छोटा और भीड़में फँसा हुआ-सा जान पड़ता है। अगर वह आगे चलता ही रहे, तो अितने छोटे प्रदेशमें पहुँच जाता है, जहाँ सिर्फ उससे ही पोंगा भर जाय। उसके खुदके सिवा और कुछ रहता ही नहीं। वहाँ विविधता नहीं, विस्तार नहीं,

बहुलता नहीं। मगर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह खुद उसमें खो गया है या रास्ता भूल गया है, बल्कि जिससे अल्लटे वह समझने लगता है कि वही सब कुछ है। सबके साथ उसे अपना ही सम्बन्ध दिखायी पड़ता है। पहली स्थितिमें मनुष्य दूसरा सब कुछ देखता है, मगर अपनेको नहीं देखता, दूसरी स्थितिमें वह सिर्फ अपनेको ही देखता है, दूसरा और कुछ नहीं देखता। पहली दशामें वह मानता है कि वह अनन्तमे अड़नेवाली नकुळ रज है, जो अकस्मात् अत्यन्न हो गयी है और बिना ध्येयके भटक रही है। दूसरी दशामें वह मानता है कि वह खुद ही विश्वका आदि-कारण और अक्रं है। वह नहीं जानता कि उसकी दृष्टि, बुद्धि और गति अक शकु आकारके पोंगेमें काम कर रही है, जो अक तरफसे चौड़ा होता जाता है और दूसरी तरफसे संकरा।



अपरेके ही दृष्टांतको अब थोड़ा बदल दीजिये। अक मनुष्यके बदले अनेक मनुष्योंकी कल्पना कीजिये। कुछ ख की तरफ जाते हैं, कुछ क की तरफ। जो ख की तरफ जाते हैं, वे अनन्त, अपार, विविध, समृद्ध और सर्वव्यापक प्रकृतिको ही देखते हैं। प्रकृतिकी ही सारी लीला और महिमा देखते हैं। उन्हें सभी कुछ फैलता और विस्तृत होता हुआ दिखायी पड़ता है। शुरुआतमे उसीका अन्त ढूँढनेके प्रयत्नमें वे आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। कोसी थोड़ा चलकर थक जाता है, कोसी दूर जाकर थकता है। कोसी शीघ्र ही जिस निर्णयपर पहुँच जाता है कि जिसका करी भी अन्त आनेवाला नहीं है, कोसी बहुतसा घूम चुकनेके बाद

अस नतीजे पर पहुँचता है। जब वह थकने लगता है, तो निराश हो जाता है और वापस लौटना चाहता है, तथा ए की दिशामें मुड़ता है। अस तरह कोअी बहुत बढ़ा चक्कर लगाकर लौटता है, तो कोअी छोटा।

दूसरी तरफ जो क की ओर मुड़े हुअे हे, वे अपने मनकी ही सारी विकृति और भ्रान्तिको देखते है। अन्हें सब कुछ मनमें ही समाया हुआ सा लगता है। मनके बाहर भी किसीका अस्तित्व है या नहीं, असमे अन्हें सन्देह रहता है। असलिअे वे मनको ही पकड़नेकी कोशिश करते हैं। मगर वे भी कभी थकने लगते हैं। अस तरह मनको पकड़कर भी अन्हें पूर्ण सन्तोष नहीं होता। असा मन अन्हें शक्तिहीन, विभूतिहीन, कर्तृत्वहीन और सकुचित होता जान पड़ता है। असमे अन्हे विकास नहीं, विलय—नाश, मालूम होता है। असलिअे असा थका हुआ मनुष्य भी असी दिशामे टिकना नहीं चाहता। वह भी बादमे द के पाससे मुड़ी हुअी दिशामे घूमना चाहता है, और शक्ति, विभूति, कर्तृत्व, विकासको प्राप्त करनेमे प्रवृत्त होता है। असमे भी कुछ लोग जल्दी थक जाते है और कुछ क के बहुत नज़दीक तक जाकर थकते हैं। बहुत कम अैसे होते है, जो बिना थके आखिर तक अिसी ओर बढ़ते रहते है। अस तरह कुछ लोगोके मुँह ख की तरफ मुड़े हुअे हैं और कुछ के क की तरफ किसी बार बहुत बढ़ा सघ ख की तरफ जाता है, तो किसी बार क की तरफ। सभी ख की तरफ जाते हों या सभी क की तरफ मुड़ते हों, असा नहीं होता।

आज मानव जातिके बहुत बड़े भागकी हालत बगीचेके अुस मालिक जैसी या ख की तरफ मुँह घुमाये हुअे लोगो जैसी ही है। सब फूलोकी बहार देखनेमे, प्रकृतिकी खूबियाँ और विविधता खोजनेमे ही मशगूल है। नीचे झुककर या पीछे घूमकर अुनको यह देखनेकी अिच्छा नहीं होती कि यह किसका विस्तार है और किसकी विजय व महिमा है। दुनिया हमे स्वयभू प्रकृतिका ही सारा अटपटा खेल मालूम होता है। असका कोअी मूल, बीज, कारण या कर्ता भी है या नहीं, असमे हमें शक है। जो अस सम्बन्धमें विचार करते है, अुनका खयाल है कि

जंतुश्रेणी — वैश्वकी भुक्ति भी ज्ञानरुचि से हो जाती है। जिस तरह पक्षर फूलोंकी शर आती है, वृक्षी तरह प्रकृतिर विमूर्धितों वर आती हुनी है। जिस तरह वृक्ष नार जिने सुन्दर और सुगन्धि हो, शि भी वे भुक्ति ही करे है, मान्य नहीं, या वे जनादि भी नहीं है, वृक्षी तरह नीत्युष्टि भी प्रकृतिर ही करे है, फल। नहीं, और यह जनादि भी नहीं है। जिसलिये कि यह जन्तुके शिरे पूर्वकी शिरी क्रम होनी है, वृक्षमें जयादा हमें जिनकी क्रीडा नहीं रही। जब यह जिनमें रग और गय हो, तब यह तो जिनकी क्रीडा है; तद्वत् जिन परों तले कुचल उल्लेख है। और जिसकी क्रीडाका यह मन्त्र नहीं कि जिनके शिरे जितनी गच्छा जादर हो, यदि जिनके प्रति हम आदर हो, वृक्षके शिरे जिनका उल्लेख करने जिनकी ही जिनकी क्रीडा है। जिस तरह जिन चीजोंका हम मन्त्रपूर्ण समझते हैं, वृक्षके शिरे मन्त्र चैत्यश्रिका और मनुष्यका भी उल्लेख करने, वृक्षके छेदक, पितोकर, गंधकर कुचल उल्लेख हम द्विचक्रिचाष्ट नहीं होती। हमारी नजर लताके मुलकी तरफ नहीं, वल्कि वृक्षकी वृक्षकी तरफ, पंगोंके क गिरेकी तरफ नहीं, रग गिरेकी तरफ मुझी हुआ है, और यही हमारे दुर्गोका मूल कारण है। दिनमें सिर्फ हमारी पृथ्वीका ही विस्तार साफ दिग्याभी पड़ता है, मगर रातमें तो हमें समग्र विश्वकी समृद्धिके दर्शन होते हैं और रात जितनी ही अंधेरी हो अतनी ही अच्छी दिखती है; जंतुको भी वृक्षि दिनको अंधेरा करनेवाला और रातको प्रकाश फैलानेवाली करे, असी तरह हम रग की दिशामें प्रकाश और विकास देखते हैं, तथा क की दिशामें सकोच और शून्यता अनुभव करते हैं।

भक्त और तत्त्वज्ञानीकी भाषामें कहें, तो हम मायाकी साधनामें भगवानको भूल गये हैं, प्रकृतिके ध्यानमें आत्माको रगो बैठे हैं। आधुनिक साधारण भाषामें कहें, तो हम महत्ताके और वैभवके मोहमें अन्वियनियतका छोड़ते आये हैं। जिसके लिये महल वैधवाया जा रहा है, वह खुद मरने बैठा है। मगर उसकी सेवा करनेकी हमें फुरसत नहीं है। हम सोचते हैं कि पहले महल बन जाय, तो फिर उसमें अेर अस्पतालका कमरा भी रखेंगे और उसमें अिसका अिलाज करेंगे। अगर

तब तक यह मर गया, तो उसके लड़केका अिलाज करेंगे, और जिसका लड़का नहीं रहा, तो किसी दूसरे बीमारको लाकर उसमें रखेंगे; यह हमारा न्याय है। 'अधेर नगरी चौपट राजा' का न्याय जिससे ज्यादा दोषपूर्ण नहीं था। अल्टे, उसने तो शूलीको समझकर ही शूली खड़ी की थी, हम शायद महल समझकर कतलखाना खड़ा करते हैं।

मतलब यह है कि जो बड़ीसे बड़ी क्रान्ति हमें करनी है, वह जड़ जाहोजलालीके बजाय मानवताको सबसे ज्यादा महत्व और जीवको सबसे ज्यादा आदर देना सिखानेवाली हो। जिसके अभावमें किसी भी प्रकारका राजतंत्र या अर्थवाद या धर्म मनुष्यको सुख शान्ति नहीं दे सकेगा।

यह लिखते हुअे मैं अितना और कह देता हूँ कि मेरे मनमें मानवजातिके सम्बन्धमें निराशा नहीं है। हिन्दुस्तानके बारेमें तो मैं जिससे भी ज्यादा आशावान हूँ। मेरा मन कहता है कि मानव अभी भले थोड़ा अधर अधर टकराये, गोते खाये, नुकसान अुठाये, मगर बादमें वह क की दिशामें अवश्य ही मुड़ेगा, प्रकृति-पूजाकी जगह फिरसे भगवानकी ही स्थापना करेगा और उसे ज्यादा शुद्ध स्वरूपमें समझकर करेगा। यह कोअी निराधार आशावाद नहीं है। पिछले पचास-साठ बरसोंमें हिन्दुस्तानमें जो अेकसे अेक अँचे नेता पैदा हुअे हे, उसपरसे मुझे लगता है कि हिन्दुस्तानका — और सम्भवतः उसके द्वारा मानव जातिका — जहाज़ अुचित दिशामें जा रहा है। गांधीजीके बाद प० जवाहरलालकी तरफ सारे जगतका आदर और आशाकी नज़रसे देखना अकारण नहीं है। अिनका 'भगवान' शब्दको दूर रखना कुछ महत्व नहीं रखता, मगर मानवमात्रके लिये अिनके दिलमें आस्था और सद्भाव है, यही अिनकी सबसे अँची आध्यात्मिकता है।

हम अैसी क्रान्ति करें, जिससे कदम कदम पर हमारी मानवता दिखायी दे और कदम कदमपर विकसित हो, तथा पूरी मानवजाति उस पथकी ओर मुड़े। यही सच्ची धार्मिकता है, और यही सच्ची समाजरचना, अर्थरचना और राज्य-प्रणालिका है।



समुद्दे मानवानाके सगान;  
 गदगी, रोग, गरीबी, अज्ञान,  
 जालस, दम और प्रसन्न,  
 मद, मदन और मग,  
 जानुर अनिच्छा, अदम्य चिन्तार,  
 काम-क्रोध-लोभ-मातेके अनावार —  
 ये सब अपन-सगते जाति धार ।

अज्ञानसत्तावाद न सच्ची आस्तिहता,  
 अश्वत्थान्तिवाद न सच्ची नास्तिहता ।  
 फिना-पुत्र, भाभी-भाभी, स्वामी-नेगर,  
 पति-पत्नी, शासित और शासक,  
 व्यापारी-कारिगर और माहक,  
 कला, मोदये या विज्ञानके गुणसक,  
 धन-विषयार्थ ही माने सम्यन्ध,  
 अन्द्रियारुणेको ही माने जानन्द,  
 असा बना हो जीवनका लक्षण,  
 वही नास्तिहताका असल चिन्त ।  
 जहाँ तक आतुरी अभिलाषाओमें धदा,  
 वहाँ तक सुख-शांति ऋद्धिकी अशक्यता ।

बढ़ाना-प्रकटाना अञ्च गुण सदैव,  
 मानवताके शुक्लपेको मान जीवनका ध्येय,  
 सद्भावसे, धर्मभावसे करना जीवोंकी सेवा,  
 मानवमात्रको हृदयसे अपनाना,  
 जीवमात्रको प्रेमाभृतसे नहलाना,  
 गदगी, रोग, गरीबी, अज्ञान हटाना,  
 सत्य, शीघ्र, अद्योग आदि सद्गुण फैलाना,  
 अिसमें ही आत्मज्ञान व शान्ति पाना ।

जिस तरह जीवन भर करे अुपासना,  
 रखकर अीश्वरनिष्ठा व निःस्वार्थ भावना,  
 न रखे चिंता, ममता या भावीका सोच,  
 आवे देहका अत, तो छोड़े निःसकोच,  
 अिनके समाधान, शान्ति और मोक्ष,  
 नकद, अकल्पित और अपरोक्ष ।

२८-११-४७

## हमारे हिन्दुस्तानी प्रकाशन

गोसेवा	१—८—०
दिल्ली-डायरी	३—०—०
रचनात्मक कार्यक्रम	०—६—०
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	१—८—०
वर्ण-व्यवस्था	१—८—०
सत्याग्रह आश्रमका इतिहास	१—४—०
आरोग्यकी कुजी	०—१०—०
राष्ट्रभाषाका सवाल	०—६—०
महादेवभाईकी डायरी (पहला भाग)	५—०—०
अेक धर्मयुद्ध	०—८—०
वापूकी झोंकियाँ	१—०—०
हिमालयकी यात्रा	२—०—०
जीवनका काव्य	२—०—०
अीशु खिस्त	०—१४—०
जीवन-शोधन	३—०—०
जड़मूलसे क्रान्ति	१—८—०
सयानी कन्यासे	१—०—०
गाधीजी	०—१२—०
प्रेम-पन्थ — १	०—४—०
हिन्दुस्तान और ब्रिटेनका आर्थिक लेन-देन	०—८—०
हमारी वा	२—०—०
मरुकुज	१—४—०
वापू—मेरी माँ	०—१०—०
जीवनका सद्ब्यय	
महादेवभाईकी डायरी—दूसरा भाग	(छप रही है)
छी-पुरुष मर्यादा	”

# राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

गाधीजी

ठेठ १९०९से गाधीजीने हिन्दके लिअे अेक ज़रूरत महसूस कर ली थी । और वह भाषा हि हो सकती है, ऐसी अुनकी विचारपूर्वक राय बन अिसके लिअे अुन्होंने जीवन पर्यन्त काम किया । अुनके हिन्दकी राष्ट्रभाषाके बारेमें लिखे लेखों अं संग्रह किया गया है । राष्ट्रभाषाके सवालमे रस ले यह खूब अुपयोगी साबित होगी ।

की० १-८-०

डाकखर्च

## राष्ट्रभाषाका सवाल

जवाहरलाल नेहरू

“ . . . जवाहरलालके निबन्धसे राष्ट्रीय शिक्षाके दृष्टिकोणसे सारे विषयको ठीक समझनेमें मिलेगी । अुनके रचनात्मक सुझाव अगर सम्बन्धि द्वारा व्यापक रूपमें मान लिये जायें, तो अुनसे जिसने साम्प्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, खूब चाहिये । ये सुझाव विस्तृत हैं और बहुत माकूल आम तौरपर अुनकी ताअीद करनेमें जरा भी संकोच

की० ०-६-०

डाकखर्च

